

शिक्षा को आहार संबंधी सहायता

INDIA -

दोपहर के भोजन के
संबंध में समिति की रिपोर्ट



NIEPA DC



D09070

मई 1995

372.1716
BHAR

LIBRARY & DOCUMENTATION CLERK
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi 110016
Doc. No. D-9070
Date 11.04.96

कार्यकारी सारांश

- * मूल रूप से, समिति ने प्राथमिक शिक्षा के साथ आहार, स्वास्थ्य और समेकित बाल विकास योजना को जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को आहार संबंधी सहायता देने पर विचार-विमर्श किया है। जिस रूप में आहार संबंधी सहायता दी जा रही है, उसमें समिति ने एक तरफ समेकित बाल विकास योजना और प्राथमिक शिक्षा के बीच और दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना तथा प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध विकसित करने का सुझाव दिया है ताकि हम मानव संसाधन विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में बाल देखभाल को व्यापक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
- * संसाधन समिति होने तथा इससे भी महत्वपूर्ण आहार सहायता के सफल वितरण के लिए आवश्यक संस्थानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु अपेक्षित परिस्थिति में विभिन्न विकल्प हैं।
- * शिक्षा को आहार संबंधी सहायता या तो गर्म भोजन देने के रूप होगी जिसमें अनाज की मात्रा 200 स्कूल दिवसों के लिए प्रति बालक प्रति दिवस, 100 ग्राम होगी अथवा पकाने से पूर्व का समतुल्य भोजन अथवा 10 माह के लिए प्रति माह प्रति बालक उसके परिवार को 5 कि० ग्रा० गेहूँ/चावल की समतुल्य आपूर्ति के माध्यम से।
- * राज्यों के पास आहार संबंधी सहायता को वितरित करने के ढंग के बारे में निर्णय करने का विकल्प होगा कहने का तात्पर्य यह है कि वे शिक्षा के लिए या तो गर्म भोजन उपलब्ध कराएं या पकाने से पूर्व का भोजन या अनाज या फिर इनका मिला-जुला रूप उपलब्ध कराएं।
- * हालांकि अन्ततः प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा, आहार, स्कूल स्वस्थ और प्रारंभिक शिक्षा के एक समेकित पैकेज के रूप में परिकल्पित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सभी बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य होना चाहिए, इस प्रकार के व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत कम महिला साक्षरता दरों वाले रोजगार आश्वासन योजना (ई० ए० एस०) ब्लॉकों में प्रारंभिक शिक्षा को आहार संबंधी सहायता से की जा सकती है।
- * यदि प्रारंभिक कवरेज को अधिक व्यापक करना है तो रोजगार आश्वासन योजना वाले सभी ब्लॉकों को या रोजगार आश्वासन योजना वाले सभी ब्लॉकों तथा रोजगार आश्वासन योजना द्वारा शामिल न किए गए परन्तु कम महिला साक्षरता दर वाले आई० सो० डी० एस० ब्लॉकों को शामिल किया जा सकता है।
- * यह भी वांछनीय है कि जिना प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों के सभी ब्लॉकों को शामिल किया जाए।
- * इसके अलावा, किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत ब्लॉकों को किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है जिन्को चुनी गई कसौटी द्वारा छोड़ दिया गया है।
- * I—VIII तक की कक्षाओं को शामिल किया जा सकता है ताकि किए जा रहे शैक्षिक और शिक्षा शास्त्रीय उपायों के साथ-साथ आहार संबंधी सहायता हमारे 21वीं शताब्दी में पहुंचने से पहले 14 वर्ष आयु से नीचे के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन बन सके।
- * केन्द्र पुनः व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अपेक्षित अनाज देकर प्रारंभिक शिक्षा को आहार संबंधी सहायता को कार्यान्वित करने की लागत में हिस्सेदारी करेगा।
- * भारत सरकार शामिल होने वाले क्षेत्रों तथा ब्लॉकों के संबंध में उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर सकती है।

- * प्रत्येक राज्य की उस अनाज के दायरे में उचित आधारभूत ढांचा तथा वितरण प्रणाली सहित अपनी-अपनी विशिष्ट योजना हो सकती है जिसका राज्य भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए विकल्प के अंतर्गत पात्र होगा।
- * आहार संबंधी सहायता के चल रहे कार्यक्रम इन प्राचलों (पैरामीटरों) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- * राज्य को ग्राम/स्कूल तक अनाज को पहुंचाने तथा इक्षुका वितरण सुनिश्चित करके और पकाने-परोसने तथा गर्म भोजन के मामले में सूक्ष्म पोषण तत्वों की आपूर्ति की व्यवस्थाएं करके केन्द्रीय प्रयास को अनुपूरित करना चाहिए।
- * इसके साथ-साथ राज्य प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आहार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबद्ध सेवाओं तथा कार्यक्रमों को अभिसरित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।
- * केन्द्रीय सहायता राज्यों को इस शर्त पर दी जाएगी कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्राचलों की अभिपुष्टि हो तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए की जा रही व्यवस्था संतोषप्रद हो।
- * प्रारंभिक अनाज का आवंटन से वर्ष 1993-94 में I-VIII तक की कक्षाओं में 80 प्रतिशत औसतन उपस्थिति और नामांकन से संबद्ध होता।
- * अनाज के आवंटन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं :—
 - * जिला आवंटन की इकाई होगा,
 - * भारत सरकार द्वारा 3 माह तक की अवधि के लिए प्रति महीने के लिए आवंटन किया जाएगा।
 - ** प्रारंभिक आवंटन वर्ष 1993-94 को निमाही में नामांकन और औसत 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
 - ** किसी राज्य में योजना की शुरुआत के चौथे माह से मासिक आवंटन भारतीय खाद्य निगम (सामान्यतः समयान्तराल 4-5 सप्ताह का है) से प्राप्त अनिश्चित आंकड़े और राज्यों (2 माह के समयान्तराल सहित) से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र और नामांकन के आधार पर किया जा सकता है।
- * भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज उठाने के लिए राज्य सरकारों को तीन माह पहले साधन उपलब्ध कराना। निम्नलिखित आधार पर अग्रिम साधनों का परिकल्पन किया जाएगा :—
 - ** प्रारंभिक अनाज आवंटन,
 - ** यह मानना कि गेहूँ और चावल का आवंटन 50:50 के अनुपात में हो और चावल अच्छी किस्म का हो।
- * भारत सरकार में शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख एजेंसी होगा, राज्य सरकार शिक्षा को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अधिमान्यता देते हुए, किसी भी उचित विभाग को पदनामित कर सकती है।
- * समुदाय और पंचायती राज संस्थाएं, डी० डब्ल्यू० ए० सी० ए० ग्रुप और गैर-सरकारी संगठन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल होने चाहिए ताकि इस योजना को संचालित करने के लिए बड़े कैडर (संवर्ग) को सृजित करना पड़े।

परिवर्णी शब्द और संक्षेपण

ए० एन० पी०	प्रयुक्त आहार कार्यक्रम
बी० डी० ओ०	ब्लॉक विकास अधिकारी
सी० ए० आर० ई०	मर्चेंट अमेरिकी राहत कोर्पोरेशन
सी० आर० एस०	कैथोलिक राहत सेवा
सी० डब्ल्यू० एस०	चर्च विश्व सेवा
डी० डब्ल्यू० ए० सी० आर० ए०	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास
डी० पी० ई० पी०	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
ई० ए० एस०	रोजगार आश्वासन योजना
ई० एन० पी०	व्यापक आहार कार्यक्रम
एफ० ए० ओ०	खाद्य एवं वृषि संगठन
एफ० सी० आई०	भारतीय खाद्य निगम
एफ० पी० एस०	उचित दर दुकान
जी० ई० आर०	सकल नामांकन अनुपात
आई० सी० डी० एस०	समेकित बाल विकास योजना
जे० आर० वाई०	जवाहर रोजगार योजना
एल० एफ० एस०	कम महिला साक्षरता
एम०	मिलियन
एम० डी० एम०	दोपहर का भोजन
एम० टी० एस०	मीट्रिक टन
एन० सी० ई० आर० टी०	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
एम० आई० एस०	प्रबन्ध सूचना प्रणाली
एन० सी० ए० ई० आर०	राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्
एन० जी० ओ०	गैर सरकारी संगठन
एन० एच० ई० एस० एस०	पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण संबंधी सफाई
एन० आई० सी०	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एन० पी० ई०	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एन० एस० एस०	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
पी० डी० एस०	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आर० पी० डी० एस०	पुनः व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आर०	रूपये
एस० सी०	अनुसूचित जाति
एस० डी० ओ०	उप-डिबीजनल अधिकारी

एस० टी०	अनुसूचित जनजाति
यू० ई० ई०	प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
यू० एन० ई० एस० सी० ओ०	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन
यू० एन० आई० सी० ई० एफ०	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक निधि
यू० एस० ए०	संयुक्त राज्य अमेरिका
यू० टी०	संघ राज्य क्षेत्र
वी० ई० सी०	ग्राम शिक्षा समिति
डब्ल्यू० एफ० सी०	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यू० एच० ओ०	विश्व स्वास्थ्य संगठन

विषय सूची

परिवर्णी शब्द और संक्षेपण	पृष्ठ
प्रस्तावना	i-ix
अध्याय I	
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1-4
अध्याय II	
लक्ष्य	5-12
अध्याय III	
दोपहर का भोजन दिया जाना	13-16
अध्याय IV	
विकल्प	17-41
अध्याय V	
संभार तंत्र : एक सारांश	42-46
अध्याय VI	
सामुदायिक सहभागिता	47-48
अध्याय VII	
केन्द्रीय सहायता : पैरामीटर	49-50
संलग्नक	
1. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के प्रावधान के लिए केन्द्रीय सहायता की योजना हेतु दिशा-निर्देश	51-54
2. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभावी संबंधी अनुसंधान निष्कर्ष का पार्श्व-चित्र	55
1. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव अध्ययन के बारे में यू० एस० ए० आई० डी० के अनुरोध पर रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन	55-57
2. आहार और शैक्षिक उपलब्धि	57-58
3. स्कूल आहार कार्यक्रम : भ्रान्तियां और सम्भाव्यता	58-59
4. विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के साथ स्कूल आहार कार्यक्रम : कार्य क्षेत्र और महत्वपूर्ण प्रभाव	59-62
5. राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययन की टिप्पणियों का सारांश	62-63
6. "विकसित देशों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार" से उद्धरण	63-67
7. "तारा परामर्श सेवाओं" द्वारा गुजरात में "उन्नत एम० डी० एम० पी०" के मूल्यांकन से उद्धरण	67-72
3. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम : राज्यों की स्थिति संबंधी टिप्पणियां	73-87

4. सेवाओं का अभिसरण

- | | |
|--|-------|
| (i) केन्द्रीय शिक्षा सचिव द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखा गया पत्र | 88-89 |
| (ii) महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों (समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं) में अन्तः क्षेत्रीय सेवाओं की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण | 89-91 |
| (iii) सामाजिक सुरक्षा : सेवाओं का तालमेल योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए लक्ष्य, नीति और दिशा-निर्देश | 92-97 |

परिशिष्ट

- | | |
|---|---------|
| I. मध्याह्न भोजन विषय पर समिति के गठन से संबंधित आदेश | 98-99 |
| II. मध्याह्न भोजन पर गठित समिति के सदस्यों के नाम | 100-101 |
| III. समिति का सचिवालय | 102 |
| IV. चयनित ग्रंथसूची | 103 |

प्रस्तावना

वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण 1995-96 में निम्नलिखित घोषणा की :—

स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना से न केवल बाल आहार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा बल्कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में भी वृद्धि होगी। कुछ राज्य सरकारें स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजनाओं को संचालित कर रही हैं। प्राथमिक शिक्षा पर इस सरकार द्वारा दिए जा रहे बल के एक भाग के रूप में और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के खाद्य स्टोकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि केन्द्र सरकार को इन योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार में सहभागी होने के लिए इच्छुक होना चाहिए। आवश्यक स्थानीय परिवर्तनों के साथ इसको कार्यान्वित करने की रूपात्मकता को वर्ष 1995-96 से संचालित करने के लिए एक समिति द्वारा तैयार की जाएगी।

2. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में 3-4 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में बुलाए गए राज्य प्रारंभिक शिक्षा सचिवों और मंत्रियों के एक सम्मेलन में अन्वेषणात्मक परिचर्चाएं आयोजित की गई थीं। आहार संबंधी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के चरण-बद्ध कार्यान्वयन की रूपात्मकताएं एक समिति द्वारा तैयार करने की आवश्यकता है।

3. तदनुसार, श्री एस० वी० गिरि, केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति 19 अप्रैल, 1995 को गठित की गई थी। समिति के विचारार्थ विषय केन्द्र सरकार के निर्णय को परिचालित करने हेतु एक योजना तैयार करने के थे जिससे निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए दोपहर के भोजन संबंधी योजनाओं का चरणबद्ध ढंग से विस्तार करने में सहभागी बन सके।

— कवरेज

— लक्षित ग्रुप की पहचान करना

— कार्यान्वयन की रूपात्मकताएं

— कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां

— राज्य सरकारों का अंशदान

— स्थानीय निकायों की भूमिका

— समुदाय की भूमिका

— समेकित बाल विकास योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ संबंध

— स्टाफ सहित स्कूल स्तर पर आधारभूत ढांचा संबंधी सहायता

— कारगरता, निरन्तरता और प्रत्युत्तरता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्राचल (पैरामीटर्स)

— चरणबद्ध विस्तार, और

— अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए तंत्र

4. समिति गठित करने से संबंधित आदेश की एक प्रति परिशिष्ट-I में दी गई है। समिति के सदस्यों के नाम परिशिष्ट II पर दिए गए हैं। समिति के सचिवालय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट III पर दी गई है।

5. इस समिति की 4, 10, 17 और 24 मई, 1995 को चार बैठकें आयोजित की गईं और गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जिनके प्रतिनिधि इस समिति में थे, को छोड़कर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने राज्य में दोपहर भोजन संबंधी योजनाओं यदि कोई हो तो को संचालित करने के संबंध में सूचना तथा दोपहर के भोजन संबंधी योजना कि विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार की चरणबद्ध सहायता पर विचार भेजें। समिति ने इस विषय पर पर्याप्त साहित्य का अध्ययन भी किया था जिसमें विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टें भी शामिल हैं। एक चयन सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है।

अध्याय 1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 भारत में दोपहर के खाने की अवधारणा का एक लम्बा इतिहास रहा है। 1925 में मद्रास निगम क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए एक मध्याह्न खाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1928 में कलकत्ता केशव अकादमी ने प्रति महीने प्रति बच्चे को चार आने की दर पर भुगतान के आधार पर स्कूली छात्रों के लिए एक आवश्यक मध्याह्न टिफिन की योजना शुरू की थी। 1941 के केरल के कुछ भागों में स्कूली लंच कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1942 में बंबई में मुफ्त दोपहर के खाने की एक योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। 1946 में बंगलौर में दोपहर के खाने की एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें पके हुए चावल और दही प्रदान की जाती थी। 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसके स्वेच्छा के आधार पर ऐसा खाना दिया जाता था जिसमें उबले, भुने अथवा अंकुरित चने मूंगफली, मुरमुरे, उबले आलू अथवा मौसम के फल शामिल थे। 1950 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे यूनीसेफ, एफ० ए० ओ० और डब्ल्यू० एच० ओ० की सहायता से कई राज्यों में दोपहर के खाने की योजना शुरू की गई। इन कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करने के लिए कैथोलिक रिलिफ सेवाएं (सी० आर० एस०) चर्च वर्ड सर्विस (सी० डब्ल्यू० सी०), सी० ए० आर० ई०, मिलियनों के लिए यू० एस० ए० की मील जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक/थैरिटी संगठन आगे आए। वर्ष 1958-59 के दौरान एफ० ए० ओ०, डब्ल्यू० एच० ओ०, यूनीसेफ और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक आहारसंबंधी कार्यक्रम शुरू किया गया था। जोकि बाद में प्रयुक्त आहार कार्यक्रम के रूप (ए० एन० पी०) में परिवर्तित हो गया था।

1.2 राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन संबंधी कार्यक्रम के विचार पर एक दशक से ज्यादा समय से बार-बार विचार होता रहा है। खाद्य और कृषि संगठन भी वस्तु संबंधी सहायता के साथ "अध्ययन के लिए खाद्य" के मत पर चर्चा की गई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता था।

1.3 1983 में, अंतर् मंत्रालीय परामर्श के बाद केन्द्र सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू० एफ० वी०) की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार एक योजना तैयार की थी। इस योजना के अनुसार उन 15 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में I-V तक की कक्षाओं के 13.6 मिलियन अनुसूचित जाति के बच्चे और 10.09 मिलियन अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शामिल करना था, जहां पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन 79 प्रतिशत से कम था। एक वर्ष के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त सहायता के रूप में अपेक्षित खाद्य सामग्री अनुमानित 392, 696 मीटरक टन अनाज था, 19,635 खाद्य/वटर आयल और 19,635 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर था। आर्थिक सहायता के रूप में कुल वार्षिक लागत 163.27 मिलियन डालर थी (अमेरिकी डालर 9.50 रुपये थी की विनिमय दर पर 1551.17 मिलियन रु०) थी। यातायात, प्रबंध, कुकिंग आदि जैसी अन्य लागत को राज्य सरकारों द्वारा ही वहन किया गया था। इस प्रस्ताव को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परिचालित किया गया था। अनेक राज्य इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के इच्छुक थे। तथापि कुछ राज्यों ने कुछ कठिनाइयां व्यक्त की। उदाहरण के तौर पर राजस्थान ने सूचित किया कि यदि विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता वापिस ले ली जाती है तो राज्य अपने खर्च पर इस कार्यक्रम को चलाए के लिए समर्थ नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाना व्यवहारिक नहीं होगा।

1.4 देश भर के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन हेतु केन्द्रीय सरकारी सहायता संबंधी कार्यक्रम पर वर्ष 1984-85 के दौरान दुबारा विचार किया गया था। कार्यक्रम के व्यापक मूलाधार निम्नलिखित थे :

* प्राथमिक स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन संबंधी कार्यक्रम को गरीबों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के रूप समझा जाएगा

* 6-11 आयु वर्ग के इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन होने से नामांकन में वृद्धि हो सकती है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दरों में कमी की जा सकती है और यह प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

- * यह ग्रामीण क्षेत्रों में कम भोजन पाने वाले तथा कम पोषक आहार पाने वाले बच्चों को आहार प्रदान करने में सहायता करेगा, स्कूलों में बच्चों को भोजन की व्यवस्था गरीब परिवारों, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनाज की आपूर्ति भी करेगी जिसके परिणाम स्वरूप यह मानव संसाधन में एक निवेश भी होगा।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- * प्राथमिक स्कूल के बच्चों को चरणबद्ध ढंग से शामिल करना ताकि 7वीं योजना के अंत तक 9.54 करोड़ बच्चों को शामिल किया जा सके, संपूर्ण योजना अवधि के लिए अनुमानित व्यय 4000 करोड़ रु० है।
- * बच्चों को 12-15 ग्राम प्रोटीन सहित प्रति दिन 300 कैलोरी का एक समान ही आहार देने की व्यवस्था (100 ग्राम अनाज, 10 ग्राम दाल और 5 ग्राम खाद्य तेल);
- * प्रशासन पर खर्च सहित प्रति बच्चा व्यय 60 पैसा होगा;
- * भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय निर्गम मूल्य दर अनाज मुहैया कराना जिसका मूल्य राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में से गिना जाएगा, वर्ष 1989-90 के लिए अनुमानित केन्द्रीय सहायता 823.50 करोड़ रु० होगी।
- * कोई विस्तृत प्रशासनिक आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया जाएगा;
- * मौजूदा नागरिक आपूर्ति वितरण प्रणाली के साथ योजना के कार्यान्वयन का संबंध स्थापित करना;
- * माल के रूप में राशन की आपूर्ति और राज्य कोआपरेटिव एजेंसियों के माध्यम से इनका वितरण।
- * केन्द्रीय सहायता अधिकतम 50 प्रतिशत तक होगी;
- * प्रत्येक राज्य की समुचित आधारभूत ढांचा व वितरण प्रणाली सहित प्राचलों के अधीन होगी।
- * चरणबद्ध ढंग से सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित होने वाली योजना;
- * कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाने वाली निधियों को शिक्षा शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- * गरीबी उन्मूलन योजना के लिए निर्धारित प्रावधानों से कार्यक्रम के लिए अपेक्षित निधियां आएंगी।
- * हालांकि चावल और गेहूं की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जा सकती है; जबकि राज्यों को दालों और तेल की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी।
- * राज्यों को उपयुक्त संभार तंत्र विकसित करने चाहिए और रसोइयों, सहायकों, प्रशासन, निरीक्षण तथा अनुश्रवण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
- * समेकित बाल विकास योजना वाले ब्लॉकों से इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत करना, समेकित बाल योजना के अन्तर्गत विकसित अनुश्रवण तंत्र को ही मध्यम भोजन योजना के लिए अपनाना। इसके अनुकूल बनाकर अपनाना;
- * योजना के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी।

8. यह भी स्वीकार किया गया कि इस योजना में लीकेज की संभावनाएं, भवनों की अपर्याप्तता, शिक्षकों का उपस्थित न होना, स्कूल न जाने वाले बच्चों की भागीदारी, प्रभारियों द्वारा दुरुपयोग आदि जैसी कुछ अन्तर्निहित समस्याएं हैं। बर्थापि यह माना गया कि कार्यक्रम के चलने के साथ समस्याएं हल हो जाएंगी। योजना आयोग ने सातवीं पंच

वर्षीय योजना के दौरान योजना के कार्यन्वयन के लिए मार्ग-दर्शी रूपा रेखाओं का एक सेट तैयार किया था। यह अनुबंध 1 पर दिया गया है। तथापि कार्यक्रम को सातवीं योजना के भाग के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था और न ही वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था। जिसके पीछे स्पष्ट कारण का संसाधनों का अभाव।

1.5 पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1986 में मध्याह्न भोजन की कवरेज के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रकाशित किए थे निःशुक्र मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूल 13.67 मिलियन अथवा 15.91 प्रतिशत छात्रों और उच्च प्राथमिक स्कूल के 7.07 मिलियन अथवा 25.93 प्रतिशत छात्रों को प्रदान किया गया था प्राथमिक स्तर पर राज्य-राज्य के बीच फीचर कवरेज में अंतर इस प्रकार है :—मणिपुर में शून्य, सिक्किम में 46.14 प्रतिशत, तमिलनाडु में 47.55 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल 47.48 प्रतिशत, दार्जिलिंग और मयूर हवेली में 53.23 प्रतिशत, त्रिपुरा में 56.07 प्रतिशत और लक्ष्य द्वीप 59.94 प्रतिशत। 27.9 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों, 24.28 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों, 7.20 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों और 11.82 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्कूलों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया था शहरी क्षेत्रों में 24.75 प्रतिशत प्राथमिक, 20.19 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 6.31 प्रतिशत माध्यमिक और 11.84 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्कूलों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में 28.28 प्रतिशत, प्राथमिक, 25.06 प्रतिशत उच्च माध्यमिक, 7.51 प्रतिशत माध्यमिक और 11.48 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान था। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के 22.6 मिलियन छात्र ऐसे थे जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, जिनमें से 78.41 प्रतिशत छात्र ग्रामीण स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे, 40.98 प्रतिशत छात्राएं थी, 20.05 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति के थे और 12.81 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जनजाति के थे।

1.6 दिसम्बर, 1988 में शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की बहुलता वाले समेकित बाल विकास योजना वाले 994 ब्लॉकों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। यह सुझाव दिया गया था कि पीछे प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए 1/- रु० प्रति बच्चा प्रति दिवस के हिसाब से आदिवासी और अनुसूचित जाति की बहुलता वाले सभी आई सी डी एस ब्लॉकों (994) में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है तो वार्षिक व्यय लगभग 277.32 करोड़ रु० आएगा। इस योजना के लिए मार्गदर्शी रूपा रेखाओं के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित थे। जो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पूर्व मार्गदर्शी रूपा रेखाओं पर आधारित है।

*योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए।

*मध्याह्न भोजन सभी स्कूल कार्य दिवसों में प्रदान किया जाएगा।

*मध्याह्न भोजन के लिए राशन निम्नलिखित होगा :

(क) अनाज	100 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा
(ख) दाल	10 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा
(ग) खाद्य तेल	5 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा
(घ) ईंधन	

* सी ए आर ई सहायता यदि कोई है, तो उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

* स्कूलों में अनाज और यथा संभव दाल, खाद्य तेल और मसालों की आपूर्ति प्राधिकृत अन्य एजेंसियों के माध्यम से की जानी चाहिए, राज्य सरकारें नागरिक आपूर्ति निगमों, सरकारी एजेंसियों अथवा अन्य विभागीय निर्गमों जैसे आधारभूत वितरण ढांचों का उपयोग कर सकती हैं, भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय निर्गम दरों पर अपने भण्डार मृहों इस प्रयोजनार्थ नामित की गई राज्य सरकार की एजेंसियों को गेहूं तथा चावल का स्टॉक वितरित करेगा।

* यथासंभव मध्याह्न भोजन के लिए गेहूं का उपयोग किया जाना चाहिए चावल की आपूर्ति प्रमुख रूप से चावल प्रधान क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए राज्य स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य अनाजों का उपयोग कर सकते हैं।

* राज्यों को रसोइयों, सहायकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था करनी चाहिए जहां तक संभव हो सके रसोइया महिला होनी चाहिए। रसोइया तथा सहायक उसी गांव के होने चाहिए। राज्य को खाद्य सामग्री के भंडारण, खाना पकाने और परोसने की आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

*अधिकतम जन सहयोग लिया जाना चाहिए और इसमें सामग्री तथा भोजन सेवा के कार्य को ठीक तरह से संचालन की देख-रेख के लिए स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

- * योजना के प्रबंध के लिए प्रशासनिक तंत्र की समानान्तर व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। शक्तियों के पूर्ण संभव प्रत्यायोजन के साथ मौजूदा आधारभूत ढांचा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- * जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षण समिति होनी चाहिए, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए जिसके सदस्य विभिन्न संबंधित विभागों के होने चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर भी विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित अनुश्रवण समिति होनी चाहिए।

1.7 1990-91 में 17 राज्य सरकारों भिन्न-भिन्न कवरेज के साथ 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही थी। बारह राज्य अर्थात्, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, अपने स्वयं के संसाधनों से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे थे। तीन राज्यों अर्थात् कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम कुछ हद तक अपने संसाधनों से और आंशिक रूप से सी ए आर ई की सहायता से चलाया जा रहा था दो राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान केवल सी ए आर ई की सहायता से कार्यक्रम को चला रहे थे और सहायता न मिलने पर कार्यक्रम बन्द कर दिया।

अध्याय 2

लक्ष्य

2.1 भारतीय संदर्भ में, मध्याह्न भोजन की योजना के दो लक्ष्य हैं, (1) स्कूली बच्चों के आहार में सुधार करना और (2) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभकरण की दिशा में अभियान तेज करना।

स्कूल जाने वाले बच्चों की आहार सम्बंधी स्थिति

2.2 6-11 तक की आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों की आहार स्थिति के संबंध में सूचना आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा (1990-92) के आठ राज्यों में राष्ट्रीय आहार अनुश्रवण ब्यूरो द्वारा आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और आहार सर्वेक्षणों द्वारा प्रदान की गई है। सर्वेक्षण किए गए केवल 5.57 प्रतिशत बच्चों की आहार संबंधी स्थिति सामान्य है जबकि शेष में कुपोषण की स्थिति अलग अलग है। सारणी 2.1 और चार्ट-1 को देखें) 12.22 प्रतिशत लड़के और 15.59 प्रतिशत लड़कियां अत्याधिक कुपोषण की शिकार हैं। पोषाहार स्थिति का वर्गीकरण आयु के अनुसार मानक वजन पर आधारित था, आयु के अनुसार किसी वजन के तथा मानक वजन से अधिक वजन के 90 प्रतिशत बच्चों का वर्गीकरण "सामान्य" पोषाहार की श्रेणी से संबंधित के रूप में किया जाता है, शेष को कुपोषित मान लिया जाता है। 75-90 प्रतिशत वजन मानदण्ड को अल्प मात्रा के कुपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, 60-75 प्रतिशत मध्यम मात्रा तथा 60 प्रतिशत से कम को अधिक मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इन बच्चों की खुराक लेने की पद्धति का मूल्यांकन 24 घंटे की स्मृति वेधि के द्वारा किया गया। यह देखा गया कि बच्चों में लगभग 628 कैल ऊर्जा तथा 6-7 ग्राम प्रोटीन की कमी हुई। ऊर्जा अन्तराल दैनिक कैलोरी आवश्यकता का लगभग 1/3 था यदि ऊर्जा अन्तराल को पूरा किया जाये तो प्रोटीन अन्तराल स्वतः ही पूरा हो जाएगा। खुराक लेने के संबंधी आंकड़े सारणी 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 2.1

6-11 वर्ष के ग्रामीण बच्चों की आहार संबंधी स्थिति
(मानदण्ड : आयु के लिए भार)


लिंग	कुपोषण की मात्रा के पोषणिक ग्रेडों के साथ बच्चों का प्रतिशत			
	अधिक	स्तुलित	कम	सामान्य
लड़के	12.22	53.83	28.53	5.42
लड़कियां	15.59	50.45	28.23	5.73
संयुक्त	13.89	52.16	28.38	5.57

* एन सी एच एस के आंकड़ों को संदर्भ हेतु मानक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

स्त्रोत : आठ राज्यों (1990-92) में एन एन एम बी (ग्रामीण) सर्वेक्षण ।

चार्ट-1

बच्चों (6-11 वर्ष) का वर्गीकरण
पोषणिक स्थिति के अनुसार (मानबन्ध) : आयु भार के हिसाब से वजन



सी० एच० एस० मानक

स्रोत : आठ राज्यों में एन० एन० एम० बी० (ग्रामीण) सर्वेक्षण (1990-92)

सारणी 2.2

6-11 वर्ष की आयु के ग्रामीण बच्चों का औसत प्रोटीन तथा कैलोरी उपभोग

आयु (वर्ष)	लड़के		लड़कियां	
	प्रोटीन(ग्राम)	कैलोरी (कैल)	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी (कैल)
5-6	28.45	1102	27.86	1070
6-7	31.00	1163	29.20	1104
7-8	32.56	1252	31.45	1211
8-9	36.50	1379	36.08	1380
9-10	37.85	1458	37.55	1443
औसत उपभोग	33.1	1272	32.8	1257
औसत आर डी आई	39.5	1903	40.0	1866

		प्रोटीन (जी)	कैलोरी (कैल)
औसत कमी	लड़के	6.4	630
	लड़कियां	7.2	609
पुल तैयार करना		6.8	620

आर डी आई अनुशंसित खुराक उपभोग

2.3 डा० डी० अग्रवाल तथा अन्यो (1989) द्वारा पहले किए गए अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि निर्धन तथा ग्रामीण आबादी के स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण व्याप्त है। इन अध्ययनों से विटामिन "ए" की कमी के मामलों की प्रचुरता का पता चला है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 4.1 प्रतिशत स्कूली बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित थे जो एक विकसित स्थिति का संकेत है। प्रख्यात पोषाहार वैज्ञानिक सी गोपालन के अनुसार ग्रामीण स्कूलों के कम से कम बीस प्रतिशत बच्चे किसी दिए हुए समय में कर्ण शोध, गल शोध, गठिय ग्रस्त, हृदय रोग, इत्यादि जैसे चिरकालीन या तीव्र संक्रमणों से पीड़ित विकासशील देशों में कुपोषण तथा परजीवी की व्यापकता की पुस्तक सूची की टिप्पणी से स्पष्ट है कि स्कूल जाने वाले आयु के 48.4 प्रतिशत बच्चे दीर्घ अवधि से कुपोषण के शिकार हैं, 69.4 प्रतिशत आयरन की कमी 55.0 प्रतिशत आयोडीन की कमी तथा 48 प्रतिशत पैर साईट से पीड़ित हैं। कुछ दक्षिण एशियाई देशों की तुलनात्मक स्थिति सारणी 2.3 में दर्शाई गई है। हालांकि देशों में या कनियों में तुलना करने समय सावधानी बरती जानी चाहिए।

2.9 भारत ने किसी भी तरह से सन 1947 से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (वू ई ई) के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक बड़ी सफलता हासिल की है। संस्थाओं के प्रसार, शैक्षिक अफसरों की भागीदारी तथा समानता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। स्वतन्त्रता के बाद से साक्षरता दर तिगुनी हो गई है। एक किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूलों की पहुंच वाली 95 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए प्राथमिक अवस्था के स्कूल पहुंच के लक्ष्य को तत्काल: प्राप्त कर लिया गया है। देश में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1993-94 में प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या 223 हजार से बढ़ कर 728 हजार हो गई है।

2.10 वर्ष 1993-94 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले में 19.2 मिलियन से 108.2 मिलियन तक लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है, अपर प्राथमिक स्तर पर 3.1 मिलियन से 39.9 मिलियन की वृद्धि हुई है। दाखिले के आंकड़ों के एक विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राथमिक से अपर प्राथमिक स्तर तक जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1993-94 में 16.3 प्रतिशत से 42.5 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हुई है। 6-11 आयु समूह के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1993-94 में 42.6 प्रतिशत से 104.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए 11-14 आयु समूह के सकल नामांकन में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1993-94 में 12.7 से 67.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.11 हालांकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक दृढ़ क्षेत्रीय आयाम है। यद्यपि, संपूर्ण देश में तथा अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जी० ई० आर०) 100 प्रतिशत से अधिक है तथापि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यह अनुपात बहुत कम है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इन अधिकांश राज्यों की साक्षरता दरें भी राष्ट्रीय औसत से कम है। स्कूल बीच में छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की दरें, गिरने के बाद भी ऊंची होती रहने से समस्या उलझ जाती है। वर्ष 1993-94 के आंकड़ों के अनुसार कक्षा I में प्रवेश पाने वाले 36.32 प्रतिशत बच्चे कक्षा V तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं तथा 52.80 प्रतिशत बच्चे कक्षा VIII तक पहुंचने से पहले स्कूल बीच में छोड़ देते हैं। स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों में क्षेत्रीय विषमतायें भी अधिक होती हैं।

2.12 किसी भी शैक्षिक संकेतक तक के अनुसार, नामांकन तथा स्कूल में रोके रखने के संबंध में लैंगिक असमानताएं स्पष्ट हैं। वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 1993-94 में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में 5-4 मिलियन से 46.4 मिलियन तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 0.5 मिलियन से 15.7 मिलियन तक की वृद्धि हुई है। लड़कियों के नामांकन की विकास की दर लड़कों की तुलना में अधिक ऊंची रही है किन्तु विषमतायें अब भी हैं—प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन अब भी केवल 42.88 प्रतिशत तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 39.34 प्रतिशत है। प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर स्कूल बीच में छोड़ देने की लड़कियों की दर लड़कों की तुलना में कहीं अधिक है।

2.13 लैंगिक विषमताओं के क्षेत्रीय आयाम भी हैं। उच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों (50 प्रतिशत से अधिक) ने सब मिल कर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन किया है। अपर प्राथमिक नामांकन के संबंध में भी केरल, गोवा, पंजाब तथा तमिलनाडु की स्थिति बहुत अच्छी है। मध्यम महिला साक्षरता वाले राज्यों में (40-50 प्रतिशत) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है। निम्न महिला साक्षरता वाले राज्यों में (20-40 प्रतिशत) स्थिति चिन्ताजनक है। इन राज्यों में देश की आधी से अधिक आबादी निवास करती है, केवल चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान) में देश की 40 प्रतिशत आबादी है।

2.14 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का तीव्र आयाम शैक्षिक शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सहभागिता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति (एस सी) 138.2 मिलियन (16.33 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (एस टी) 67.8 मिलियन (8.01 प्रतिशत) थे। सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में समुचित रूप से वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर पर अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहभागिता आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में अधिक या कम है। स्कूल बीच में छोड़ देने की दरें, वर्षों से कम होने के बावजूद काफी अधिक है। सभी संदर्भों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आबादियों समरूपी लक्ष्य समूह नहीं है। क्षेत्रीय दृष्टि से विभिन्न अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच व्यापक भिन्नतायें हैं। इस प्रकार केरल में अनुसूचित जाति की लड़कियां कुछ अधिक पिछड़े राज्यों तथा जिलों के गैर-अनुसूचित जाति के लड़कों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी स्थिति में हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में लैंगिक विषमतायें बिल्कुल स्पष्ट हैं।

2.15 हालांकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ठोस प्रयास किये जा रहे हैं, तथापि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य अभी तक बहुत दूर है। नामांकन की प्रवृत्तियों पर हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पिछली प्रवृत्तियों द्वारा सन् 2006 तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है। अपर प्राथमिक स्तर पर और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सकल नामांकन के लिए जरूरी प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5) में सार्वभौमिक सहभागिता को प्राप्त करने की संभावना 2001 तक है। (अरुण सी० मेहता 1994) यह जरूरी नहीं कि अतीत भविष्य का मार्गनिर्देशन करें और न उसे यह करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र को प्रवृत्तियों को तेज करने के लिए जरूरी अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में की गई परिकल्पना के अनुसार हमारे 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले ही हम 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए संतोषजनक स्तर की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित कर सकें।

2.16 यदि हमें प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उन कारणों का ईमानदारी से पता लगाना होगा जो शैक्षिक प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता को रोकते हैं। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण के 42वें चक्र में (जुलाई 1986—जून 1987) नामांकन न किए जाने तथा स्कूल बीच में छोड़ देने के कारणों पर मुख्यतः जानकारी उपलब्ध है। स्कूली सुविधाओं के न होने के कारण ग्रामीण भारत में 10 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के लगभग 8 प्रतिशत बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग भेद बहुत कम रहा है किन्तु शहरी क्षेत्रों में यह कुछ ज्यादा है। ग्रामीण तथा शहरी भारत के लगभग 30 प्रतिशत बच्चे 'रूचि न होने' के कारण कभी नामांकित नहीं हुए। लगभग 52 प्रतिशत शहरी लड़के तथा 29 प्रतिशत शहरी लड़कियां घरेलू आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने या अन्य आर्थिक कारणों से शैक्षिक सुविधाओं का लाभ वहीं उठा सके। घरेलू कामकाजों को करने के कारण ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लगभग एक प्रतिशत लड़के हमेशा से विद्यार्थियों के रूप में नामांकित थे। ग्रामीण क्षेत्र के 60.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के 20.3 प्रतिशत स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ देने का कारण असफल हो जाना बताया। इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि गैर नामांकित बच्चों के अनुपात में कमो आती है जबकि प्रति व्यक्ति घरेलू आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गतिरोध के लिए कारण-वार स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों के प्रतिशत का वितरण सारणी 2.4 में दिशा गया है। इतना कहना ही काफी है कि गैर सहभागिता के आर्थिक तथा गैर आर्थिक कारण लगाना समान रूप से उत्तरदायी है।

सारणी 2.4

गतिरोध के लिए स्कूल बीच में छोड़े जाने वाले बच्चों का कारण-वार प्रतिशत वितरण
राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण 42वां चक्र, जुलाई 1986—जून, 1987

गतिरोध के कारण	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
शिक्षा/अध्ययन आगे जारी न रखने के इच्छुक	26.6	33.3	23.6	28.5
घरेलू आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने वाले	26.8	9.4	22.8	6.7
अन्य आर्थिक कारण	20.6	15.0	24.2	15.4
घरेलू कामकाज	2.0	14.3	2.2	15.9
असफल	18.4	16.7	21.3	18.8
अन्य	5.6	11.5	6.0	14.7
पूर्ण योग	100.00	100.0	100.0	100.0

2.17 वर्ष 1993 के राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) के सर्वेक्षण में स्वागत योग्य तथ्य प्रकाशित हुआ है कि सभी राज्यों में वर्ष 1986 से "कभी नामांकित न हुए" बच्चों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में तथा केरल और तमिलनाडु का तो कहना ही क्या, यह अनुपात नगण्य स्तर तक पहुंच गया है। तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में ये स्तर अभी तक अत्यधिक ऊंचे हैं।

2.18 स्कूल बीच में छोड़ देने की दर में कमी लाने के लिए रणनीति को बहुआयामी बनाना है। कार्यनीति के छः तत्व जिन पर प्रयास किया जा रहा है वे हैं :—(1) अभिभावकों में जागरूकता तथा सामुदायिक प्रेरणा का सृजन करना, (2) 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानिक मशीनरी का उपयोग, (3) शिक्षा की लागत को चुकाने के लिए निर्धन परिवारों की सहायता करने हेतु आर्थिक नवाचारों का प्रावधान, (4) समेकित बाल विकास योजना (आई० सी० डी० एस०) प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा शिशु विहार के क्षेत्रों में सेवाओं की अभिमुखता, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूल कलैण्डर समायोजन, आकर्षक स्कूल वातावरण तथा शिक्षक अभिप्रेरण और प्रशिक्षण के माध्यम से बाल केन्द्रित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा आनन्द-दायक बनाना, और अंत में, (5) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नवाचार का कार्यान्वयन जो निम्न महिला साक्षरता जिलों पर तत्त्वतः लक्षित है।

2.19 संविधान में दिए गए निःशुल्क शिक्षा को "कोई शुल्क नहीं" प्रणाली के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि शिक्षा निःशुल्क हो तब भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागतें इतनी हो सकती हैं कि नामांकन तथा शिक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों तथा यूनीफार्मों की आपूर्ति जैसे कई नवाचार कई राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्यक्ष लागतों को कम करने के लिए लक्षित समूहों के लिए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रभावी शिक्षा के लिए आकस्मिक खर्चों को वहन करने में निर्धन परिवारों की सहायता के लिए उचित प्रकार से तैयार की गई पोषाहार सहायता एक अतिरिक्त नवाचार हो सकता है तथा उसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए आवश्यक आर्थिक, शिक्षा संबंधी तथा संस्थानिक उपायों के पैकेज का एक घटक हो सकता है। स्थानीय समुदाय की सहयोगी भूमिका के बिना पोषाहार सहायता का प्रभावी वितरण संभव नहीं है। यह एक शुभ संकेत है कि 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुपालन में बुनियादी स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार बनाने में एक सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए स्थानीय समुदायों विशेषकर अधिक संख्या में महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ अन्य नवाचार जिनमें प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्य की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता शामिल है, सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से शिक्षा के लिए मांग में वृद्धि और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आय के छः प्रतिशत के आबंटन के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के सरकार के निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक नयी महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई है। "हरित क्रान्ति" की सफलता तथा विस्तृत पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास ने भी शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के लिए परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाया है। अतः प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषाहार कार्यक्रम के लिए अब उपयुक्त समय है। लेकिन हमें यह ब्यात याद रखनी है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना है कि नवाचारी योजनाओं का स्थानों में बेहतर वितरण हो, प्रक्रियायें बोलिबल ब हो, वांछित परिवारों तक वांछित लाभ समय में तथा पूरी मात्रा में पहुंचने चाहिए।

2.20 समेकित बाल विकास योजना ((आई० सी० डी० एस०) के माध्यम से, जो कि सर्वसुलभीकरण के मार्ग में है, निर्धन परिवारों के स्कूल जाने से पहले बच्चों के लिए एक विस्तृत पोषाहार सहायता के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता पूर्व-स्कूल स्तर पर प्रयासों की निरन्तरता में एक प्रयास होगा।

2.21 शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता कार्यक्रम लोगों के सामान्य स्वास्थ्य के सुधार पर लक्षित, अपनी प्रकृति में निर्धनता कम करने के उपायों के कुछ पैकेज का एक भाग है। इस लिए इस प्रकार के कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को देखना उचित नहीं होगा जो शिक्षा बजट पर स्सुपुर्द हो, चाहे वह केन्द्र का हो या राज्यों का। किसी भी मामले में, शैक्षिक व्यय के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषाहार की सहायता पर किसी भी समय परिव्यय नहीं था। यह कोठारी आयोग के नाम से अधिक लोकप्रिय शिक्षा आयोग (1964-66) ही था जिसने शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के छः प्रतिशत के मानक खर्च को निर्धारित किया, यह वह अवधारणा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में तैयार की गई है तथा जिसके नवी योजना के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। कोठारी आयोग के निष्कर्षों में पोषाहार सहायता पर खर्च करने की संभावना को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर पोषाहार के लिए केन्द्रीय राज्यों की सहायता को छः प्रतिशत मानक के संचालन से प्राप्त होने वाले निवेश से बाहर होना चाहिए।

अध्याय--III

दोपहर का भोजन दिया जाना

3.1 योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 1994 से तेरह राज्यों तथा पांच संघ शासित क्षेत्र दोपहर के भोजन कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। सभी चार राज्यों तमिलनाडु (देश में शामिल किए गए संपूर्ण बच्चों का 36.13 प्रतिशत), केरल (13.67), गुजरात (12.89) तथा कर्नाटक (6.35) में 20.48 मिलियन बच्चे शामिल किए गए जो शामिल किए गए बच्चों का 86.35 प्रतिशत था (सारणी 3.1 देखिये)।

सारणी 3.1

दोपहर के भोजन के कार्यक्रम : 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार राज्यवार भौतिक कवरेज विवरण

क्र० सं०	राज्य	कवरेज (आंकड़े मिलियन में)
1.	गोवा	0.007
2.	गुजरात	2.6
3.	कर्नाटक	1.3
4.	केरल	2.8
5.	मध्य प्रदेश	0.951
6.	महाराष्ट्र	0.173
7.	मिजोरम	0.020
8.	नागालैंड	0.015
9.	उड़ीसा	0.752
10.	सिक्किम	0.039
11.	तमिलनाडु	7.4
12.	त्रिपुरा	0.320
13.	पश्चिम बंगाल	3.6
कुल (राज्य)		19.977
संघ शासित प्रदेश (सं० प्र०)		
14.	चण्डीगढ़	0.029
15.	दमन व दीयु	0.007
16.	दिल्ली	0.365
17.	पांडिचेरी	0.103
कुल (संघ शासित प्रदेश)		0.504
कुल योग (राज्य और संघशासित क्षेत्र)		20.481

3.2 संचालित किए जा रहे दोपहर का भोजन कार्यक्रम के संबंध में सूचना तथा केन्द्र सरकार दोपहर का भोजन कार्यक्रम के चरणबद्ध विस्तार को किस ढंग से सहायता पहुँचा सकती है इस संबंध में अपनी-अपनी राय देने के लिए सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया। बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडिचेरी से जवाब प्राप्त हो चुके हैं। हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, और राजस्थान में यह कार्यक्रम लागू नहीं है।

3.3 राज्य सरकारों द्वारा भेजा गया ब्यौरा सारणी 3.2 में उपलब्ध है। राज्यों की विस्तृत टिप्पणियाँ अनुलग्नक III में दी गई हैं।

सारणी-3.2

दोपहर के भोजन की विद्यमान योजना का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	राज्य	स्कोप एवं कवरेज	लाभग्राहियों की वास्तविक सं०	दिए जा रहे भोजन का प्रकार	उष्मीय (कैलोरी) मान	इकाई लागत
1	2	3	4	5	6	7
1.	तमिलनाडु	(1) आयु वर्ग (2-4 वर्ष)	12,00,000	गर्म भोजन	(1) 405	(1) 0.95
		(2) आयु वर्ग (5-9 वर्ष)	43,00,000		(2) 500	(2) 1.09
		(3) आयु वर्ग (10-15 वर्ष)	19,00,000		(3) 600	(3) 1.22
			74,00,000			
2.	गुजरात	सभी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 1-5) के बच्चे	27,00,000	गर्म भोजन	450	1.50
3.	बिहार	कामकाजी बच्चे	23,800	गर्म भोजन	---	5.40
4.	कर्नाटक	सभी राजकीय प्राथमिक स्कूल (कक्षा 1-5)	37,00,000	पूर्व प्रसंस्कारित + कच्चा खाद्य पदार्थ	---	---
5.	पांडिचेरी	राजकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल (1-8)	1,03,007	गर्म भोजन		1.80 (स्कूलों में)
6.	पश्चिम बंगाल	प्राथमिक स्कूल के बच्चे (6-11 वर्ष)	31,86,000	(1) पूर्व प्रसंस्कारित (75 ग्राम)		1.75 (डाकरा)
				(2) गर्म भोजन पूर्व प्रसंस्कारित		1.00
7.	दिल्ली					

3.4 तमिलनाडु, पांडिचेरी, बिहार और गुजरात में भोजन या तो स्कूल में ही तैयार होता है या इसके आस पास तैयार होता है तथा स्कूलों में गर्म-गर्म परोसा जाता है जबकि कर्नाटक और दिल्ली में पहले से पकाया गया भोजन दिया जाता है। वस्तुतः कर्नाटक में दो प्रकार के भोजन प्रदान किए जाते हैं: एक खाने के लिए तैयार प्रसंस्कारित उर्जा वाले भोजन तथा सोया मिश्रित गेहूं का आटा, गेहूं के दाने के रूप में कच्चा भोजन पदार्थ जिसे एक किलो के घर ले जाने वाले पैकेटों में प्रति माह आठ महीने के लिए जारी किया जाता है। गुजरात में 1990-92 के दौरान पका पकाया भोजन

देने का काम छोड़ दिया गया था, इसके स्थान पर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित 70% हाजिरी होने पर गरीब परिवार के स्कूली बच्चों को प्रति परिवार 10 किलो की दर से गेहूं वितरित किया जा रहा था। बाद में राज्य में पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था फिर से चालू कर दी गई। पश्चिम बंगाल में दोनों का मिश्रित रूप अपनाया गया है, कलकत्ता और कई अन्य जिलों में ब्रेड तथा कुछ अन्य जिलों में पका-पकाया भोजन।

3.5 गर्म भोजन की सूची में बहुत अधिक किस्में हैं। यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। तमिलनाडु में पका हुआ चावल तथा दाल, सोया और सब्जियों, मशालों व तेल से बना सांबर प्रदान किया जाता है। दोपहर के नियमित भोजन के अलावा प्रत्येक पखवाड़े में एक बार उबला हुआ एक अंडा भी प्रदान किया जाता है। गुजरात में भोजन में गेहूं या ज्वार या बाजरा या मक्का, चावल, दालें, पकाने का तेल, सब्जियां तथा मशाले शामिल होते हैं। व्यंजन सामग्री के बारे में निर्णय प्रतिदिन स्थानीय तौर पर होता है। पश्चिम बंगाल में पके पकाए भोजन की श्रेणी के अंतर्गत फूला हुआ गेहूं तथा सलाद तेल प्रदान किया जाता है। पांडिचेरी में भोजन में चावल, सांबर तथा पोरियल शामिल होता है।

3.6 दोपहर का भोजन कार्यक्रम में बिहार एकदम अलग है। यहां लाभग्राहियों को सप्ताह में दो बार सोमवार और बुधवार को प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम मांस दिया जाता है। प्रतिदिन के व्यंजन सूची में गेहूं, दाल, मशालों व पकाने के तेल के साथ सब्जी शामिल होती है। वस्तुतः इस प्रकार की व्यंजन सूची अन्य राज्यों की व्यंजन सूची से महंगी है। इस पर प्रति बच्चा प्रति दिन 5.40 रु० लागत आती है।

3.7 कवरेज में बहुत ही अधिक भिन्नताएं हैं। बिहार में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 119 चरवाहा स्कूलों के 23,800 बच्चे शामिल हैं। कर्नाटक में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों के 3.7 मिलियन बच्चे सम्मिलित होते हैं। गुजरात में सभी प्राथमिक छात्र स्कूल खुलने के दिन अर्थात् वर्ष में 200 दिन इसके लिए पात्र हैं, तथापि 5.8 मिलियन नामांकन के स्थान पर केवल 2.7 मिलियन बच्चे ही कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं, आश्चर्य तो इस बात पर है कि सापेक्षिक दृष्टि से कम विकसित उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में इस कार्यक्रम में भागीदारी लगभग 49 प्रतिशत ही है जबकि मध्य व दक्षिणी गुजरात में यह अधिक—75 प्रतिशत है। तमिलनाडु में कक्षा-I से X के निर्गमित रूप से स्कूल जाने वाले राज्य के सभी स्कूलों के सभी बच्चों को पूरे वर्ष 'दोपहर का भोजन' प्रदान किया जाता है, 7.4 मिलियन बच्चे इस योजना के लाभग्राही हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता सहित अठारह जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। लाभग्राहियों की संख्या पके-पकाए भोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत 2.62 मिलियन तथा ब्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत 0.22 मिलियन हैं। दिल्ली में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0.4 मिलियन बच्चे शामिल हैं। पांडिचेरी में कक्षा-I से VIII में अध्ययनरत सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे इसके लिए पात्र हैं। वर्तमान में शामिल बच्चों की संख्या 103 हजार है।

3.8 जिन राज्यों में पका-पकाया भोजन दिया जाता है वहां भोजन तैयार करने तथा इसे वितरित करने के लिए अनिवार्य रूप से अंशकालिक/स्वयंसेवी कार्यकर्ता लगाए जाते हैं। इन कार्यकर्ताओं का वेतन सारणी 3.3 में दिया गया है।

सारणी—3.3

मध्याह्न भोजन योजनाएं : स्टाफ व पारिश्रमिक

राज्य	पद व पारिश्रमिक		
	आयोजक/संचालक	रसोईया	सहायक (हेल्पर)
तमिलनाडु	1 (340/- रु०)	1 (170/- रु०)	1 (130/- रु०)
गुजरात	1 (300/- रु०) क (975/- रु०) ख	1 (150/- रु०) क (525/- रु०) क	1 (100/- रु०) क (325/- रु०) ख

क : ग्रामीण क्षेत्रों में

ख : शहरी क्षेत्रों में

4.3 वैचारिक दृष्टि से तो जो कार्यक्रम जितना व्यापक होता है वह उतना ही बेहतर होता है, लेकिन वित्तीय और संगठनात्मक संसाधनों की उपलब्धता के द्वारा चयन की गुंजाइश सीमित हो जाती है। वित्तीय संसाधनों की तुलना में संगठनात्मक आवश्यकताएं ज्यादा श्रमसाध्य हो सकती हैं, अतः कार्यक्रम की चरणबद्धता और इसमें वृद्धि पर्याप्तता और लागत प्रभाविता द्वारा नियंत्रित होती है। राज्यों के बीच अन्तर प्रदान करना आवश्यक होगा, थोड़ी बहुत सफलता के साथ जो राज्य शिक्षा को पोषण सहायता कार्यक्रम लागू कर रहे हैं वे आसानी से और ज्यादा व्यापक विकल्पों की ओर अग्रसर हो सकते हैं जबकि अन्य राज्य चरण क्रम में आगे बढ़ने का विकल्प अपना सकते हैं।

4.4 अपने आय में पोषण सहायता प्रदान करने का चाहे जो भी तरीका हो, हम प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेटवर्क के बीच मजबूत सहलग्नताओं की संस्तुति करेंगे ताकि बच्चों की स्वास्थ्य देख-रेख सम्बन्धी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य, पोषण, प्रारम्भिक शिशु देख-रेख तथा प्राथमिक शिक्षा को एक साथ करने वाले व्यापक पैकेज के अंग के रूप में पोषण सहायता की लिया जाए।

4.5 सिनर्जी, जो सम्बद्ध कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वयन से प्राप्त की जा सकती है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित परियोजना पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता सहित अनेक अध्ययनों द्वारा स्थापित हो चुकी है। 1975-89 की अवधि के भीतर पन्द्रह राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के चुने गए ब्लॉकों में परियोजना का प्रयोग किया गया। स्कूली बच्चों की सामान्य सूक्ष्म पोषण खामियों, पुराने या गम्भीर संक्रमणों, दृष्टि व बोली सम्बन्धी बाधाओं का पता लगाने की जरूरत है तथा स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली के बीच सम्बन्ध स्थापित करके इन्हें दूर करने की जरूरत है। हमें पता है कि अनेक राज्यों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसे और स्पष्ट किया जाए तो गुजरात में कार्यान्वित कार्यक्रम में दवाएं, विटामिन 'ए' और आयरन प्रदान करने का प्रावधान है, तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने सशक्त विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अलग से आरम्भ किया है। इसी तरह ओवरसीज डवलपमेंट एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से आंध्र प्रदेश में एक स्कूल स्वास्थ्य परियोजना लागू की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित 10 जिलों में एक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

4.6 मानव संसाधन विकास मंत्रालय अभिसरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र अनुबन्ध IV में दिए गए हैं। इसके अलावा, योजना आयोग ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं तथा इन्हें राज्यों को सौंपा जा चुका है। इसे भी अनुबन्ध 4 में दिया गया है। हम राज्यों को इन्हें इस सिफारिश के साथ सौंपेंगे कि वे इन्हें गति से और कारगर ढंग से लागू करें क्योंकि अभिसरण के माध्यम से ही हम सम्बद्ध कार्यक्रमों की सिनर्जी महसूस कर सकते हैं तथा केवल अभिसरण के माध्यम से ही देश व्यापक शिशु देख-रेख के लक्ष्य की ओर गति से अग्रसर हो सकता है।

पोषण सहायता प्रदान करने का तरीका

4.7 तीन मौलिक विकल्प हैं :--(1) गर्म भोजन की आपूर्ति (2) पकाए जाने से पूर्व का भोजन तथा (3) अनाज। इनमें से प्रत्येक के अपने-अपने गुण-दोष हैं जिन्हें कार्यक्रम की विशिष्टता के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेते समय ध्यान में रखना होगा।

4.8 इस बात की संभावना है कि गर्म भोजन ग्रामीण समुदाय के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा तथा इसके सबसे बेहतर परिणाम सामने आने की संभावना है बशर्ते कि अच्छे पोषण सिद्धान्तों के आधार पर भोजन को सफाई व पौष्टिकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए तथा बिना किसी दखल या बाधा के प्रचालन विज्ञान, संचालन और अनुश्रवण संबंधी आवश्यक अपेक्षाओं को निरन्तर पूरा किया जाए। पोषण की दृष्टि से अनाज, दालें तेल व सब्जियों से युक्त संतुलित आहार के माध्यम से लगभग 600 कैलोरी के औसत पोषण अंतराल को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। प्रदान किए जाने वाले अनाज का भाग प्रति दिन 100 ग्राम हो सकता है अथवा मोटे तौर पर 60-70 प्रतिशत की कैलोरी कमी पूरी की जा सकती है। सिर्फ लाभार्थित समुदाय के बच्चों को शामिल करने के प्रस्ताव समय-समय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। लेकिन यह व्यवहार्य विकल्प नहीं है। पहले पकाए भोजन के वितरण में बच्चों के बीच भेद-भाव नहीं किया जा सकता ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सभी छात्रों को भोजन का सर्वव्यापी प्रावधान सामाजिक रोधों और निवेधों का सक्षम हल हो सकता है। यदि इस काम में संसाधनों की कमी आड़े आती है तो शामिल किए जाने वाले स्कूलों की संख्या को सीमित रखकर चयन का मार्ग अपनाया होगा, इसके अलावा भी चयन का क्षेत्र बचता है--कुछ ही कक्षाओं को शामिल किया जाए तथा कक्षा I-VIII (उच्च प्राथमिक) के बजाए सिर्फ कक्षा I-V (प्राथमिक) को ही चुना जाए, परन्तु शामिल करने के लिए चुनी हुई कक्षाओं के सभी बच्चों को पकाया गया गर्म भोजन प्रदान किया जाना चाहिये।

4.9 मगर इस दृष्टि कोण का एक ताकिक परिणाम यह है कि यह कार्यक्रम गरीबों पर लक्षित नहीं होता है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या वितरण का कोई वैकल्पिक तरीका है जो संसाधनों को ऐसे गरीब बच्चों की ओर लक्षित करे जिनका पोषण स्तर कम होने की संभावना है तथा जिनके परिवारों को शिक्षा की संबद्ध लागत को चुकाने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत हो सकती है, यहीं पर "शिक्षा के लिए भोजन" अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। खासतौर पर कम साक्षरता अनुपात और पढ़ाई बीच में छोड़ने की अधिक दर वाले राज्यों को तथा जो प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को निर्धन परिवारों की ओर लक्षित करने की दिशा में पीछे हैं ऐसे राज्यों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए।

4.10 अनुपात की दृष्टि से शिक्षा के लिए भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति बच्चा अनाज की आपूर्ति गर्म भोजन अवयवों की तुलना में अधिक होना चाहिए। इस बात की उम्मीद रखना युक्तियुक्त है कि परिवारों को प्रदान किए गए अनाज का एक भाग ही स्कूल जाने वाले बच्चों को मिल पाएगा, जबकि यह पोषण की दृष्टि से वांछनीय नहीं है, परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल भोजने के लिए मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन होने का इसमें आनुषंगिक गुण है। इसके अलावा इस तथ्य के कारण ज्यादा अनाज प्रदान करना जरूरी हो जाता है कि 100 ग्राम प्रतिदिन की दर से दिया जाने वाला अनाज कैलोरी ऊर्जा के मौजूदा अंतराल, जिसे खत्म करने का प्रस्ताव है, को सिर्फ 60-70 प्रतिशत ही खत्म कर पाएगा। यह मानकर चलना कि परिवारों को दिए गए अनाज का सिर्फ 50 प्रतिशत ही बच्चे को मिल पाएगा तथा यह मानकर चलना कि इस प्रकार बच्चे के हिस्से में आने वाला अनाज कैलोरीय अंतराल को 70 प्रतिशत खत्म कर सकेगा, 10 माह के लिए परिवार को प्रतिमाह 5 किलो प्रति बालक अनाज की आपूर्ति गर्म भोजन के विकल्प के अन्तर्गत 200 स्कूल दिवसों के लिए प्रति बालक प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज की आपूर्ति के बराबर होगा। शिक्षा के लिए अनाज के संबंध में मानदण्ड के रूप में हम इसकी सिफारिश करेंगे।

4.11 गर्म भोजन की आपूर्ति बच्चे की वास्तविक हाजिरी से जुड़ी होगी जब कि शिक्षा के लिए अनाज वाले विकल्प के लिए प्रतिनियुक्त (सरोगेट) मानदंड तैयार करने होंगे। 80 प्रतिशत की न्यूनतम हाजिरी पात्रता कसौटी के रूप में अपनाई जा सकती है। हमने शिक्षा के लिए अनाज वाले विकल्प के अन्तर्गत शामिल किए जा सकने वाले प्रति परिवार बच्चों की संख्या सीमित रखने की संभावना पर विचार किया ताकि छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा मिल सके हालांकि इस प्रकार की सहलग्नता ऊपर-ऊपर से विश्वसनीय लगती है, यह संचालन समस्याओं से घिरी हुई है तथा यह स्वयं नियामक उद्देश्य से भी मेल नहीं खाती है। पात्रता कसौटी और भी जटिल हो जाती है, एक परिवार में स्कूल जाने वाले दो से अधिक बच्चे हों तो पात्रता परिवार के स्कूल जाने वाले कम से कम दो बच्चों के 80 प्रतिशत हाजिरी से जुड़ी हुई होगी। न केवल इसे लागू करना कठिन है बल्कि यह कसौटी लघु परिवार के मानदंड के भी विरुद्ध होगी। इस प्रकार की पात्रता कसौटी में महिला भागीदारी के विरुद्ध भेद-भाव हो सकता है, कस जन्म दर को बालिकाओं में उच्च पोषण स्तर तथा शिक्षा प्राप्त करने की लंबी अवधि के साथ जोड़ने के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव सिद्ध साक्ष्य है, अतः प्रत्येक बच्चे के स्कूल जाने तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के 8 वर्ष के चक्र को पूरा करने से लघु परिवार के मानदंड को ज्यादा बहतर तरीके से लागू होने की संभावना है। अतः हमारा मुझाव है कि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों की संख्या के संबंध में सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.12 अब तक चर्चा किए गए दो विकल्पों के बीच चयन कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए अपेक्षित संगठनात्मक संसाधन से भी जुड़ा है। गर्म मध्याह्न भोजन की योजना संगठन, संभारतंत्र और अनुश्रवण संबंधी अपनी आवश्यकता में अनिवार्य रूप से ज्यादा कठोर है। कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा अनाज गर्म भोजन वाले विकल्प के मामले में स्कूल को वितरित करने के लिए गांव अथवा शिक्षा के लिए अनाज वाले विकल्प के मामले में परिवार में नियमित रूप से पहुंचता है, का अनिवार्य रूप से होना दोनों ही विकल्पों के लिए समान रूप से जरूरी है। इस समान आवश्यकता के अलावा गर्म भोजन के मामले में अनाज के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उनका भंडारण करने के लिए, सफाई व स्वास्थ्यपूर्ण ढंग से भोजन पकाने व उसे परोसने के लिए आधारभूत ढांचा और जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि अध्ययन अध्यापन के समय में कमी न होने देने के सर्वोपरि उद्देश्य का सुनिश्चय करना है तथा कार्यक्रम के संचालन में स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक शिक्षकों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी है, अतिरिक्त जनाशक्ति व सुविधाएं सृजित करना आवश्यक होगा। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने आयोजक, रसोइया तथा सहायक के रूप में अंशकालिक या स्वयंसेवी महिलाओं को लगाना जरूरी पाया है। लेकिन यूनियनबाजी होने तथा नियमित सेवा व तुलनीय मजदूरी की मांग उठने की समस्याएं हैं। यदि कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सतत आधार पर चलाना है तो अंशकालिक या स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का एक विशाल कैंडर सृजित करने के विकल्पों का पता लगाना होगा। अनेक संभावनाएं हैं, उनकी छानबीन करनी होगी उदाहरणार्थ गैर सरकारी संगठनों डॉक्टरा समूहों का प्रयोग, आई सी डी एस इत्यादि के साथ सहलग्नता। लंबी अवधि के लिए कारगर व व्यवहार्य सुविधाओं का

सारणी 4.1 : व्यापक स्तर पर खाद्यान की आवश्यकता (1993-94)

क्रम सं०	राज्य	विद्यालयों में नामांकन			गर्म खाना-I खाना टनों में		गर्म खाना-II खाना टनों में		गरीब छात्रों की संख्या		शिक्षा के लिए खाना खाद्यान आवश्यकता टनों में	
		I--V	VI--VIII	I--VIII	I--V	I--VIII	I--V	I--VIII	I--V	I--VIII	I--V	I--VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	8510000	2759000	11269000	170200	225380	136160	180304	2836667	3756333	141833	187817
2.	अरुणाचल प्रदेश	130421	33653	164074	2608	3281	2087	2625	43474	54691	2174	2735
3.	असम	3751895	1266686	5018581	75038	100372	60030	80297	1250632	1672860	62532	83643
4.	बिहार	8899740	2220719	11120459	177995	222409	142396	177927	2966580	3706820	148329	185341
5.	गोवा	132372	77952	210324	2647	4206	2118	3365	44124	70108	2206	3505
6.	गुजरात	5982918	1995231	7978149	119658	159563	95727	127650	1994306	2659383	99715	132969
7.	हरियाणा	2283000	863000	3146000	45660	62920	36521	50336	761000	1048667	38050	52433
8.	हिमाचल प्रदेश	712480	391400	1103880	14250	22078	11400	17662	237493	367960	11875	18398
9.	जम्मू और काश्मीर	799453	331507	1130960	15989	22619	12791	18095	266484	376987	13324	18849
10.	कर्नाटक	6119658	1937308	8056966	122393	161139	97915	128911	2039886	2685655	101994	134283
11.	केरल	3019185	1906699	4925884	60384	98518	48307	78814	1006395	1641961	50320	82098
12.	मध्य प्रदेश	9040000	3203000	12243000	180800	244860	144640	195888	3013333	4081000	150667	204050
13.	महाराष्ट्र	10957219	4202253	15159472	219144	303189	175316	242552	3652406	5053157	182620	252658
14.	मणिपुर	241500	98400	339900	4830	6798	3864	5438	80500	113300	4025	5665
15.	मेघालय	175654	54791	230445	3513	4609	2810	3687	58551	76815	2928	3841
16.	मिजोरम	115669	56797	172466	2313	3449	1851	2759	38556	57489	1928	2874
17.	नागालैंड	158100	61965	220065	3162	4401	2530	3521	52700	73355	2635	3668
18.	उड़ीसा	3842000	1259000	5101000	76840	102020	61472	81616	1280667	1700333	64033	85017
19.	पंजाब	2066734	910712	2977446	41335	59549	33068	47639	688911	992482	34446	49624
20.	राजस्थान	5458000	1804000	7262000	109160	145240	87328	116192	1819333	2420667	90967	121033
21.	सिक्किम	75153	20760	95913	1503	1918	1202	1535	25051	31971	1253	1599
22.	तमिलनाडु	8020950	3534786	11555736	160419	231115	128335	184892	2673650	3851912	133683	192596
23.	त्रिपुरा	400079	141231	541310	8002	10826	6401	4661	133360	180437	6668	9022
24.	उत्तर प्रदेश	15984718	5527408	21512126	319694	430243	255755	344194	5328239	7170709	266412	358535
25.	पश्चिम बंगाल	10117000	4603000	14720000	202340	294400	161872	235520	3372333	4906667	168617	345333
26.	अं नि० द्वीप समूह	44311	19182	63493	886	1270	709	1016	14770	21164	739	1058
27.	चंडीगढ़	59235	32749	91984	1185	1840	948	1472	19745	30661	987	1533
28.	दा० व ना० हवेली	18690	4802	23492	374	470	299	376	6230	7831	312	392

29. दमन और दीव	12892	6679	19571	258	391	206	313	4297	6524	215	326
30. दिल्ली	957092	525413	1482505	19142	29650	15313	23720	319031	4941648	15952	24708
31. लक्षदीप	8773	3673	12446	175	249	140	199	2924	4149	146	207
32. पांडिचेरी	105648	66878	100414	2113	3329	1690	2654	35216	55491	1761	2775
कुल	108200539	39914582	148115121	2164011	2962302	1731209	2369842	36066846	49371707	1803342	2468585

नोट :

- (1) 1.3.1994 की स्थिति (स्रोत: बुनियादी शैक्षणिक आंकड़े 1993-94)
- (2) गम खाना-I : नामांकन पर आधारित अनुमान
- (3) गम खाना-II : 80 प्रतिशत नामांकन पर औसत उपस्थिति पर आधारित अनुमान

सारणी—4.2

व्यापक क्षेत्र के लिये अपेक्षित खाद्यान्न (1993-94)

(मिलियन टन में)

	गर्म खाना-I	गर्म खाना-II	शिक्षा के लिए खाना
कक्षा I-V	2.16	1.73	1.80
कक्षा I-VIII	2.96	2.37	2.47

4.18 यह आशा करना उचित है कि आहार पोषण सहायता स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल प्रणाली की ओर आकर्षित करेगी; आहार पोषण सहायता के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता का अनुमान वर्ष 2001 तक के लिए किया गया है जिसमें यह माना गया है कि स्कूल न जाने वाले सभी बच्चे 3 वर्ष की अवधि में कक्षा—1-5 में और 5 वर्ष की अवधि में कक्षा 6-8 में प्रवेश ले लेंगे (सारणी 4.3) इन अनुमानों में महापंजीयक, जनगणना द्वारा प्रक्षेपित (आयु वर्ग 6-11 और 11-14) आयु विशेष जनसंख्या के बच्चों और निम्नलिखित संकल्पनाओं को ध्यान में रखा गया है :—

- (1) कक्षा 1-8 में बच्चे 6 वर्ष की आयु से छोटे और 14 वर्ष की आयु से बड़े होते हैं। इसलिए कक्षा 1-8 में नामांकन आयु विशेष जनसंख्या के बच्चों से अधिक होने की संभावना है। वर्ष 1993-94 के लिए सकल नामांकन अनुपातों (कक्षा 1-5 और कक्षा 1-8) का प्रयोग करते हुए आयु विशेष जनसंख्या से नामांकन प्राप्त किया गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों की जनसंख्या 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का 117 प्रतिशत मान लिया गया है, सकल नामांकन से शुद्ध नामांकन प्राप्त करने के लिए 17 प्रतिशत व्यापक सुधार लागू है।
- (2) स्कूल न जाने वाले बच्चों को कक्षा 1-5 वर्ग में 11 मिलियन और कक्षा 1-8 में 17 मिलियन निर्दिष्ट किया गया है।

सारणी 4.3 व्यापक स्तर पर वितरण के लिये खाद्यान्न आवश्यकता (वर्ष 2001 तक)

क्रम सं०	वर्ष	विद्यालय	नामांकन		गर्म खाना-I खाद्यान्न टनों में		गर्म खाना-II खाद्यान्न टनों में		गरीब छात्रों की संख्या		शिक्षा के लिये खाना खाद्यान्न आवश्यकता (टनों में)	
			1-5	1-8	1-5	1-8	1-5	1-8	1-5	1-8	1-5	1-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	1993	108200539	148115121	2164011	2962302	1731209	2369642	36066846	49371707	1803342	2468585	
2.	1994	111564000	156266000	2231280	3125320	1785024	2500256	37188000	52088667	1859400	2604433	
3.	1995	115033000	165098000	2300660	3301960	1840528	2641568	38344333	55032667	1917217	2751633	
4.	1996	118610000	174681000	2372200	3493620	1897760	2794896	39536667	58227000	1976833	2911350	
5.	1997	118882000	181679000	2377640	3633580	1902112	2906864	39627333	60559667	1981367	3027983	
6.	1998	119155000	189485000	2383100	3789700	1906480	3031760	39718333	63161667	1985917	3158083	
7.	1999	119429000	190071000	2388580	3801420	1910864	3041136	39809667	63357000	1990483	3167850	
8.	2000	119703000	190659000	2394060	3813180	1915248	3050544	39901000	63553000	1995050	3177650	
9.	2001	119977000	191248000	2399540	3824960	1919632	3059968	39992333	63749333	1999617	3187467	

नोट :

योजनायें

(1) गर्म खाना-I:—नामांकन पर आधारित अनुमान।

गर्म खाना-II:—80 प्रतिशत नामांकन पर औसत उपस्थिति पर आधारित अनुमान।

चयन प्रक्रिया : क्षेत्रगत दृष्टिकोण

4.19 क्योंकि संभव नहीं है कि सभी को शिक्षा को मुक्त कराने का प्रयत्न तुरंत किया जा सकता है, प्रारंभ में कार्यक्रम में चयनात्मक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उन क्षेत्रों को चुनने में, जहां कार्यक्रम आरम्भ किया जा सकता है, तीन मापदण्ड विचारार्थ आए हैं :-

- (1) रोजगार आश्वासन योजना ब्लाक : ये वो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां रोजगार योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित क्रयशक्ति प्रदान करना आवश्यक पाया गया है; ये मुख्यतः सूखा प्रवण क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में स्थित हैं। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी ये ब्लाक शामिल हैं।
- (2) निम्न महिला साक्षरता दर वाले ब्लाक (एल०एफ०एल०) अर्थात् जहां महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत से कम है।
- (3) आई० सी० डी० एस० ब्लाक निम्नलिखित हैं (क) अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र (ख) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र (ग) सूखा प्रवण क्षेत्र (घ) शहरी गंदी बस्तियां (ङ) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम वाले ब्लाक (च) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाले ब्लाक (छ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों वाले ब्लाक (ज) बाढ़ प्रवण क्षेत्र।

4.20 ग्राम स्तर पर खाद्यान्नों की सप्लाई कार्यक्रम की सफलता का एक विवेचनात्मक प्रश्न है। रोजगार आश्वासन योजना ब्लाक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों से सटे हुए हैं, इसलिए इन आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में और खाद्यान्नों की कमी वाले ब्लाकों में खाद्यान्न वितरण में सुधार हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयास प्राथमिक शिक्षा हेतु आहार पोषण सहायता के कार्यान्वयन में, आवश्यक परिवर्तन के साथ, सहायक होंगे। वास्तव में आहार पोषण सहायता कार्यक्रम के द्वारा खाद्यान्नों की सुनिश्चित मांग संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायक होगी। इस सहजीवी संबंध को ध्यान में रख कर, रोजगार आश्वासन योजना/संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमें मूल कसौटी के रूप में लेना होगा जिन पर एल० एफ० एल०, आई० सी० डी० एस० आदि को अध्यारोपित किया जा सके।

4.21 गरम पका खाना और शिक्षा के बदले खाना दोनों प्रकारों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान ब्लाकों को चुनने के लिए, चार वैकल्पिक मानदण्डों के आधार पर लगाया गया है। ये मानदण्ड निम्नलिखित हैं :-

- (1) रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत आने वाले ब्लाक।
 - (2) निम्न महिला साक्षरता दर वाले ब्लाक।
 - (3) ऐसे ब्लाक जहां निम्न महिला साक्षरता दर है और जो रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत भी आते हैं।
 - (4) आई० सी० डी० एस० ब्लाक जो निम्न महिला साक्षरता ब्लाक है और रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- (गैर रोजगार आश्वासन योजना/आई० सी० डी० एस०-एल० एफ० एल०)

4.22 देश के 5241 ब्लाकों में से, 2368 ब्लाक रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत हैं, 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 2102 ब्लाकों में से 532 ई० ए० एस० ब्लाक हैं, इसी प्रकार 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 1172 ब्लाकों में से 995 ई० ए० एस० ब्लाक हैं, 3108 आई० सी० डी० एस० ब्लाकों में से 1575 ई० ए० एस० हैं।

4.23 देश के 5241 ब्लाकों में से, 3791 निम्न महिला साक्षरता ब्लाक हैं, अर्थात् उनमें महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। अनुसूचित जातियों का 20 प्रतिशत और उससे अधिक जनसंख्या वाले 2102 ब्लाकों में 1580 निम्न महिला साक्षरता ब्लाक हैं; इसी तरह 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 995 ब्लाकों में 975 निम्न महिला साक्षरता ब्लाक हैं।

सारणी 4.4 राष्ट्रीय औसत (39.29%)

क्रम सं०	राज्य	जिलों की सं०			ई० ए० एम०/ गैर ई० ए० एम०/ आई० सी० एलपीएल	ब्लकों की सं०			
		कुल	ई० ए० एम०	एल० पी० एल०		डी० एम० ब्लॉक	कालम 5 से कालम 2 का प्रतिशत	कुल प्रतिशत	ई० ए० एम० ब्लॉक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश		23	18	22	15	18	65.22	330	155
2. अरुणाचल प्रदेश		12	11	11	10	0	83.31	54	48
3. असम		23	15	20	12	8	52.17	206	69
4. बिहार		50	34	42	24	29	48.00	591	266
5. गोवा		2	0	0		0	0.00	11	0
6. गुजरात		19	17	18	17	4	89.47	218	132
7. हरियाणा		16	6	16	6	9	37.50	108	44
8. हिमाचल प्रदेश		12	6	8	3	6	25.00	69	18
9. जम्मू और कश्मीर		14	13	13	13	0	92.86	119	80
10. कर्नाटक		20	16	15	13	12	65.00	175	119
11. केरल		14	7	0		0	0.00	152	21
12. मध्य प्रदेश		45	37	45	12	28	26.57	432	291
13. महाराष्ट्र		31	25	24	21	13	67.74	298	173
14. मणिपुर		8	5	7	6	2	75.00	31	22
15. मेघालय		7	5	5	5	0	71.43	32	32
16. मिजोरम		3	2	3	2	0	66.67	20	20
17. नागालैण्ड		7	7	2	2	0	28.57	28	28
18. उड़ीसा		30	18	13	11	8	36.67	314	175
19. पंजाब		14	0	6	0	5	0.00	118	0
20. राजस्थान		30	29	27	21	10	70.00	237	172
21. सिक्किम		4	4	3	0	0	0.00	4	4
22. तमिलनाडु		22	14	16	9	13	40.91	387	89
23. त्रिपुरा		3	3	3	2	0	66.67	18	18
24. उत्तर प्रदेश		63	37	63	34	53	53.97	897	248
25. पश्चिम बंगाल		17	13	14	11	11	64.61	341	129
26. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह		2	1	0		0		5	2
27. चण्डीगढ़		1	0	0		0		0	0
28. दादरा और नागर हवेली		1	1	1		0		1	1
29. दमन एवं दीव		2	1	1		0		2	1
30. दिल्ली		1	0	0		0		5	0
31. लक्षद्वीप		1	1	0		0		5	5
32. पाण्डिचेरी		1	0	0		0		6	0
जोड़		498	347	397	249	229	50.00	5241	2368

शीर्षक :

ई० ए० एम० : रोजगार आवकामन योजना

एल० एफ० एल० : निम्न महिला साक्षरता

आई० सी० डी एम० : समेकित बाल विकास योजना

से कम ई०ए०एस० और साक्षरता के ब्लाक

एल पी एल ब्लाक	ई ए एस एल एफ ब्लाक	गैर ई ए एस आईसीडीएस एल एफ	कालम-11 से कालम 8 का प्रतिशत	कुल	जनसंख्या ई ए एस ब्लाक	एलपीएल ब्लाक	ई ए एस एल पी एल ब्लाक	गैर ई ए एस एल पीएल आई सी डी एस ब्लाक
10	11	12	13	14	15	16	17	18
386	128	50	38.79	66508000	31238606	62918482	25797042	2602288
42	42	0	77.78	8650000	864558	640576	640576	0
67	38	12	18.45	22414000	9289586	9850672	5221076	1824366
567	248	133	41.96	86374000	34086275	78370356	28504708	21210793
0	0	0	0.00	1170000		0	0	0
63	56	4	25.69	41310000	24177642	11238561	9662784	777536
81	35	35	32.41	16464000	4859040	8850003	3817098	4171366
22	6	11	8.70	5171000	1051819	1263307	220701	720270
119	80	0	67.23	7719000	5189244	5189244	5189244	0
110	79	29	45.14	44977000	22102187	20491918	14601247	5478558
0	0	0	0.00	29098000	6595707	0	0	11626104
477	289	89	62.96	66181000	29740787	50209533	29083524	4601522
115	86	24	28.86	78937000	28104488	19874470	14310385	247701
13	10	3	32.26	1837000	641484	501046	253285	0
18	18	0	56.25	1775000	1444731	852533	852533	0
2	2	0	10.00	690000	371810	46967	46967	0
6	6	0	21.43	1209000	1010119	201507	201507	3871369
236	153	46	45.73	31660000	11253603	17850803	10773151	2322212
40	0	17	0.00	20282000		5325309	0	5780465
237	172	41	72.57	44006000	25815558	34287025	25815558	0
4	4	0	100.00	406000	406000	138509	138509	10167357
162	38	99	9.82	55859000	8529635	16475925	3779721	0
5	5	0	27.78	2757000	2445674	565700	565700	49996025
71	198	374	22.07	139112000	24214483	109126837	22227735	12317342
185	91	73	26.69	68078000	16920866	27973684	12488883	0
0	0	0	0.00	281000	39208	0	0	0
0	0	0		642000		0	0	0
1	1	0	100.00	138000	138000	138477	138477	0
1	1	0	50.00	102000	18847	18847	18847	0
0	0	0	0.00	9421000		0	0	0
0	0	0	0.00	52000	35631	0	0	0
0	0	0	0.00	808000		0	0	0
3791	1786	1040	34.08	846303000	290585588	482400291	214355258	137715334

4.24 देश के 5241 ब्लकों में से 1786 ई० ए० स०—ए० ए० ए० ब्लक हैं, अर्थात् ई० ए० ए० ब्लक जिनमें महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत से कम है। 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 2102 ब्लकों में से 438 ई० ए० ए०—ए० ए० ए० ब्लक हैं। इसी तरह 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 995 ब्लकों में से 817 ई० ए० ए० ए० ए० ब्लक हैं।

4.25 देश के 5241 ब्लकों में से, 1040 आई० सी० डी० ए० ब्लक हैं जो ई० ए० ए० के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी महिला साक्षरता दर निम्न है (गैर-ई० ए० ए०/आई० सी० डी० ए० में ए० ए० ए०) 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 2102 ब्लकों में से, 658 गैर ई० ए० ए०/आई० सी० डी० ए० ए० ए० ब्लक हैं; इसी तरह 20 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 995 ब्लकों में से 32 गैर-ई० ए० ए०/आई० सी० डी० ए० ए० ए० ब्लक हैं।

4.26 यह देखा जा सकता है कि अगर किसी ब्लक को एक साथ दोनों मानक ई० ए० ए० ब्लक और ए० ए० ए० ब्लक के आधार पर चुना जाता है तो वह कवरेज अपेक्षाकृत कम होगी। उन्नी के अनुसार कवरेज सर्वाधिक होगी अगर किसी ब्लक पर केवल एक मानक ए० ए० ए० होने का प्रयोग होता है। न्यूनतम दर ई० ए० ए० ए० ए० ब्लकों को कार्यक्रम के प्रवेश बिन्दु के रूप में चुना जा सकता है। सभी ई० ए० ए० ब्लक को शामिल करके अथवा ई० ए० ए० ब्लकों के अलावा सभी आई० सी० डी० ए० ब्लकों को जो ई० ए० ए० में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन वे निम्न महिला साक्षरता ब्लक हैं, अपेक्षाकृत एक व्यापक कवरेज को प्राप्त किया जा सकता है।

4.27 अगर ए० ए० ए० या ई० ए० ए० ए० ए० का मानक का प्रयोग किया जाता है तो ई० ए० ए०—ए० ए० ए० मानक के आधार कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र छूट जाते हैं जैसे कि ओडिशा, केरल, पंजाब, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ई० ए० ए० मानक आधार पर ओडिशा, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के प्रयोजन से, हमारा सुझाव यह होगा कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत ब्लकों को किसी ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाए, जो चुने हुए मानक के आधार पर शामिल नहीं किया गया है।

4.28 इसी प्रकार, यदि रोजगार आश्वासन योजना—निम्न महिला साक्षरता का मानदण्ड अपनाया जाता है, तो यह सम्भव है कि उन जिलों में जहां डी० पी० ई० पी० का कार्यक्रम किया जा रहा है, सभी ब्लक शामिल नहीं हो पाएंगे। डी० पी० ई० पी० एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें चुने हुए जिलों में साक्षरता को जन-जन तक पहुंचाने सम्बन्धी गति को तेज किये जाने की अपेक्षा की गई है। अतः यह वांछनीय है कि मात्र आहार सहायता के अंतर्गत डी० पी० ई० पी० जिलों के सभी ब्लकों को शामिल कर लिया जाए ताकि इस कार्य के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। बयालिस जिलों में से जहां इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, उनतालिस जिले कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। अतः हमारा सुझाव है कि डी० पी० ई० पी० में सभी ब्लकों को शामिल किया जाए भले ही उनका पोषक आहार सहायता के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के चयन हेतु मानदण्ड कोई भी हो।

4.29 उपर्युक्त पैरा 4.17 में उल्लिखित विकल्पों की चार कोटियों के लिए खाद्यान्न की राज्यवार आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। (तालिका 4.5—4.8)। अनुमानों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है :

- (1) 1981-1991 के दशक के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दस वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग करके 1991 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या से चुने हुए ब्लकों की 1995 की जनसंख्या का हिसाब लगाया गया था। क्योंकि 1991 में जम्मू-कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी, अतः उक्त राज्य के लिए 1981 की जनसंख्या को आधार बनाया गया था।
- (2) जम्मू-कश्मीर के रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत सभी ब्लकों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम मानी गई है।
- (3) ब्लकों की कुल जनसंख्या से 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या से आयु-विशेष जनसंख्या की राज्यवार जनसंख्या के आधार आयु विशेष जनसंख्या (6-14 वर्ष) का हिसाब लगाया गया। (तालिका 4.9)

- (4) 1993-94 के लिए सकल नामांकन अनुमान (कक्षा 1-5, कक्षा 1-8) के आधार पर आयु विशेष जनसंख्या से विद्यालयों में दाखिलों का अनुमान लगाया गया।
- (5) गरम भोजन कोटि-1 के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान 200 दिवसों के लिए प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम खाद्यान्न के आधार पर स्कूल में नामांकन से लगाया गया है।
- (6) गरम भोजन कोटि-2 में, गणना इस अनुमान पर आधारित थी कि औसत उपस्थिति स्कूल में नामांकन की 80 प्रतिशत है।
- (7) शिक्षा के बदले खाना की खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान स्कूल में नामांकन से यह मानकर लगाया गया था कि स्कूल में दाखिल बच्चों में से 30 प्रतिशत बच्चे गरीब हैं और खाद्यान्न की व्यवस्था 10 महीनों के लिए 5 कि० ग्रा० प्रति महीना प्रति परिवार के हिसाब से की जाए।

सारण						
ई० ए० एस० ब्लाकों के लिए						
क्रम सं०	राज्य	जन सं० ई ए एस ब्लाक-1991	ज्यामिति दृढ़ि दर	जन० संख्या ई ए एस ब्लाक-1995	विशिष्ट आयु 6-11 I-V	ई ए एस जन संख्या 95 11-14 VI-VIII
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	31238606	0.02218692	34104597	3441066	2051892
2.	अरुणाचल प्रदेश	864558	0.03252883	982659	124280	71180
3.	असम	9289586	0.01195327	9741778	1362139	843126
4.	बिहार	34086275	0.02149996	37113590	4438261	2447895
5.	गोवा		0.00783900	0	0	0
6.	गुजरात	24177642	0.01978259	26148352	2847312	1153757
7.	हरियाणा	4859040	0.02508569	5365265	654322	340766
8.	हिमाचल प्रदेश	1051819	0.02010711	1139001	130541	74467
9.	जम्मू व कश्मीर	5189244	0.02582757	5746475	634052	355849
10.	कर्नाटक	22102187	0.01959548	23886189	2733988	1542675
11.	केरल	6595707	0.01367198	6963878	686702	394970
12.	मध्य प्रदेश	29740787	0.02414896	32719373	3454591	1932416
13.	महाराष्ट्र	28104488	0.02330603	30817529	3029464	1733995
14.	मणिपुर	641484	0.02509793	708349	90548	44558
15.	मेघालय	1444731	0.02944737	1622571	208165	118582
16.	मिजोरम	371810	0.03529244	427143	50713	74211
17.	नागालैण्ड	1010119	0.04570430	1207836	139651	85898
18.	उड़ीसा	11253603	0.01882991	12125463	1283054	761662
19.	पंजाब		0.01980739	0	0	0
20.	राजस्थान	25815558	0.02582208	28587073	3706315	1958380
21.	सिक्किम	406000	0.02548100	448990	75823	40544
22.	तमिलनाडु	8529635	0.01465147	9040616	909367	493710
23.	त्रिपुरा	2445674	0.02956310	2747960	262483	36345
24.	उत्तर प्रदेश	24214483	0.02296258	26516378	3258487	1785543
25.	पश्चिम बंगाल	16920866	0.02252170	18497487	1816774	1041926
26.	अ० व नि० समूह	39208	0.04086932	46021	7751	3828
27.	चंडीगढ़		0.03615890	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	138000	0.02901016	154724	19550	11277
29.	दमन और दीव	18847	0.00783900	19445	0	0
30.	दिल्ली		0.04278711	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	35631	0.02597735	39480	4697	2553
32.	पांडिचेरी		0.02950311	0	0	0
	कुल	290585588	0.02154861	316453739	35213956	19290412

नोट : 1-3-1991 की स्थिति (स्रोत-चुनिदा शैक्षिक आंकड़े)

(1) ताजा खाना -I--नामांकन पर आधारित अनुमान

(2) ताजा खाना-II : 80 प्रतिशत नामांकन पर औसत

4.5

खाद्यान्न आवश्यक

विद्यालय 6-11	नामांकन 6-14	खाद्यानों में आवश्यक-1 ता० खा० टनों में		ता० खा०- खाद्यान्न टनों में		गरीब टालों की संख्या		शिक्षा के लिए खाना हेतु खाना आवश्यकता 1-3	
		गर्म खाना आवश्यकता-I (अनाज टन में)	I-V I-VIII	गर्म खाना आवश्यकता-II (अनाज टन में)	I-V I-VIII	I-V I-VIII	I-V I-VIII	I-V I-VIII	I-V I-VIII
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3730116	5037171	74602	100743	59682	80595	1243372	1679057	62169	83953
143916	182709	2878	3654	2303	2923	47972	60903	2399	3045
1770781	2425890	35416	48518	28332	38814	590260	808630	29513	40431
3377517	4226936	67550	84539	54040	67631	1125839	1408979	36292	70449
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3391149	4194164	67823	83883	54258	68107	1130383	1398055	56519	69903
872643	914246	13453	18285	10762	14628	224214	304749	11211	15237
155474	238276	3109	4766	2488	3812	51825	79425	2591	3971
563038	793272	11261	15865	9009	12692	187679	264424	9384	13221
3278051	4280790	65561	85616	52449	68493	1092684	1426930	54634	71346
702496	1125114	14050	22502	11240	18002	234165	375038	11708	18752
3610048	4902834	72201	98057	57761	78445	1203349	1634278	60167	81714
3617180	5016514	72344	100330	57875	80264	1205727	1672171	60286	83609
88918	121534	1778	2431	1423	1945	29639	40511	1482	2026
155707	203733	3114	4075	2491	3260	51902	67911	2595	3396
68766	148543	1375	2971	1100	2377	22922	49514	1146	2476
148449	208148	2969	4163	2375	2330	49483	69383	2474	3469
1241996	1676144	24840	33523	19872	26818	413999	558715	20700	27936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3372747	4428314	67455	88566	53964	70853	1124249	1476105	56212	73805
89167	113332	1783	2267	1427	1813	29722	37777	1486	1889
1318582	1819204	26372	36384	21097	29107	439527	606401	21976	30320
342015	372109	6840	7442	5472	5954	114005	124036	5700	6202
2909829	3891878	58197	77838	46557	62270	969943	1297293	48497	64865
2250984	3228310	45020	64566	36016	51653	750328	1076103	37516	53805
7226	10285	145	206	116	165	2409	3428	120	171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21486	26899	430	538	314	430	7162	8966	358	448
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6647	9266	133	185	106	148	2216	3039	111	154
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36798584	49858193	735972	997164	588777	797731	12266195	16619398	613310	830970

सारणी 4.6 ई० ए० एस० एल० एफ० एल०

क्रम सं०	राज्य	जन संख्या ई ए एम एल एफ एल ब्लॉक-1991	ज्यामितीय वृद्धि दर	जन संख्या ई ए एम ब्लॉक एल एफ एम 1995	विशेष आयु 6-11 I-V	ए ए एस एल जन सं० 95 11-14 VI-VII
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	25797042	0.022186921	28163796	2841655	1694465
2.	अरुणाचल प्रदेश	640576	0.032528834	728081	92082	52739
3.	असम	5221076	0.011953279	5475224	765570	473867
4.	बिहार	28504708	0.02149967	31036306	3711504	2047056
5.	गोवा	0	0.007839009	0	0	0
6.	गुजरात	9662784	0.019782591	10150394	1137951	461108
7.	हरियाणा	3817098	0.035085698	4214771	514013	267694
8.	हिमाचल प्रदेश	226701	0.020107112	245492	28136	16049
9.	जम्मू व कश्मीर	5189244	0.025827871	5746375	633052	355849
10.	कर्नाटक	14601247	0.019595487	15779803	1806139	1019129
11.	केरल	0	0.013671980	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	29083524	0.024148963	31996284	3378246	1889710
13.	महाराष्ट्र	14310385	0.023306032	15691825	1542558	882924
14.	मणिपुर	253285	0.025097937	279686	35752	17593
15.	मेघालय	852533	0.029447371	957476	122838	69975
16.	मिजोरम	46967	0.035292444	53957	6406	9374
17.	नागालैण्ड	201507	0.045704305	240949	27859	17136
18.	उड़ीसा	10773151	0.018829914	11307789	1228276	729144
19.	पंजाब	0	0.019807393	0	0	0
20.	राजस्थान	25815558	0.025822080	28587073	3706315	1958380
21.	सिक्किम	138509	0.025481007	153175	25867	13832
22.	तमिलनाडु	3779721	0.014651472	4006151	402966	218777
23.	त्रिपुरा	565700	0.029563103	635621	60714	8407
24.	उत्तर प्रदेश	22227735	0.022962581	24340764	2991135	1639043
25.	पश्चिम बंगाल	12488883	0.022521708	13652549	1340917	769020
26.	अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.040869327	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0.036158907	0	0	0
28.	वा० व न० हवेली	138477	0.029010168	155259	19618	11316
29.	दमन व दीव	18847	0.007839009	19445	0	0
30.	दिल्ली	0	0.042787118	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0.025977351	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0.029503113	0	0	0
कुल		209166014	0.021548616	227786133	26257976	14471504

नोट :-

- (1) गर्म खाना-I : नामांकन पर आधारित अनुमान
- (2) गर्म खाना-II 80 प्रतिशत नामांकन पर औसत उास्थिति पर आधारित अनुमान

संरणी 4.7 एल०एफ०एल०

क्रम सं०	राज्य	जन संख्या एल०एफ०एल० ब्लाक 1981	व्यामितीय वृद्धि दर	जन संख्या एल०एफ०एल० ब्लाक- 1995	विशिष्ट आयु 6-11 I-V	एल एफ एल जन संख्या-95 11-14 VI-VIII
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंध्र प्रदेश	62918482	0.022186921	68690949	6930741	4132768
2.	अरुणाचल प्रदेश	640576	0.032528834	728081	92082	52739
3.	असम	9850672	0.011953279	10330176	1444412	894050
4.	बिहार	78370356	0.021499967	85330688	10204345	5628141
5.	गोवा	0	0.007839009	0	0	0
6.	गुजरात	11238561	0.019782591	12154612	1323524	536304
7.	हरियाणा	8850003	0.025085698	9772015	1191747	620654
8.	हिमाचल प्रदेश	1263307	0.020107112	1368019	156789	89433
9.	जम्मू व कश्मीर	5189244	0.025827571	5746475	634052	355849
10.	कर्नाटक	20491918	0.019595487	22145946	2534801	1430282
11.	केरल	0	0.013671980	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	50209533	0.024148963	55238096	5832173	3262378
13.	महाराष्ट्र	19874470	0.023306032	21793034	2142327	1226218
14.	मणिपुर	501046	0.025097937	553272	70725	34803
15.	मेघालय	852533	0.029447371	957476	122838	69975
16.	मिजोरम	46967	0.035292444	53957	6406	9374
17.	नागालैंड	201507	0.045704305	240949	27859	17136
18.	उड़ीसा	17850803	0.018829914	19233774	2035219	1208171
19.	पंजाब	5325309	0.019807393	5759933	599679	339375
20.	राजस्थान	34287025	0.025822080	37968022	4922556	2601029
21.	सिक्किम	138509	0.025481007	153175	25867	13832
22.	तमिलनाडु	16475925	0.014651472	17462940	1756542	953656
23.	त्रिपुरा	565700	0.029563103	635621	60714	8407
24.	उत्तर प्रदेश	109126837	0.022962581	119500730	14684946	8046866
25.	पश्चिम बंगाल	27973684	0.022521708	30580164	3003503	1722518
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.040869327	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0.036158907	0	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	138477	0.029010168	155259	19618	11316
29.	दमन व दीव	18847		19445	0	0
30.	दिल्ली	0	0.042787118	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0.025977364	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	0	0.029503113	0	0	0
कुल		477211047	0.021548616	519692739	59193266	32766261

(1) ताका खाना -I : नामांकन पर आधारित अनुमान

(2) ताका खाना -II : 80 प्रतिशत नामांकन पर जोसत उपस्थिति पर आधारित अनुमान

बच्चों को शामिल करने के लिए खाद्यान्न आवश्यकता

विद्यालय 6-11 I-V	नार्मांकन 6-14 I-VIII	ता० खा० I-V	आवश्यकता-I भनाज टनों में I-VIII	ता० खा० आवश्यकता-II खाद्यान्न टनों में I-V I-VIII	गरीब छात्रों की संख्या I-V I-VIII	शिक्षा के लिये खाना हेतु ता० खा० आवश्यकता I-V I-VIII	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7512923	10145496	150258	202910	120207	162328	2504308	3381832	125215	169092							
106631	135375	2133	2707	1706	2166	35544	45125	1777	2256							
1877735	2572412	37555	51448	30044	41159	625912	857471	31296	42874							
7765506	9718471	155310	194369	124248	155496	2588502	3239490	129425	161975							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1576317	1949585	31526	38992	25221	31193	525439	649862	26272	32493							
1225116	1665160	24502	33303	19602	26643	408372	555053	20419	27753							
186735	286185	3735	5724	2988	4579	62245	95395	3112	4770							
563038	793272	11261	15865	9009	12692	187679	264424	9384	13221							
3039227	3968910	60785	79378	48628	63503	1013076	1322970	50654	66149							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6094620	8277152	121892	165543	97514	132434	2031540	2759051	101577	137953							
2557938	3547496	51159	70950	40927	56760	852646	1182499	42632	59125							
69451	94927	1389	1899	1111	1519	23150	31642	1158	1582							
91883	120223	1838	2404	1470	1924	30628	40074	1531	2004							
8687	18764	174	375	139	300	2896	6255	145	313							
29614	41523	592	830	474	664	9871	13841	494	692							
1970092	2658749	39402	53175	31521	42540	656697	886250	32835	44312							
543309	773406	10866	15468	8693	12378	181103	257802	9055	12890							
4479526	5881481	89591	117630	71672	94104	1493175	1960494	74659	98025							
30420	38664	608	773	487	619	10140	12888	507	644							
2546986	3513992	50940	70280	40752	56224	848995	1171331	42450	58567							
79110	86071	1582	1721	1266	1377	26370	28690	1319	1435							
13113657	17539433	262273	350789	209819	280631	4371219	5846478	218561	292324							
3721340	5337062	74427	106741	59541	85393	1240447	1779021	62022	88951							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21560	26992	431	540	345	432	7187	8997	359	450							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
61856963	84039722	1237139	1680794	989711	1344636	20618988	28013241	1030949	1400662							

LIBRARY & DOCUMENTATION DEPT.

National Institute of Educational

Planning and Administration,

17-B, Sri Aurebindo Marg,

New Delhi-110016

DOC. No.

Date

D-9070

11-04-96

सारणी 4.8 ई० ए० ए० ए० ए० ए० ए० आई सी डी एन

क्रम सं०	राज्य	जन संख्या गैर ईएएम एल ए० ए० ए० आई सी डी एन ब्लॉक-1991	ज्यामितीय वृद्धि दर	जन संख्या गैर ई ए एम आई सी डी एन एल पी एल 1995	I-V	आयु विशिष्ट एल० एल० ए० ए० जन संख्या-95 VI-VIII
1	2	3	4	5	6	7
1.	झांझ प्रदेश	2602288	0.022186921	2841035	286653	170930
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.032528834	0	0	0
3.	असम	1824366	0.011953279	1913171	267508	165580
4.	बिहार	21210793	0.021933387	23094594	2761787	1523246
5.	गोवा	0	0.007839009	0	0	0
6.	गुजरात	777536	0.019782591	840913	91568	37104
7.	हरियाणा	4171366	0.025085698	4605948	561719	292539
8.	हिमाचल प्रदेश	720270	0.020107112	779971	89393	50990
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0.025827571	0	0	0
10.	कर्नाटक	5478558	0.019595487	5920766	677685	382389
11.	केरल	0	0.013671980	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11626104	0.024148963	12790476	1350450	755409
13.	महाराष्ट्र	4601522	0.023306032	5045726	496011	283905
14.	मणिपुर	247761	0.025097937	273586	34972	17210
15.	मेघालय	0	0.029447371	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0.035292444	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0.045704305	0	0	0
18.	उड़ीसा	3871369	0.018829914	4171299	441385	262020
19.	पंजाब	2322212	0.019807393	2511739	261503	147991
20.	राजस्थान	5780465	0.25822080	6401046	739896	438509
21.	सिक्किम	0	0.025481007	0	0	0
22.	तमिलनाडु	10167357	0.014651472	10776448	1083969	588505
23.	त्रिपुरा	0	0.029563103	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	49996025	0.022962581	54748783	6727850	3686639
25.	पश्चिम बंगाल	12317342	0.022521708	13465024	1322499	75845
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0.040869327	0	0	0
27.	चाण्डीगढ़	0	0.036158907	0	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0.02901068	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0.042787118	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0.025977354	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	0	0.29503113	0	0	0
कुल		137715334	0.021548616	149974858	17038290	9460186

(1) ताजा खाना-I :--नामांकन पर आधारित अनुमान ।

(2) ताजा खाना-II : 90 प्रतिशत नामांकन पर औसत उन्मिति पर आधारित अनुमान ।

ब्लॉकों को शामिल करने के लिये छाद्यात्मक आवश्यकता

विद्यालय G-11 I-V	नामांकन 6-14 I-VIII	ता० खा० I-V	आवश्यकता-I अनाज टनों में I-VIII	ता० खा० आवश्यकता-II खाद्यान्न टनों में I-V I-VIII	गरीब छात्रों की संख्या I-V I-VIII	शिक्षा के लिए भोजन हेतु अनाज आवश्यकता I-V I-VIII			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
310732	419614	6215	8392	4972	6714	103577	139871	5179	6994
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347761	476416	6955	9528	5564	7673	115920	158805	5796	7940
2101720	2630286	42034	52606	33628	42085	700573	876762	35029	43838
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109057	134881	2181	2698	1745	2158	36352	44960	1818	2248
577447	784857	11549	15697	9239	12558	192482	261619	9624	13081
106467	163168	2129	3263	1703	2611	35489	54389	1774	2719
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812544	1061097	16251	21222	13001	16978	270848	353699	13542	17685
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1411220	1916589	28224	38332	22580	30565	470407	638863	23520	31943
592238	821349	11845	16427	9476	13142	197413	273783	9871	13689
34343	46940	687	939	549	751	11448	15647	572	782
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427261	576613	8545	11532	6836	9226	142420	192204	7121	9610
236921	337260	4738	6745	3791	5396	78974	112420	3949	5621
755205	991562	15104	19831	12083	15865	251735	330521	12587	16526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571755	2168498	31435	43370	25148	34696	523918	722833	26196	36142
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6007970	8035621	120159	160712	96128	128570	2002657	2678540	100133	133927
1638577	2350009	32772	47000	26217	37600	546192	783336	27310	39167
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17805013	24209559	356100	484191	284880	387353	5935004	8069853	296750	403493

सारणी 4.0
विश्लेषण आयु जनसंख्या और कुल नामांकन अनुपात

क्रम सं०	राज्य	कुल जन सं० (जनगणना 1991)	विश्लेषण आयु वर्ग 6-11 I-V	ज० सं०-9 11-14 VI-VIII	स्तंभ-3 स्तंभ-1	स्तंभ-4 स्तंभ-1	कुल I-V	नामांकन अनुपात 1993-94 VI-VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	66508000	7027000	3949200	0.11	0.06	108.4	63.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	865000	107000	57800	0.12	0.07	115.8	54.5
3.	असम	22414000	3176700	1850100	0.14	0.08	130	77.7
4.	बिहार	86374000	10483600	5808900	0.12	0.07	76.1	34.7
5.	गोवा	1170000	132000	76200	0.11	0.07	98	96.4
6.	गुजरात	41310000	4626400	2069500	0.11	0.05	119.1	69.6
7.	हरियाणा	16464000	2021000	1113600	0.12	0.07	102.8	70.9
8.	हिमाचल प्रदेश	5171000	588900	342500	0.11	0.07	119.1	111.2
9.	जम्मू व कश्मीर	7719000	867900	492000	0.11	0.06	88.8	64.7
10.	कर्नाटक	44977000	5263900	2993600	0.12	0.07	119.9	65
11.	केरल	29098000	3080500	1769000	0.11	0.06	102.3	107
12.	मध्य प्रदेश	66181000	7697900	5264700	0.12	0.06	104.5	66.9
13.	महाराष्ट्र	78937000	8138300	4807500	0.10	0.06	119.4	80.7
14.	मणिपुर	1837000	235600	118400	0.13	0.06	98.2	73.2
15.	मेघालय	1775000	228800	125900	0.13	0.07	74.8	40.5
16.	मिजोरम	690000	80300	49000	0.12	0.07	135.6	107.5
17.	नागालैण्ड	1209000	136800	81500	0.11	0.07	106.3	69.5
18.	उड़ीसा	31660000	3531300	2054200	0.11	0.06	96.8	57
19.	पंजाब	20282000	2146800	1251500	0.11	0.06	90.6	67.8
20.	राजस्थान	44006000	5789200	3075200	0.13	0.07	91	53.9
21.	सिक्किम	406000	59100	32200	0.15	0.08	117.6	59.6
22.	तमिलनाडु	55859000	5796000	3298600	0.10	0.06	145	101.4
23.	त्रिपुरा	2757000	292300	59800	0.11	0.02	130.3	82.8
24.	उत्तर प्रदेश	139112000	17127200	9448100	0.12	0.07	89.3	55
25.	पश्चिम बंगाल	68078000	7401000	4143000	0.11	0.06	123.9	93.8
26.	अ० व नि० द्वीपसमूह	281000	42700	21400	0.15	0.08	93.2	79.9
27.	चंडीगढ़	642000	81900	46700	0.13	0.07	64.8	62.7
28.	दा० व न० हवेली	138000	16800	9800	0.12	0.07	109.9	48
29.	दमन व दीव	102000		0	0.00	0.00	0	
30.	दिल्ली	9421000	1020900	600100	0.11	0.06	86.8	79.9
31.	लक्षद्वीप	52000	6000	3100	0.12	0.06	141.5	111.3
32.	पांडिचेरी	808000	74500	45200	0.09	0.06	140.1	132.2
कुल		846303000	98111300	55372400	0.12	0.07	104.5	67.7

4.30 विभिन्न वैकल्पकों की खद्यान्न आवश्यकता संक्षिप्त रूप में सारणी 4.10 में दी गई है।

सारण 4.10

खाद्यान्नो की आवश्यकता

			(मिलियन टन में)	
		ताजा खाना-I प्रति बच्चा, प्रति दिन, 100 ग्राम 10 महीने के लिए	ताजा खाना-II 80 प्रतिशत उपस्थिति पर	शिक्षा के लिए खाना पांच किलो की दर से प्रति माह प्रति बच्चा, 10 महीने के लिए
1	2	3	4	
1. सभी नामांकित बच्चे				
कक्षा 1-5	2.16	1.73		
कक्षा 1-8	2.96	2.36		
2. "गरीब" परिवारों के सभी नामांकित बच्चे				
कक्षा 1-5			1.80	
कक्षा 1-8			2.46	
3. ई० ए० एस० ब्लकों का विस्तार				
कक्षा 1-5	0.74	0.59	0.61	
कक्षा 1-8	1.00	0.80	0.83	
4. एल० एफ० एल० ब्लकों का विस्तार				
कक्षा 1-5	1.24	0.99	1.03	
कक्षा 1-8	1.68	1.34	1.40	
5. ई० ए० एस० एल० एफ० एल०				
कक्षा 1-5	0.55	0.44	0.46	
कक्षा 1-8	0.74	0.60	0.62	
6. गैर रोजगार आशवासन योजना				
आई० सी० डी० एस०-एल० एफ० एल०				
कक्षा 1-5	0.36	0.28	0.30	
कक्षा 1-8	0.48	0.39	0.40	

4.31 विभिन्न विकल्पों के लिए खाद्यान्नों की अनुमानित लागत नीचे सारणी 4.11 में दी गई है।

सारणी 4.11

आवश्यक खाद्यान्नों का जन वितरण पद्धति के लिये मूल्य

(₹० मिलियन में)

	ताजा खाना-I प्रति बच्चा, प्रति दिन, 100 ग्राम 10 महीने के लिए	ताजा खाना-II 80 प्रतिशत उपस्थिति पर	शिक्षा के लिए खाना पांच किलो की दर से प्रति माह प्रति बच्चा, 10 महीने के लिए
1	2	3	4
1. सभी नामांकित बच्चे			
कक्षा 1-5	10908.0	8736.5	
कक्षा 1-8	14948.0	11918.0	
2. 'गरीब' परिवारों के सभी नामांकित बच्चे			
कक्षा 1-5			9090.0
कक्षा 1-8			12423.0
3. ई० ए० एस० ब्लॉक का विस्तार			
कक्षा 1-5	3737.0	2979.0	3080.5
कक्षा 1-8	5050.0	4040.0	4191.5
4. एल० एफ० एल० ब्लॉक का विस्तार			
कक्षा 1-5	6262.0	4999.5	5201.5
कक्षा 1-8	8484.0	6767.0	7070.0
5. ई० ए० एस० एल० एफ० एल०			
कक्षा 1-5	2777.5	2222.0	2323.0
कक्षा 1-8	3737.0	3030.0	3131.0
6. गैर रोजगार आश्वासन योजना/आई० सी० डी० एस०—			
एल० एफ० एल०			
कक्षा 1-5	1818.0	1414.0	1515.0
कक्षा 1-8	2424.0	1969.5	2020.0

सारणी 4.12

आवश्यक खाद्यान्नों का किफायत दर पर मूल्य

(रु० मिलियन में)

	ताजाखाना-I प्रति बच्चा, प्रति दिन; 100 ग्राम 10 महीने के लिए	ताजाखाना-II 80 प्रतिशत उपस्थिति पर	शिक्षा के लिए खाना पांच किलो की दर से प्रति माह प्रति बच्चा, 10 महीने के लिए
1	2	3	4
1. सभी नामांकित बच्चे			
कक्षा 1-5	14307.84	11459.52	
कक्षा 1-8	19607.04	15632.64	
2. "गरीब" परिवारों के सभी नामांकित बच्चे और स्कूल न जाने वाले बच्चे			
कक्षा 1-5			11923.20
कक्षा 1-8			16295.04
3. ई० ए० एस० ब्लॉक का विस्तार			
कक्षा 1-5	4901.76	3908.16	4040.64
कक्षा 1-8	6624.00	5299.20	5497.92
4. एल० एफ० एल० ब्लॉक का विस्तार			
कक्षा 1-5	8213.76	6557.76	6822.72
कक्षा 1-8	11128.32	8876.16	9273.60
5. ई० ए० एस० ए० ए० ए० ए० ए०			
कक्षा 1-5	3643.20	2914.56	3047.04
कक्षा 1-8	4901.76	3974.40	4106.88
6. गैर रोजगार आश्वासन योजना			
कक्षा 1-5	2384.64	1854.72	1987.20
कक्षा 1-8	3179.52	2583.36	2649.60

गेहूँ 50% 576 रुपये प्रति क्विंटल की दर में।

चावल 50 प्रतिशत 748.80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से।

4.34 हमारा सुझाव है कि इस योजना के लिए खाद्यान्न दिए जाने की दर निम्नलिखित कारणों से संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर हो सकती है:—

- (1) इससे निर्गम मूल्यों में एक समानता सुनिश्चित होगी और क्योंकि इस योजना को संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल उन्हीं ब्लॉकों में मोटे तौर पर कार्यान्वित किए जाने का विचार है।
- (2) इससे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच लाभ नियत करने में एक समानता भी सुनिश्चित होगी क्योंकि 25 पैसे प्रति किलोग्राम खाद्यान्न का एक समान मानदण्ड का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसरण किया जाता है ताकि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न को लाने ले जाने की लागत और थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लाभ को शामिल किया जा सके।

अध्याय 5

संभारतंत्र एक सारांश

5.1 इसके चार मुख्य पहलू हैं :—

- (1) लाभग्राहियों का अभिनिर्धारण।
- (2) गर्म भोजन तैयार करने तथा उसे परोसने के लिए अपेक्षित व्यवस्था, यदि उस विकल्प को अपनाया जाता है;
- (3) गांवों को खाद्यान्नों का वितरण;
- (4) मानीटारिंग, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

लाभग्राहियों का अभिनिर्धारण

5.2 विभिन्न प्रकार के गर्म भोजन के पहचान की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सम्बन्धित कक्षाओं के सभी छात्र अपने आप इसके अन्तर्गत आ जाएंगे। शिक्षा के बदले खाना के दो पहलुओं की पहचान की गई है :—

- (1) क्या छात्र निर्धन परिवार के हैं, यहाँ उन्मूलन के लिए अपनाए गए मानदण्डों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किए गए आयोन्मुखी कार्यक्रमों को तुरन्त अपनाया जा सकता है, इससे वैकल्पिक मानदण्डों का विकास स्पष्ट होगा।
- (2) क्या छात्र की अपेक्षित उपस्थिति है।

5.3 हमारा सुझाव है कि न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की जाए, किसी महीने में खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता पिछले माह की उपस्थिति से जुड़ी होनी चाहिए। हमारा आगे सुझाव यह है कि उपस्थिति संयुक्त रूप से स्कूल के प्रमुख और गांव शिक्षा समिति अथवा पंचायत शिक्षा समिति अथवा मातृ/अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा स्थापित की जाए ताकि उसकी वास्तविकता को सुनिश्चित किया जा सके।

5.4 हम जोर देकर सुझाव देना चाहते हैं कि पोषण सहायता के कार्यान्वयन के साथ-साथ, अन्य सेवाओं की और अभिमुख करने का प्रयास किया जाए और शिक्षा को सभी को मुजम कराने के लिए संतुलित सूक्ष्म आयोजना की कार्यनीतियों को भी अपनाया जाए जिसमें स्वैच्छिक शिक्षा समितियां/मातृ/अभिभावक शिक्षक संघ शिक्षकों के सहयोग से घर-घर में सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाएं। स्कूल की आवश्यकता तथा उपस्थिति की नियमितता के सम्बन्ध में अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श किए जाएं और सभी अभिभावकों को स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए राजी किया जाए। यह भी वांछनीय होगा कि ऐसे परिवारों की सूची बनाई जाए जो सहायता के पात्र हैं और उसे पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगाया जाए और ग्राम सभा को भी उसकी सूचना दी जाए। आर० पी० डी० एस० के लिए, लाभग्राहियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति का निरीक्षण करने तथा जाली दावों का पता लगाने के लिए उपभोक्ता संगठनों और महिलाओं के समूहों को मिलाकर सतर्कता समितियां बनाई गई थीं। इन समितियों से अनुरोध किया जाए कि वे शिक्षा के बदले भोजन कार्यक्रम पर भी निगरानी रखें।

गर्म भोजन तैयार करने तथा उसे परोसने के लिये संभारतंत्र

5.5 भिन्न-भिन्न स्थानों की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और उनमें बहुत अन्तर हैं और इसलिए राज्य को गर्म भोजन तैयार करने और उसके वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने सम्बन्धी उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना चाहिए। निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य ध्यान में रखे जाएं :—

- (1) राजस्व/सामान्य प्रशासन विभागों को खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करने में और कार्यक्रम की प्रवाही व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभावी चाहिए।
- (2) अनुभव से पता चला कि शिक्षकों को मध्याह्न भोजन का कार्य सौंपने से उनके शिक्षण समय में गम्भीर रूप से अतिक्रमण होगा। यह नितान्त आवश्यक है कि अध्ययन-अध्यापन समय इस कार्यक्रम के लिए नहीं काटा जा सकता। शैक्षणिक पर्यवेक्षी संवर्गों ने स्कूलों का पर्याप्त निरीक्षण करने और उन्हें शैक्षिक मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करने के लिए पहले से ही बहुत प्रयास किए हैं। उन्हें अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपना वांछनीय नहीं है।

- (3) बहुत अधिक सरकारी संवर्गों का सृजन, जैसे भी हो, अवांछनीय है, इसलिए विकल्पों की सक्रिय रूप से खोज की जानी चाहिए। इनमें गैर सरकारी संगठनों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों को कार्य सौंपना, समेकित बाल विकास योजना के साथ समन्वय करना और जहाँ कहीं सम्भव हो संसाधित भोजन शामिल है।
- (4) जहाँ कहीं सम्भव हो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रबन्ध करना।
- (5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्राप्त न हुई खाद्यान्न सामग्री का प्रबन्ध करना और उसकी आपूर्ति के लिए कारगर व्यवस्था करना।
- (6) यह सुनिश्चित करना कि दी जाने वाली खाद्य सामग्री नीरस नहीं है, पोषक तत्वों के अनुरूप है और स्वच्छ वातावरण में तैयार की गई है।
- (7) कार्यक्रम को सरल बनाने में और उस पर निगरानी रखने में ग्राम शिक्षा समितियों, पंचायतों मातृ/अभिभावक, शिक्षक संघों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे स्थानीय विकासियों की सक्रिय भूमिका और यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के पूरे समय की बच्चों की उपस्थिति लगी हो।

खाद्यान्नों का वितरण

5.6 गर्म भोजन अथवा शिक्षा के बदले भोजन कोटियों का कार्यान्वयन विवेचित रूप से गांव में सतत आधार पर खाद्यान्नों के वितरण पर आधारित है। कार्यक्रम तब असफल होगा यदि गांव में खाद्यान्नों के वितरण के लिए संस्थागत तंत्र अनियमित अथवा अस्तित्वहीन होगा। खाद्यान्न वितरण के महत्व का संकेत देने के लिए यह आशा की जा सकती है कि चयन मानदण्ड के रूप में रोजगार आश्वासन योजना खण्डों में तीन लाख गांव शामिल होंगे।

5.7 गुजरात और तमिलनाडु में खाद्यान्नों के वितरण के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं के व्योरो का आवश्यक व्यवस्थाओं की विशिष्टता सूचित करने के लिए यहां उल्लेख किया गया है।

5.8 गुजरात राज्य में, मध्याह्न भोजन योजना के लिए गुजरात राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा खाद्य वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। सिविल आपूर्ति निगम भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षित मात्रा में चावल और गेहूं प्राप्त करता है जबकि दाल और तेल जैसी वस्तुएं टेंडर के आधार पर खुले बाजार से खरीदी जाती हैं। सिविल आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा प्रत्येक ताल्लुकों को मुहैया कराई जाती है। खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के पश्चात्, सिविल आपूर्ति निगम को ताल्लुक स्तर पर अपने गोदाम तक खाद्यान्न पहुंचाना अपेक्षित होता है। निगम के ताल्लुक स्तर के गोदाम में खाद्यान्न पहुंचाने के पश्चात्, सम्बन्धित ताल्लुक के अन्तर्गत उचित दर की दुकान के मालिकों को सिविल आपूर्ति निगम के गोदाम से अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक मध्याह्न भोजन केन्द्र की आवश्यकता का निर्धारण ताल्लुक मामलातदार द्वारा प्रत्येक केन्द्र में लाभग्राहियों की संख्या को प्रत्येक लाभग्राही के प्रतिदिन के यथा-निर्धारित खाद्यान्नों की मात्रा से गुणा करके किया जाता है। यह प्रायः मासिक आधार पर किया जाता है। जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा और सम्बद्ध अवधि का उल्लेख करने पर मामलातदार मध्याह्न भोजन केन्द्रों के आयोजक तथा सम्बद्ध उचित दर की दुकान के मालिक दोनों को परमिट जारी करता है। खाद्यान्नों की प्राप्ति का लेखा सभी सम्बन्धित स्तरों पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, मामलातदार का कार्यालय जारी किए गए परमिट का रिकार्ड रखता है। निगम का गोदाम भी प्राप्त किए गए खाद्यान्नों तथा प्रत्येक उचित दर की दुकान को वितरित किए गए खाद्यान्नों का रिकार्ड रखता है। जबकि उचित दर की दुकान का मालिक भी उससे जुड़े प्रत्येक केन्द्र को कितना खाद्यान्न दिया गया उसका रिकार्ड रखता है। केन्द्र के संचालक से आशा की जाती है कि वह आयोडोनयुक्त, नमक सब्जियां, मसाले और भोजन आदि तैयार करने के लिए अपेक्षित मसालों सहित उचित दर की दुकानों से प्राप्त खाद्यान्न की सभी वस्तुओं का निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक महीने के आधार पर पूरा लेखा रखे। केन्द्र के संचालक उस उचित दर की दुकान से, जिस वे जुड़े हैं, खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करते हैं। सिविल आपूर्ति निगम को दी जाने वाली आवश्यकता में परिवहन और प्रबंध प्रभार, जो लगभग 35 पैसे होते हैं शामिल होते हैं। सब से पहले राज्य सरकार आयुक्त, मध्याह्न भोजन को आवधिक आधार पर अनुदान मुक्त करती है और उसके बाद मध्याह्न भोजन आयुक्त प्रत्येक जिले को अनुदान मुक्त करता है। उसके पश्चात् जिलाधीश फिर आदेश देता है और प्रत्येक ताल्लुक को उनकी आवश्यकता के आधार पर अनुदान मुक्त करता है। मामलातदार द्वारा सिविल आपूर्ति निगम को उचित दर की दुकानों से उठाए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता है। उचित दर की दुकान के मालिकों को भी प्रोत्साहन के रूप में प्रति कि० ग्रा० खाद्यान्न पर न्यूनतम कमीशन दिया जाता है जो सिविल आपूर्ति निगम को दिए गए मूल्य में भी शामिल है।

5.9 तमिलनाडु में प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक माह के लिए खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता की आपूर्ति तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम द्वारा भोजन देने वाले केन्द्र को की जाती है। 45 दिनों की आपूर्ति के लिए मांग-पत्र दिया जाता है और मध्याह्न भोजन केन्द्र को सिविल आपूर्ति गोदाम से पुनःपूर्ति प्रभार का भुगतान 1.4 प्रतिशत में किया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रबंध सामग्री के लिए 0.4 प्रतिशत की अनुमति दी जाती है। सिविल आपूर्ति निगम मध्याह्न भोजन केन्द्र तक वस्तुओं को ले जाने तथा उनके प्रबंध के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। उन्हें वस्तुओं के साथ तराजू ले जाना होता है और वस्तुएं प्रदान करते समय मध्याह्न भोजन स्टाफ की उपस्थिति में—तौलना होता है। जिलाधीशों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उक्त काम की जांच करने का अधिकार दिया जाता है। सञ्जियां स्थानीय सुपर बाजारों से प्राप्त की जाती हैं।

5.10 गुजरात और तमिलनाडु, दोनों में, यद्यपि खाद्यान्न प्रदान करने में सिविल आपूर्ति निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी पूर्ण रूप से शामिल है। उन राज्यों में जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है वहां कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले बहुत से स्कूलों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए उचित दर की दुकानों के विद्यमान नेटवर्क का उपयोग करना युक्ति संगत होगा। अन्य राज्यों में राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम से गांवों में खाद्यान्न ले जाने के लिए वैकल्पिक रूपात्मकताएं विकसित करनी होंगी।

5.11 विद्यमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देश में चार लाख से अधिक उचित दर की दुकानों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुएं वितरित की जाती हैं। उचित दर की दुकानों को राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ये गैर-सरकारी व्यक्तियों, सहकारी समितियों अथवा राज्य सिविल आपूर्ति निगमों द्वारा चलाई जाती हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का अधिकांश नियतन करने के लिए और उनके द्वारा जारी किए गए प्राधिकार के अनुसार भुगतान पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के नामित व्यक्तियों को नियत वस्तुएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय खाद्यनिगम के निदिष्ट सुपुदर्गी डिपो से खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। चावल और गेहूँ का प्रबंध संग्रह किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामित व्यक्तियों के पास भेजा जाता है और उसे सौंपा जाता है। उसके पश्चात्, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उपभोक्ताओं के लिए उसके वितरण को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व लेना होता है।

5.12 भारतीय खाद्य निगम ने जनवरी से दिसम्बर 1994 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनः तैयार की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आठ मिलियन टन चावल और पांच मिलियन टन गेहूँ का वितरण किया। विगत में भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक वर्ष में (1991-92) अधिकतम 19 मिलियन टन तक खाद्यान्न वितरित किया। अतः शिक्षा के लिए आहार सहायता के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का प्रबंध करने में उपभोक्ता कार्य विभाग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किसी समस्या की परिकल्पना नहीं की गई।

5.13 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के वितरण की वर्तमान प्रणाली में खाद्यान्न प्रदान करने के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करने वाले द्वारा भुगतान किए जाते हैं। अन्य शब्दों में भारतीय खाद्य निगम केवल भुगतान पर राज्य सरकारों के नामित व्यक्तियों को खाद्यान्न जारी करता है। राज्य सरकार के थोक नामित व्यक्ति उचित दर की दुकानों के संचालकों द्वारा उनको दिए गए जमा के अनुसार उचित दर की दुकानों को खाद्यान्न प्रदान करते हैं। अंत में उचित दर की दुकानें उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य पर वस्तुएं बेचती हैं। आदर्शतः भुगतान की वही प्रणाली आहार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के वितरण के लिए भी अपनायी जानी चाहिए। हालांकि यह महसूस किया जाता है कि स्कूल को खाद्यान्न खरीदने के लिए भुगतान करना दुर्बल हो सकता है। कूपन की प्रणाली अपनायी जा सकती है जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण के लिए अपनायी गई। इस प्रकार की प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकारें कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल स्कूलों की आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगी और स्कूलों को प्रतिमाह अपेक्षित सीमा तक वाउचर अथवा कूपन जारी करने की व्यवस्था करेंगी। उचित दर की दुकानों से इन कूपनों के जमा पर स्कूलों को खाद्य सामग्री उठाने की अनुमति दी जाएगी। उचित दर की दुकानों के मालिक को थोक नामित व्यक्ति पदनामित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा इन वाउचरों की जमा के मुकाबले रोकड़ की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमति होगी।

5.14 इस प्रणाली में यह व्यवस्था है कि आरंभ में खाद्य सामग्री उठाने के लिए उचित दर के दुकानदार अदायगी करेंगे। क्योंकि उसे लाभग्राही स्कूलों द्वारा कोई अदायगी नहीं की जाएगी अतः उसे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अंतिम फुटकर कीमतों पर नकद प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसमें फुटकर व्यापारी का लाभ और वाहन खर्च शामिल होंगे। एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह प्रणाली पोषण सहायता कार्यक्रम के लिए आपूर्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित तौर पर जारी रखी जा सकती है।

5.15 राज्य स्तर पर राज्य सरकार से कम से कम तीन माह की अत्रिधि के लिए इस तंत्र में पर्याप्त निधियों की अपेक्षा होगी। राज्यों को सहायता देने का एक तरीका यह भी है कि उन्हें अपनाई गई चयन पद्धति के आधार पर तीन माह के लिए अनुमानित जरूरतों और आर० पी० डी० एस० के लिए केन्द्रीय निगमन कीमत के आधार पर निर्धारित खाद्य अनाजों की तीन माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए साधनों की अग्रिम व्यवस्था की जाए।

समन्वय, पर्यवेक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन

5.16 हम पर्यवेक्षण मानीटरिंग और मूल्यांकन को शिशु देखभाल और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अभिसरण के वृहत कार्य ढांचे के एक भाग के रूप में देखते हैं। अतः हमने जो प्रावधान सुझाए हैं उनमें मोटे तौर पर योजना आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया है।

5.17 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ये दो घटक अतिआवश्यक हैं :--

- (1) भा० खा० निगम के गोदामों से गांवों तक खाद्य सामग्री का पहुंचाया जाता।
- (2) दाखिला सम्बंधी आंकड़े जिनके आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है।

5.18 प्रबंध सूचना प्रणाली के ब्योरे निश्चितता से तैयार किए जाने हैं। प्रबंध सूचना पद्धति के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके रिपोर्टिंग पद्धति तैयार की जाएगी ताकि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के नेटवर्क के जरिए जिलों से और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्तरों पर उनके तालमेल से रिपोर्टें भेजने को सुकर बनाया जा सके।

5.19 तय किए गए अधिकांश कार्यक्रमों के पर्यवेक्षी स्तरीय पदाधिकारी उप-जिला स्तर पर हैं। इन पर्यवेक्षकों को संयुक्त रूप से मासिक बैठकें आयोजित करनी चाहिएं जिनमें निष्पादन की सम्पूर्ण समीक्षा की जाती है। संयुक्त भावी कार्यकलापों मानीटरिंग रिपोर्टिंग और पुनरीक्षा प्रणालियों के लिए ऐसी बैठकों में योजनाएं भी विकसित की जा सकती हैं। उप-जिला स्तर पर पंचायत संगठनों को भी ऐसी बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए। उप-जिला अधिकारी और ब्लाक जिला अधिकारी इन बैठकों में अधिक समन्वय देकर तथा लक्षित क्षेत्रों की ओर ध्यान दिला कर इन बैठकों को कारगर बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण में पंचायतों की महिला सदस्य भी सक्रिय रूप से सहयोजित की जा सकती हैं।

5.20 जिला स्तर पर कलेक्टर/सी० ई० ओ० को भी कार्यकलापों का समन्वय करना चाहिए। उनकी अध्यक्षता में इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की एक जिला स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए। इस समिति की बैठक नियमित रूप से कम से कम एक तिमाही में कार्यक्रम की अभिविन्दुता की प्रगति इसकी आयोजना और कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

5.21 मुख्य सचिव/वरिष्ठतम सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन होना चाहिए जिसमें सम्बन्धित विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष होने चाहिएं।

5.22 केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति होनी चाहिए। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रापण और वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि इस बैठक में होने चाहिएं। इस समिति की आवधिक बैठकें होनी चाहिएं और इसे इस स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा/अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिएं। शिक्षा सचिव को भी समय-समय पर राज्य शिक्षा सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें लेनी चाहिएं ताकि इस क्षेत्र में स्कीमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और इस स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में पुनर्निवेशन प्राप्त हो।

5.23 स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए इस प्रणाली का मूल्यांकन करना भी नितान्त आवश्यक था। योजना आयोग तथा स्वतंत्र एजेंसियों के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष बाद तत्काल कार्यक्रम के मूल्यांकन का पता लगाने के लिए कहा जाए।

5.24 शिक्षा विभाग भारत सरकार स्वतंत्र संगठन के जरिये समवर्ती मानीटरिंग के लिए एक प्रणाली इस प्रकार से स्थापित करें कि इन स्कीमों में शामिल किया गया प्रत्येक जिला एक वर्ष में कम से कम एक बार एक स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा मानीटर तथा मूल्यांकित हो इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है।

सामुदायिक भागीदारी

6.1 यह अब स्वतः सिद्ध है कि विकास सामाजिक रूप से न्यायसंगत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सौम्य होना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ लोगों को योजना और कार्यान्वयन के केन्द्र के रूप में सहभागी बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को लोगों को सक्षम बनाने का साधन समझा गया। शिक्षा के प्रति पोषण सहायता के कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अब यह सुस्थापित है कि विकास की प्रक्रिया को मात्र लोगों तथा समुदाय की सहभागिता के प्रसार से एक परिप्रेक्ष्य में ही तीव्रगामी बनाया जा सकता है जिसमें ऐसे कार्यक्रमों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन शामिल हो। इस विषय को विकसित करते हुए, कार्यवाई योजना, 1992 में स्पष्ट तौर पर यह उल्लिखित है कि अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा, शिशु देखभाल और शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में आरंभ से ही लोगों की भागीदारी और एक बृहत पैमाने पर स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक सक्रिय दलों की सहभागिता अपेक्षित होगी। कुल साक्षरता अभियान में समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की सामाजिक गतिशीलता तथा सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षक तथा अभ्यास के बीच साझेदारी से यह पता चलता है कि जन सहभागिता के जरिए कैसे सरकारी प्रयासों को कारगर ढंग से बढ़ाया जा सकता है। इन सभी अभियानों से सामाजिक कल्याण का यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि सामाजिक कल्याण को, शैक्षिक लक्ष्यों समेत गैर-सरकारी प्रयासों को शामिल किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता।

6.2 शिक्षा के लिए पोषण सहायता जैसे कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और एजेंसियां शामिल हैं। केवल स्थानीय समुदाय ही इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि विभिन्न पदाधिकारी एक साथ कार्य करें और इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न लेकिन संबंधित स्कीमों को एक साथ कार्यान्वित करने की सहक्रियाएं प्राप्त की जाएं। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने में मार्ग प्रशस्त हुआ है। शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट है कि इन संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में जिला, ब्लाक/तालुक स्तरों पर किस प्रकार की शैक्षिक संरचनाएं स्थापित होनी चाहिए। इसने शैक्षिक प्रक्रिया में जन सहभागिता जुटाने के लिए तरीके भी सुझाए हैं ताकि संशोधनों की सच्चे अर्थ में लोगों तक ये अधिकार पहुंच सकें। शिक्षा के प्रति पोषण सहायता योजना तैयार करते समय हम राज्य सरकारों को यह सुझाव देंगे कि वे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखें। पंचायती राज अधिनियम में यथापरिकल्पित शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध के एक प्रमुख पहलू, ग्राम शिक्षा समितियों का निर्माण है जो ग्राम स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे। ग्रामीण शिक्षा समितियों का मुख्य उत्तरदायित्व व्यवस्थित तरीके से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना तथा अभिभावकों से समय-समय पर बर्बाद करके स्कूलों पर विदेश में सूक्ष्म स्तरीय योजना को चलाने में निहित होगा। ग्रामीण शिक्षा एककों के मुख्य लक्ष्यों में एक, प्रत्येक परिवार के हरेक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने को सुनिश्चित करना होगा। प्रारंभिक स्कूलों में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा में पोषण सहायता कार्यक्रम एक उपाय है, इसका उपयुक्त कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण शिक्षा समितियों को जहां भी वे गठित हो, सौंपी जानी चाहिए। ग्रामीण शिक्षा समितियां यह सुनिश्चित करने का सक्षम होंगी कि कार्यक्रम सही तरीके से कार्यान्वित हो और अभीष्ट लाभ अभीष्ट लाभग्राहियों तक पहुंच सकें, चाहे वह गरम भोजन हो अथवा शिक्षा के बदले भोजन हो। शिक्षा के बदले भोजन में विशेष तौर पर, मा० शि० स० यह सुनिश्चित कर सकती है कि जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं क्या वे वास्तव में इसके पात्र हैं।

6.3 मा० शि० स० के अलावा ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वे गरम भोजन के प्रबंध में पर्यवेक्षण शिक्षा के बदले भोजन के मामले में, इसके वितरण में कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं। हम दृढ़ता से इस कार्यक्रम में महिला पंचों की सक्रिय भागीदारी का आग्रह करेंगे।

6.4 हमने पहले भी तमिलनाडु में दोपहर भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में माँ-शिक्षक संघों द्वारा निभायी जा रही प्रशंसनीय भूमिका का उल्लेख किया है। माँ/अभिभावक शिक्षक संघ और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के

विकास जैसे दल कारगर ढंग से स्कूलों में गरम भोजन कार्यक्रम के कार्यक्रम में यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भोजन स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया गया है तथा बच्चों को दिया गया है कि उचित भोजन देने में नीरसता को समाप्त करने के लिए व्यंजन सूची में पर्याप्त किस्में हैं। भोजन देने के समय पर उनकी उपस्थिति से सही वितरण में भी सहायता मिलनी चाहिए और यह बात भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि भोजन के परोसने में मात्रा में किसी बच्चे के साथ भेदभाव न हो। यह आशा करना स्वाभाविक है कि सक्रिय रूप से सहभागी संघ पर दिए गए भोजन में कुछ अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अलावा, भोजन के वक्त कुछ माताओं की उपस्थिति से बच्चों के लिए घर जैसा वातावरण बनेगा।

6.5 उपभोक्ता दलों सहित, गैर-सरकारी संगठन इस कार्यक्रम में योगदान देने के अतिरिक्त दुर्विनियोजन और दुरुपयोग के विरुद्ध प्रहरी का कार्य कर सकते हैं। निरंतर निगरानी ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के कारगर कार्यक्रम को सुनिश्चित करती है। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका विशेषतौर पर शिक्षा के बदले भोजन में अधिक बढ़ी है। जाली दाखिला आंकड़े, लाभग्राहियों की सूची में अपात्र परिवारों का शामिल होना, लाभग्राहियों को खाद्य अनाजों की आबंटित मात्रा न जारी करना, जारी किए गए खाद्य अनाजों की खराब कोटि आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी गहन जांच करना अपेक्षित है। गैर-सरकारी संगठन स्कूलों में अचानक जाकर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में व्याप्त कर्दाचारों का पता लगाकर प्राधिकारियों के ध्यान में तेजी से ला सकते हैं। पुनः तैयार की गयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत परिकल्पित सतर्कता समितियों के प्रकार जिनमें कार्डधारी (अर्थात् लाभग्राही), उपभोक्ता संगठनों और महिलाओं के दल शामिल हैं के उचित दर की दुकानों के कार्यक्रम का मूल्यांकन लाभग्राहियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और जाली राशन कार्डों का पता लगाना शिक्षा कार्यक्रम के लिए पोषण सहायता में समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए एक अनुकरणीय कदम है। वे अभिभावक जागरूकता तैयार करने में भी कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं तथा इससे स्कूलों में दाखिला और बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में बढ़ावा मिलता है।

अध्याय VII

केन्द्रीय सहायता : प्राचल

7.1 अन्ततः जबकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के जरिए प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए जिसकी परिकल्पना शिशु देखभाल और शिक्षा, पोषण, स्कूल स्वस्थ और प्राथमिक शिक्षा के समेकित पैकेज के रूप में की गई है, ऐसे व्यापक कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि बिन्दु कम महिला साक्षरता दरों सहित रोजगार आश्वासन स्कीम ब्लाकों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हो सकता है। यदि आरंभिक कवरेज बड़ी है तो सभी रोजगार आश्वासन स्कीम खण्डों अथवा शामिल न किए गए सभी रो० आ० यो० तथा समेकित बाल कार्यक्रम ब्लाकों को जिनमें कम महिला साक्षरता है, शामिल किया जा सकता है। यह भी वांछनीय है कि जि० प्रा० शि० कार्यक्रम के जिलों में सभी ब्लाकों को शामिल किया जाए इसके अतिरिक्त, किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम दस प्रतिशत खण्डों को किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाए जिन्हें चुनिन्दा अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। कक्षा 1 से VIII को शामिल किया जाए ताकि किए जाने वाले शैक्षिक उपायों सहित पोषण सहायता इक्कीसवीं शदी में जाने से पूर्व चौदह वर्ष की आयु से कम सभी बच्चों को सन्तोषजनक कोटि की आवश्यक और निःशुल्क शिक्षा देने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

7.2 केन्द्रीय सहायता के प्राचल निम्नलिखित हो सकते हैं :--

- * केन्द्र पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू केन्द्रीय कीमतों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अपेक्षित खाद्य सामग्री की व्यवस्था के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा की पोषण सहायता के कार्यान्वयन की लागत का अंश देगा।
- * भारत सरकार, शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों तथा खण्डों के संबंध में उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगी।
- * प्रत्येक राज्य की अनाज में उपयुक्त अवस्थापना और वितरण प्रणाली सहित अपनी विशिष्ट स्कीम होगी कि राज्य, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विकल्प के तहत पात्र होगा।
- * इन पैरा मीटरों की शर्त पर केन्द्रीय सहायता के लिए पोषण सहायता के सतत कार्यक्रम पात्र होंगे।
- * राज्य के पास पोषण सहायता के वितरण का साधन निर्धारित करने का एक विकल्प हो सकता है अर्थात् क्या वे पूर्व-पका गरम भोजन अथवा शिक्षा के बदले भोजन अथवा एक संयुक्त रूप प्रदान करते हैं?
- * गांव/स्कूल तक अनाज पहुंचाने और ढुलाई को सुनिश्चित करने और भोजन पकाने और परोसने तथा गरम भोजन की किस्मों की आपूर्ति करने के लिए राज्य को केन्द्रीय प्रयास की सम्पूर्ति करनी चाहिए।
- * इसके साथ-साथ राज्य शिशु देखभाल और शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंधित सेवाओं और कार्यक्रमों में सामंजस्य बिठाने के लिए कदम उठाएगा।
- * केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर होगी जिसमें राज्यों की भारत सरकार द्वारा पुष्टि और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए की जा रही संतोषजनक व्यवस्था है।
- * आरम्भिक खाद्य सामग्री आबंटन को 80 प्रतिशत औसत उपस्थिति से तथा वर्ष 1993-94 में कक्षा VIII में दाखिले से संबंधित होगा।
- * खाद्य अनाजों के आबंटन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं :--
 - ** जिला, आबंटन की इकाई होगा।
 - ** तीन माह की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटन प्रत्येक माह किया जाएगा।
 - ** आरम्भिक आबंटन वर्ष 1993-94 के दाखिले और 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर एक तिमाही के लिए हो सकता है।
 - ** किसी राज्य में स्कीम को आरंभ करने के चौथे माह से, राज्य का मासिक आबंटन भारतीय खाद्य निगम (सामान्य समय-अन्तराल 4-5 सप्ताह है) से प्राप्त कुल खरीद के आंकड़ों पर और राज्यों से (2 माह की न्यून सीमा सहित) प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र और दाखिला आंकड़ों पर आधारित माना जाए।

- * भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्य सामग्री उठाने को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकारों को तीन माह के लिए साधन अग्रिम की व्यवस्था करना । ये साधन अग्रिम निम्नलिखित के आधार पर आंके जाएंगे :-- ..
 - ** आरम्भिक खाद्य अनाज आबंटन :
 - ** यह मानना कि गेहूं और चावल का आबंटन 50 : 50 के अनुपात में है, और चावल उत्कृष्ट किस्म का है ।
- * भारत सरकार में शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक नाडल एजेंसी होगी । शिक्षा को नाडल एजेंसी के रूप में तरजीह देते हुए राज्य सरकार एक उपयुक्त विभाग नियत कर सकती है ।

7.3 निसन्देह ही आने वाले वर्षों में शिक्षा के प्रति पोषण सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए एक व्यापक समान पैकेज के रूप में एक महत्वपूर्ण धटक बन जाएगा । इस समता आयाम को ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय सरकार इस कार्यक्रम के प्रसार की गुंजाइश पर विचार कर सकती है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अर्जित अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उक्त पैरामीटरों की समीक्षा वक्त पर यथा आवश्यक संशोधन समाविष्ट किए जाएं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के प्रावधान के लिए केन्द्रीय-सहायता की योजना हेतु दिशा-निर्देश

सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान एक सर्वैधानिक लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति विषयक ढांचे के अनुसार जिस पर भारत सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम में पुनः बल दिया गया प्रारम्भिक-शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को 1990 तक प्राप्त कर लिया जाना था। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों दोनों पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया गया है और उसे प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं। महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन-सामग्री, निःशुल्क वदियों, उपस्थिति छात्रवृत्तियों और मध्याह्न-भोजन जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान है। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न-भोजन की व्यवस्था का समग्र कार्य नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक सीमा तक गरीबी को दूर करने के लिए कार्य करेगी और सघ्न ही नामांकन में वृद्धि, स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों में कमी लाने, तथा बच्चों की आत्मसत्ता करने की क्षमता को बेहतर बना कर उनके स्वास्थ्य में सुधार करते हुए देश में शैक्षिक कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाएगी। चूंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लाभ, लक्षित वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, जिनका पूरी तरह पता लगा लिया गया है, अतः ग्रामीण तिथनता को दूर करने के लिए यह एक बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम होगा।

2. प्राथमिक स्कूली बच्चों को ताजा तैयार किए गए संतुलित भोजन को प्रदान करने की सम्भाव्यता पर विचार करके भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रकार की योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता आरम्भ किए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार की संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के लिए योजना को तैयार करते समय, राज्य सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :-

- (1) इस योजना में सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों (कक्षा-4 अथवा कक्षा-5 तक और उन्हें शामिल करते हुए जैसा भी मामला हो) को शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे, जहाँ कहीं ऐसी कक्षाएं प्राथमिक स्कूलों के अनिवार्य अंग के रूप में चल रही हैं, को भी शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पोषण-कार्यक्रम (फीडिंग प्रोग्राम) में शामिल न किया गया हो।
- (2) इस योजना में प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1989-90 तक शामिल कर लिया जाना चाहिए। उन्हें चरणबद्ध रूप में शामिल किया जाएगा जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :
 - (क) वर्ष 1985-86 में, कुल-नामांकन के 20 प्रतिशत, जो जैसा कि वह जुलाई, 1985 में था, शामिल किया जाएगा।
 - (ख) वर्ष 1986-87 में, कुल-नामांकन के 40 प्रतिशत को जैसा कि वह जुलाई, 1985 में था, और शैक्षिक वर्ष 1985-86 के दौरान अतिरिक्त नामांकन को शामिल किया जाएगा।
 - (ग) वर्ष 1986-87 में, कुल-नामांकन के 60 प्रतिशत को, जैसा कि वह जुलाई, 1985 में था और शैक्षिक-वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान अतिरिक्त नामांकन को शामिल किया जाएगा।
 - (घ) वर्ष 1988-89 में, कुल-नामांकन के 80 प्रतिशत को, जैसा कि वह जुलाई, 1985 में था और शैक्षिक वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान अतिरिक्त नामांकनों को शामिल किया जाएगा।
 - (ङ) वर्ष 1989-90 में, शत-प्रतिशत कुल-नामांकन को, जैसा कि वह जुलाई, 1985 में था और शैक्षिक-वर्षों 1985-86, 1986-87 1987-88 और 1988-89 के अतिरिक्त नामांकनों को शामिल किया जाएगा।

उपर्युक्त के लिए प्रयास करने समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ब्लाकों/जिलों में स्कूलों को इस प्रकार चुना जाए कि चुनिन्दा स्कूलों के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा सके। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्कूल में या न हो कि कुछ बच्चों को तो खाना मिलता है और कुछ को नहीं।

- (3) एक ब्लाक, जिस पर विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यक्रम संकेन्द्रित होते हैं, वह बाद में मूल्यांकन के साथ-साथ इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक सुसम्बद्ध क्षेत्र होगा। प्रारम्भिक चरणों में ब्लाकों के चयन में उपयुक्त रूप से उन जिलों को शामिल करना चाहिए जिन्हें निम्न साक्षरता-दर, विशेष रूप से महिला-साक्षरता के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन को प्रारम्भ करने के लिए समेकित-बाल-विकास योजना ब्लाकों का चयन करना लाभप्रद होगा क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्रों और शहरी-बस्तियों में स्थित हैं और स्कूल पूर्व बच्चों का पोषण इस योजना के अन्तर्गत पहले ही किया जा रहा है। ब्लाकों के चयन में, खाद्यान्नों की सामयिक-अपूर्ति के लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जागा चाहिए।
- (4) नामांकन शिक्षा जारी रखने और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार को बढ़ाने के लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए स्कूलों को यथा-सम्भव व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी शामिल किया जाता है।
- (5) बच्चों को सभी स्कूली कार्य-दिवसों (वर्ष में 220) पर मध्याह्न-भोजन प्रदान किया जाएगा।
- (6) मध्याह्न भोजन के घटक और उनकी लागत निम्न प्रकार होगी :-
- | | |
|-------------------------|---------|
| (क) अनाज (100 ग्राम) | 20 पै० |
| (ख) दालें (10 ग्राम) | 7.5 पै० |
| (ग) खाद्य तेल (5 ग्राम) | 10 पै० |
| (घ) मसाले और ईंधन | 10 पै० |
| (ङ) प्रबन्ध और प्रशासन | 20 पै० |

कुल 67.5 पै० अथवा 68 पै० करें

जबकि किसी राज्य की विशेष अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ घटकों में परिवर्तन किया जाए, भोजन की कुल लागत को 0.68 रु० तक सीमित रखना होगा जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

- (7) व्यय केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सामान रूप में बांटा जाएगा। इस प्रकार इस व्यय को वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता 34 पै० प्रति छात्र प्रतिदिन सीमित होगी।
- (8) सहायता के केन्द्रीय हिस्से को परिकलित करते समय, हर जगह अमरीकी सहायता के लिए सहयोग (केअर) सम्बन्धी सहायता से विद्यमान विस्तार को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर जगह अमरीकी सहायता के लिए सहयोग (केअर) सम्बन्धी सहायता से और केन्द्रीय प्रायोजित योजना से चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा। उन राज्यों में जहाँ मध्याह्न-भोजन योजना आंशिक अथवा व्यापक-विस्तार से संभालन में है, केन्द्रीय हिस्सा उपर्युक्त (2) में निर्दिष्ट वार्षिक-विस्तार के अनुसार श्रेणायुक्त रूप में ही उपलब्ध होगा।
- (9) अनाज और दालें, खाद्य-तेलों और मसालों को सम्भव-सीमा तक एक प्राधिकृत राज्य एजेन्सी के मध्यम से स्कूलों को मुहैया किया जाना चाहिए। स्कूलों में इन वस्तुओं के स्टॉक-स्तरो तथा उनकी आगे की अपेक्षाओं को नियमित अन्तरालों पर मानीटर किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उसका निर्धारित उपयोग हो रहा है और किसी भी स्कूल में इन वस्तुओं की कमी नहीं है। चूंकि अधिकांश प्राथमिक स्कूल गांवों में स्थित हैं जो पिछड़े तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हैं, राज्य सरकारें एक नियमित तथा प्रभावी आधार पर एक वितरण-पद्धति स्थापित करने के लिए नागरिक-प्रापूर्ति निगम, सहकारी एजेन्सियों अथवा अन्य विभागीय एजेन्सियों का प्रयोग कर सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय-निर्गम-दरों पर अपने डिपों पर ही इस प्रयोजनार्थ नामित राज्य सरकार की एजेन्सी को गेहूँ और चावल के स्टॉक का वितरण करेगी। नामित राज्य एजेन्सी वहां से अनाज लेगी और अलग से प्राप्त की गई दालों, मसालों और खाद्य-तेलों को स्कूलों को देगी। शामिल किए जाने वाले प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर योजना के अन्तर्गत अनाज की अनुमानित अपेक्षाओं के बारे में सूचना प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में अलग से भारत सरकार के खाद्य-विभाग को दी जानी है।

- (10) मध्याह्न भोजन योजना के लिए व्यंजन-सूची में गेहूँ का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो चावल के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। चावल की आपूर्ति प्रधान रूप से चावल खाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होगी। वहाँ पर, थोड़े से गेहूँ को योजना का एक भाग बनाया जाना चाहिए। यदि स्थानीय रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ अनाज उपलब्ध हों तो राज्य इस योजना के अन्तर्गत उनका उपयोग कर सकते हैं।
- (11) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को लागू करने के लिए रसोइयों सहायकों, और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रबंध करेंगे। जहाँ तक संभव हो, रसोइया महिला होनी चाहिए और रसोइया तथा सहायक, दोनों एक-ही गाँव के होने चाहिए।
- (12) इस योजना में प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की अनिवार्य-सहभागिता का प्रावधान होना चाहिए। राज्यों को ब्लाकों, जिला और पर्यवेक्षण-स्थिति, प्रबन्ध मानदंडों जैसे विभिन्न स्तरों पर अन्य अनिवार्य प्रशासनिक प्रबन्ध भी करने चाहिए। प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए प्रदान किए गए 0.20 रु० प्रति खाने में अनिवार्य बर्तनों की खरीद के अतिरिक्त सभी प्रबन्ध व्ययों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- (13) इस योजना में खाद्य-सामग्रियों के उपयुक्त भंडारण, खाना पकाने तथा खाना-परोसने के लिए अनिवार्य प्रबन्धों का प्रावधान होना चाहिए।
- (14) इस योजना में आंतरिक निरीक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन आदि के साथ एक प्रभावी प्रबन्ध संसूचना पद्धति का प्रावधान होना चाहिए।
- (15) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्रियों की नियमित उपलब्धता उनके परिवहन और भंडारण तथा भोजन तैयार करने और बच्चों को उसे परोसने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनता के प्रतिनिधित्व को शामिल करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सहयोग लेना चाहिए।
- (16) जबकि इस योजना के कार्यक्षम प्रबन्ध के लिए पर्याप्त स्टाफ अपेक्षित होगा, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई बड़ा समानान्तर प्रशासनिक तन्त्र न बनाया जाए। एक युक्ति करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिसके अन्तर्गत विद्यमान प्रशासनिक तन्त्र का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।
- (17) जबकि इस योजना के कार्यक्षम क्रियान्वयन के लिए बड़ा पर्यवेक्षण अपेक्षित है, सुदृढ़ कार्यक्रम के लिए पद्धति के प्रत्येक स्तर पर पूर्ण रूप से अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना है कि संस्वीकृतियाँ जल्दी जारी की जाएँ और रसोइयों तथा सहायकों को मजदूरी के भुगतान में विलम्ब दूर किया जाए। स्कूल को उचित दर दुकान से राशन लेने के लिए प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजनार्थ एक कार्यक्षम तन्त्र बनाना होगा। कम-से-कम एक पखवाड़े के लिए भोजन के प्रावधान हेतु स्कूल के पास पर्याप्त अग्रिम राशि उपलब्ध होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भोजन छुट्टियों के बाद और बगैर-किसी-अन्तराल के तुरन्त प्रदान किया जाए। यह आवश्यक नहीं होगा कि जिला-स्तर से ऊपर कार्यालयों/अधिकारियों से स्थानीय खर्चों के लिए स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाएँ। एक विकेंद्रीकृत लेकिन प्रभावी प्रबन्ध जहाँ कहीं आवश्यक हो, स्थानीय खरीद के लिए किया जाए और इस प्रकार की खरीद कम से कम होनी चाहिए।
- (18) जिला-स्तर पर, योजना क्रियान्वयन में लगे हुए पदाधिकारियों सहित योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति का संयोजक होना चाहिए। सभी सम्बन्धितों के सहयोग से इस योजना के सुदृढ़ कार्यक्रम को सुनिश्चित करना इस समिति का उत्तरदायित्व होगा ताकि किसी भी उस अड़चन को दूर किया जा सके जो कार्यक्रम में बाधक होती हो।
- (19) राज्य स्तर पर इस योजना का सिंहावलोकन करने और मानीटर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए। जबकि शिक्षा-सचिव संयोजक होगा ग्रामीण/सामुदायिक विकास सहकारिता, समाज-कल्याण, स्वास्थ्य, नागरिक-आपूर्ति तथा खाद्य जैसे सम्बन्धित विभागों के सचिवों/अध्यक्षों का इस समिति

में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस योजना के संचालन के प्रथम वर्ष में एक साह में एक बार ये बैठक कर सकते हैं और बाद में तीन महीने में एक बार-बैठक कर सकते हैं।

- (20) केन्द्रीय स्तर पर, शिक्षा-सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग-समिति होगी। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, खाद्य-विभाग, नागरिक-आपूर्ति विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम का इस समिति में प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति की बैठक आवधिक रूप से होगी तथा वह इस योजना के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करेगी उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। शिक्षा सचिव इस क्षेत्र में इस योजना के सुदृढ़ कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों के साथ बैठकों में समय-समय पर पुनरीक्षा करेगा और इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में पुननिवेशन प्राप्त करेगा।
- (21) प्रत्येक राज्य 1985-86 के दौरान प्रस्तावित तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में परिकल्पित क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हुए 1985-86 के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करेगा। योजना में उपलब्ध अवस्थापना इसे सुदृढ़ बनाए जाने के लिए प्रस्ताव, वित्तीय-प्रबन्ध, स्टाफ की भर्ती के लिए परिकल्पित प्रबन्धों, योजना को आरम्भ करने के लिए किया जाने वाला प्रारम्भिक कार्य, ड्यूटियां तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (22) योजना शिक्षा मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए तथा उसकी एक प्रति सप्ताहकार (शिक्षा), योजना-आयोग को भी भेजी जानी चाहिए। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिक्षा मंत्रालय में इसकी जांच की जाएगी। योजना अनुमोदित किए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय उपयुक्त किस्तों में अनुदान मुक्त करेगा।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान निष्कर्ष का पार्श्व-चित्र

1. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन (1981-1982)
2. आहार और शैक्षिक उपलब्धि (प्रिन्स्टो पालिट् द्वारा अध्ययन) ।
3. स्कूल-भोजन-कार्यक्रम: बेरिल और लेविगर द्वारा मिथक और संभावना ।
4. विश्व-ब्रह्म कार्यक्रम की महायत्ना से स्कूल-आहार-कार्यक्रम: कार्य क्षेत्र और मुख्य प्रभाव ।
5. राष्ट्रीय आहार-संस्थान हैदराबाद द्वारा राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों पर अध्ययन की टिप्पणियों का सार ।
6. मारलैन ई० लाकहीद एडियान एम० वर्सपूर [एण्ड एसोसिएट (1991) द्वारा "विकाशशील देशों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार" से उद्धरण ।
7. द्वारा परामर्शी सेवाओं द्वारा गुजरात में "उन्नत मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम" के मूल्यांकन से उद्धरण ।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव

अध्ययन के बारे में यू० एम० ए० आई० डी० के अनुरोध पर रा० जै० अनु० प्र० परि० द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन

- 1981-82 में आरम्भ किया ।

- सभी 13 राज्य जो हर जगह अमरीकी सहायता के लिए सहयोग सह समर्थन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं, को अध्ययन में शामिल किया जाना था । आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु को शामिल किया जाना था । केरल को डाटा उपलब्ध न होने के कारण निकाल दिया गया था । इस प्रकार 12 राज्यों को शामिल किया गया था ।

-- हरियाणा और कर्नाटक 8 जिलों को छोड़कर, जिलों को माप एककों के रूप में लिया गया था । इन दो राज्यों में शैक्षिक ब्लॉकों/सी० डी० ब्लॉकों को माप एककों के रूप में लिया गया था । (हरियाणा में अध्ययन सभी शैक्षिक ब्लॉकों में पूरे परिमाण पर आधारित था । कर्नाटक में अध्ययन या दृष्टिकोण के रूप में चुने गए जिलों के सी० डी० ब्लॉकों में किया गया था) ।

- अध्ययन विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से एकत्र की गई समय-श्रृंखला डाटा पर आधारित था ।

- मन्दर्भ वर्ष तथा भौगोलिक विस्तार :

1973 : 277 जिलों सहित 12 राज्य

1978 : 251 जिलों सहित 11 राज्य

- अध्ययन के कार्यक्षेत्र ने दो परिकल्पनाएँ निर्धारित की ।

(1) मध्याह्न भोजन ने नार्थक रूप से स्कूल नामांकन में अथवा बच्चों की सहभागिता का दर में वृद्धि हुई की; और

(2) मध्याह्न भोजन ने नार्थक रूप से पढ़ाई बीच में छोड़े जाने वालों और बच्चों की पुनरावृत्ति की दरों में कमी की और शैक्षिक चक्र में उनके अग्रगण्य में वृद्धि की ।

विभिन्न विषय जिन पर विचार किया गया :

- 1 से 5वीं कक्षाओं में कुल दाखिला।
- 6-11 आयु-वर्ग में कुल अनुमानित जनसंख्या।
- 1-5वीं कक्षाओं में बालिकाओं का दाखिला।
- 6-11 आयु वर्ग में कुल अनुमानित महिला जनसंख्या।
- अनुसूचित जाति/जनजाति का दाखिला।
- शैक्षिक सृविधाओं की उपलब्धता।
- प्रशिक्षित शिक्षकों, शिक्षक छात्र अनुपात इत्यादि की उपलब्धता।
- बच्चों को स्कूलों के प्रति आकर्षित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।
- जिलों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर।

इस अध्ययन में प्रयुक्त परिवर्णों शब्द

- | | |
|-----------------|--|
| - कु० दा० द० | =कुल दाखिला दर |
| - बा० दा० द० | =बालिका दाखिला दर। |
| - ला० प्र० | =लाभ प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता। |
| - कु० दा० द० प० | =कुल दाखिला दर में परिवर्तन। |
| - बा० प्र० द० | =बालिका प्रतिधारण दर। |
| - अनु० प्र० द० | =अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए प्रतिधारण अनुपात। |
| - कु० प्र० द० | =कुल प्रतिधारण दरें। |
| - ला० प्र० प० | =लाभ-प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता में परिवर्तन। |

परिणाम

कुल दाखिला दरें, बालिकाओं के लिए दाखिला दर एवं लाभ प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता :

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (म० भो० का०) को शामिल करने की नीति हर राज्य में अलग अलग है। इस अंतर का कु० दा० द०/बा० दा० द० और ला० प्र० के संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

(कुछ राज्यों के "सर्वत्र अमरीकी सहायता सहकारिता" के अलावा स्वयं अपने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम थे, जबकि अन्य राज्य "सेवल सर्वत्र अमरीकी सहायता सहकारिता" (शेयर) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चला रहे थे। जबकि जिला स्तर और ब्लाक स्तर अध्ययनों में लाभ प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता का ई० एफ० टी० प्रतिशतों में संबंध पाया गया तथापि इस बात का प्रमाण था कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा और अधिक संख्या में बच्चों को स्कूल तक लाने में मदद मिली।

- जिला स्तरीय अध्ययन में मध्याह्न भोजन जिलों की कुल दाखिला दर उन जिलों से अधिक थी जिनमें यह व्यवस्था नहीं थी। उनके अंतर का कारण तथापि कुल दाखिला दर पर सामाजिक-आर्थिक और अन्य शैक्षिक प्रभाव हो सकते हैं।
- बालिका दाखिला दर लाभकर्ताओं की प्रतिशतता पर निर्भर थी। निम्न लाभकर्ताओं की प्रतिशतता के लिए उच्चतर बालिका दाखिला दर साधनों को ध्यान में रखा गया। कर्नाटक में कालान्तर में बालिका दाखिला दर में लाभ प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता में कमी आई जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा बालिका दाखिला दर में वृद्धि हुई।
- उन जिलों में कुल दाखिला दर में परिवर्तन अधिक था जिनमें आधुनिक वर्ष में लाभ प्राप्तकर्ताओं की प्रतिशतता अधिक थी। यह सम्बन्ध बालिकाओं के मामले में अधिक मुखर था। इससे यह इंगित होता है कि स्कूल में लम्बे समय तक चलने वाला गहन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रभावी प्रेरक सिद्ध हुआ।

कुल प्रतिधारण दरें और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रतिधारण दरें

- प्राथमिक अवस्था में बालिकाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों की प्रतिधारण कुल प्रतिधारण से कम था प्रतिधारण दरें शैक्षिक अस्थिरताओं की तुलना में सामाजिक-आर्थिक अस्थिरताओं से अधिक मजबूती से संबंधित हैं ।
- उन जिलों की तुलना में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम वाले जिलों में उच्च कुल प्रतिधारण दर नहीं पाई गई जिन जिलों में उक्त कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा था । तथापि कुल प्रतिधारण दरें उन जिलों में अधिक थीं जिनमें लाभ प्राप्त कर्ताओं की प्रतिशतता भी अधिक थी ।
- हरियाणा में किए गए एक अध्ययन में कुल प्रतिधारण दर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव के पक्ष में पक्के सबूत मिले । मध्याह्न भोजन ब्लाक की कुल प्रतिधारण दरों का औसत गैर मध्याह्न भोजन ब्लाक से अधिक था ।
- मध्याह्न भोजन जिलों की बालिका प्रतिधारण दरें गैर मध्याह्न भोजन जिलों से अधिक थी यद्यपि अन्य कारकों के प्रभाव के लिए समायोजित करने पर ये अन्तर विलीन हो गए ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिधारण अनुपात पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का प्रमाण नहीं मिला । तथापि कर्नाटक में सघन मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिधारण अनुपात मान उच्च थे ।

2. आहार और शैक्षिक उपलब्धि

(आहार शिक्षा सीरीज, यूनेस्को, प्रति सं० 9, 198)

एरनेस्टो पोलिट ने आहार और शिक्षा के बीच सम्बन्ध पर अध्ययनों की एक समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्षों का अभिलेख किया है ताकि हम इस जानकारी को लें कि "आहार" शैक्षिक निष्पादन के लिए एक आवश्यक निर्धारक तत्व है और शैक्षिक निर्मूलता को कम करने का एक प्रबल साधन है, यद्यपि उपर्युक्त अध्ययनों पर आधारित अनुमानों का कोई ठोस आधार नहीं है ।

- स्कूली छात्रों के बीच लौह की कमी एनीमिया अध्ययन में रूकावट उत्पन्न करता है । इस साक्ष्य के शैक्षणिक प्रभाव नाटकीय हैं, क्योंकि विकसित तथा विकासशील देशों में भारी संख्या में बच्चों के एनीमिया का शिकार होने की सम्भावना है । यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में लगभग 1.3 बिलियन व्यक्ति एनीमिया से ग्रस्त हैं । ज्ञानात्मक प्रकार्यों पर लौह की कमी के प्रभाव प्रत्यावर्त्य हैं । लौह की कमी वाले पूर्व-किशोर-वस्था के बच्चों के बीच लौह प्रतिपूर्ति चिकित्सा के परिणामस्वरूप स्कूल उपलब्धि उपायों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं । लौह की कमी के कारण अध्ययन को प्रभावित करने वाले मूल कारणों का पता नहीं चला है आवश्यक नहीं है कि अध्ययन में बाधा आने का यह अर्थ हो कि उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रभावित हो गई हैं । लौह की कमी के कारण बच्चों की सतर्कता प्रभावित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ध्यानाकर्षण और अन्ततः अध्ययन ।
- सही आहार प्राप्त कर रहे बच्चों के बीच 19 से 20 घण्टे कुछ न खाने के पश्चात ध्यानाकर्षण और दृश्यात्मक बोधात्मक स्वरूप को समस्याओं के निदान की क्षमता प्रभावित होती है । विकसित देशों में स्कूल आहार कार्यक्रम के मूल्यांकन से इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं, कि नाश्ता न लेने से पठन तथा गणित परीक्षाओं में निष्पादन प्रभावित होता है ।

लम्बे समय तक कम कैलोरी लेने वाले बच्चे सक्रियता स्तर में कमी के माध्यम से ऊर्जा संतुलन की अवस्था में पहुंच जाते हैं । क्रिया एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपने सामाजिक और भौतिक परिवेश की खोज करते हैं और उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं । अतः क्रियाओं में कमी के कारण अध्ययन के महत्वपूर्ण अवसर खो जाते हैं । उन संज्ञानात्मक प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं है जो कुपोषणग्रस्त बच्चों में सारी रात भूखे रहने के पश्चात बिना आहार लिए स्कूल जाने से उत्पन्न हो सकते हैं । उन बच्चों के बीच स्कूली घण्टों के दौरान कम कैलोरी लेने के प्रतिकूल प्रभावों से संज्ञानात्मक प्रकार्यों को प्रतिपूरक विधि से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है जो बच्चे इस प्रकार का आहार प्राप्त करने के आदी हों ।

इस प्रकार के स्पष्ट संकेत हैं कि विकासशील देशों में स्कूल आहार कार्यक्रम लाभ प्राप्तकर्ताओं के बीच उपस्थिति में वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि लम्बे समय में महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके द्वारा स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विद्यार्थी के समक्ष उद्भासित होना सुनिश्चित होता है। विकासशील देशों से इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्षात्मक सूचना नहीं है कि स्कूल आहार कार्यक्रमों (नाश्ता अथवा मध्याह्न भोजन) के विशिष्ट शैक्षिक लाभ हैं जैसे उपलब्धि मानों में सुधार अथवा अधिक एकाग्रता।

3. स्कूल आहार कार्यक्रम : भ्रान्तियां और संभाव्यता

—बेरिल लेविगर

(प्रयोगाश्रित साक्ष्य के साहित्य और मूल्यांकन की समीक्षा पर आधारित)

स्कूल आहार कार्यक्रम और स्कूल उपस्थिति तथा नामांकन :

- डोमिनिकन रिपब्लिक में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपयोगी वस्तु सहायता से एक स्कूल आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसे अचानक समाप्त कर दिया गया। नमूने के तौर पर संकें किए गए शिक्षक सहमत थे कि इसका दाखिले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के कहीं अधिक दुष्परिणाम, ग्रामीण स्कूलों और महिलाओं पर हुए।
- अहैती में स्कूल आहार कार्यक्रम 100 स्कूलों में चलाया जा रहा था और 1936 प्राथमिक स्कूल के बच्चों पर अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि गृह परिवेश और स्कूल आहार कार्यक्रम वाले तथा चैर स्कूल आहार कार्यक्रम वाले स्कूलों, दोनों में उपस्थिति के बीच गहरा सह-सम्बन्ध था।
- कोलम्बिया, कीनिया और फिलिपीन्स में 15 कार्यक्रमों के तहत पोषित और पोषित नहीं किए जा रहे स्कूलों के बीच तुलना की गई। तीन कार्यक्रमों में पोषण प्रदान किए जा रहे स्कूलों में उपस्थिति पर प्रभावी पाया गया। 10 कार्यक्रमों को सम्भवतः उपस्थिति पर प्रभावी माना गया। बचे हुए दो कार्यक्रमों में स्कूल आहार कार्यक्रम को “उपस्थिति पर निष्प्रभावी” माना गया।
- स्कूल आहार कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्र सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए, स्कूल आहार कार्यक्रम स्थिर, अभावग्रस्त, ग्रामीण क्षेत्रों, अपने विकासमान की सीमा पर स्थित जनता में अधिक प्रभावी है इसमें उन अभावग्रस्त लोगों के बच्चों को लाभ पहुंचाने की सम्भावना है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में है।
- जहां बाल-श्रम और रोजगार के अवसर साथ-साथ उपलब्ध हों, स्कूल आहार कार्यक्रम सभी प्रेरक सिद्ध होते हैं जब राशन की मात्रा इतनी अधिक हो कि अभिभावक आहार को एक महत्वपूर्ण आय अन्तरण कार्यक्रम का दर्जा प्रदान करें।
- स्कूल आहार कार्यक्रम का प्रभाव, उसके कार्यक्षेत्र के परिवेश और उसकी अभिकल्पना में निगमित कारकों की अन्तर्क्रिया का प्रकार्य है।
- स्कूल परिवेश का स्वरूप लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग है। लड़कियों के घरेलू कार्यों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है।

स्कूल आहार कार्यक्रम और स्कूल निष्पादन

- जहां स्कूल आहार कार्यक्रम की अभिकल्पना आहार के स्तर को प्रभावित करने के लिए की जा सके, वहां उपस्थिति और निष्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है।
- स्कूल आहार कार्यक्रम संज्ञात्मक विकास को प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से सभी कार्य कर सकते हैं जब इन कार्यक्षेत्रों को विकासात्मक गति अथवा विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए एक विस्तृत माधन के तौर पर विकसित किया जाए।

स्कूल जाने को आयु वाले बच्चों को आहार तालिका उनके शैक्षणिक निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है वर्तमान रूप से दिया जा रहा आहार कक्षा में उपलब्धि का एकमात्र महत्वपूर्ण निर्णायक होता है, भूख से

निष्क्रियता आती है और ध्यान भंग होता है, और बच्चों की भूख शांत करने अथवा उनकी आहार तालिका को सुधारने में सफल होने वाले स्कूल आहार कार्यक्रम संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं—अर्थात्

- * एकाग्रोन्मुखता और एकाग्रता को बनाए रखना,
- * संवेदिक—समाकलित धमना का विकास,
- * खोजी, समस्यानिवारक व्यवहार, स्मृति

4. विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के साथ स्कूल आहार कार्यक्रम : कार्यक्षेत्र और महत्वपूर्ण प्रभाव

स्कूल में बच्चों को आहार देना

शिक्षा को दी जाने वाली विश्व खाद्य सहायता का एक सर्वाधिक प्रति-निधिक दृष्टांत यह है कि स्कूल के बच्चे समूहों में बैठे हैं और चाव से अपने नामने प्लेट में भरे हुए खाने को खा रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में स्कूल आहार कार्यक्रम सदा से स्कूली बच्चों के लाभ के लिए खाद्य सहायता को इस्तेमाल करने के सर्वाधिक सामान्य साधन रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1992 में ये कार्यक्रम मानव संसाधन विकास के लिए सारी विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के दो तिहाई भाग थे अनेक देशों में विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से स्कूल कैंटीन वर्ष 1960 से चलाई जा रही हैं।

भूख के प्रभावों को कम करना

कुछ ही लोग इतना त्रास का विरोध करेंगे कि स्कूल में एक दिन धिताने के लिए बच्चों को खाना अवश्य चाहिए। चाहे वह घर से लाया गया हो अथवा स्कूल द्वारा प्रदान किया गया हो।

वास्तव में अनेक औद्योगिक देशों में स्कूल कैंटीन शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाओं का सामान्य भाग है। विकास-शील विश्व में स्कूल में आहार प्रदान करना और अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अक्सर स्कूल आने के लिए लम्बी दूरी तक पैदल चलते हैं और उनमें से अनेक भूखे पेट होते हैं। गरीब तबकों के बच्चे घर से खाना लाने का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं जिसे वह भोजनावकाश के दौरान खा सकें। इन बच्चों का ध्यान कक्षा में आसानी से बंट जाता है। और पाठों पर एकाग्रचित्त होने और सतर्क होने में समस्राएं आती हैं। अनेक शिक्षकों का कहना है कि बच्चे कक्षा में सो जाते हैं और उम्र शिक्षा से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते जो उन्हें प्रदान की जाती है।

इस लक्ष्य-समष्टि को 'लघु अवधि की भूख' के नाम से जाना जाता है और इसे बच्चों के संज्ञानात्मक प्रकार्यों और बहुत सम्भव है उनकी अध्ययन उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में दर्शाया गया है (यूनेस्को, 1989)। अनेक अध्ययनों में दर्शाया गया है कि लघु अवधि की भूख के प्रभाव उन बच्चों में और अधिक तीव्र हो जाते हैं जो कुपोषण का शिकार रहे हैं और फिजिऑलॉजी कुपोषण का सामना कर रहे हैं (लेविन्गर, 1994)। जिन बच्चों ने पोषण-आहार प्राप्त किया हो उनकी तुलना में उन बच्चों पर नाश्ता न लेने का अधिक प्रभाव पड़ता है जिन्हें कुपोषण से हानि हुई हो और जो एक दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। दुर्भाग्यवश विकासशील विश्व में अनेक बच्चों के लिए यह बात सच है।

तथापि लघु अवधि की भूख को कुपोषण जैसी अन्य आहारिक समस्याओं के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जैसा कि पहले किया जाता रहा है। जहाँ लघु अवधि की भूख का कारण अस्थायी बनता है वहीं कुपोषण एक जटिल स्थिति है जो कि उदाहरणार्थ सुरक्षित पेयजल की कमी, अनुपयुक्त खाद्य आदतों और परजीवी संक्रमणों से सम्बन्धित है। गम्भीर रूप से कुपोषण ग्रस्त बच्चा अक्सर भूखा सहस्र नहीं करता और एक भूखा बच्चा आवश्यक नहीं है कि कुपोषण ग्रस्त हो (लेविन्गर, 1994)। स्कूल में दिया जाने वाला आहार एक बच्चे की तत्कालिक खाद्य आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है और कुपोषण को दूर करने लिए इस आहार के साथ अन्य उपायों को भी किए जाने की आवश्यकता है।

स्कूल आहार और स्वास्थ्य

हाल के वर्षों के दौरान बच्चों के आहार और स्वास्थ्य की स्थिति और उनकी शैक्षिक भागीदारी तथा निष्पादन के बीच सम्बन्ध के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है और चर्चाएं हो रही हैं। यह तथ्य भी अब स्वीकार किया जा रहा है कि जैविक विकास केवल अध्ययन के 'बुनियादी ढांचे' (स्कूल शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें इत्यादि) में सुधार लाने से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चे की सक्रिय अध्ययन क्षमता (स० अ० २०) हैं (लेविन्गर, 1994) सक्रिय अध्ययन क्षमता के माध्यम से प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण, परजीवी संक्रमण, मुख्य पोषक कमियों अथवा ध्यान और दृष्टि दोषों जैसी समस्याओं

मे छुटकारा पाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक समस्या के अलग-अलग उपाय हैं। उदाहरण के लिए, श्रवण सम्बन्धी समस्या वाले बच्चों को शिक्षक के समीप बैठाना ही अथवा बड़ी खिड़कियों वाले स्कूलों को बनाना ही अक्सर पर्याप्त होगा ताकि छात्र बेहतर देख सकें। प्रादशतः इस प्रकार के अनेक उपायों को साथ-साथ अन्जाम दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और आहार के स्तर में धर्षन हो। अतः स्कूल में आहार प्रदान करना, कीटनाशन, स्वास्थ्य और आहार शिक्षा अथवा स्कूलों में सुरक्षित पेयजल और प्रसाधनों के प्रावधान के साथ-साथ विस्तृत स्कूल आहार और स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग हो जाएगा। स्कूल आहार में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व अथवा विटामिन भी शामिल किए जा सकते हैं यदि वे बच्चों के सामान्य आहार में शामिल न हों।

अधिकतर स्कूल आहार कार्यक्रमों में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई खाद्य सहायता का इस्तेमाल या तो नाश्ता (जैसे पनीर के साथ ब्रेडरोल) अथवा पके हुए गरम खाने को प्रदान करने में किया जाता है यह महत्वपूर्ण है कि खाने को यथाशीघ्र दिया जाए ताकि बच्चे कक्षा में रहने के दौरान उसका पूरा लाभ उठा सके। व्यवहार में इससे अक्सर एक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि गर्म खाने को पहाने में लम्बा समय लगता है और नाश्ते का समान अत्यधिक महंगा पड़ सकता है यदि दाखिले की संख्या अधिक हो स्कूल की समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं के आरम्भ होने से पूर्व आहार दे कठिन हो। तथापि, इन कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आहार को यथाशीघ्र प्रदान किया जा सके।

अभिभावकों और समुदायों को शामिल करना

अनेक देशों में आहार में भिन्नता लाने के लिए ताजी सब्जियों अथवा अन्य सामग्रियों का योगदान अभिभावकों अथवा स्कूल बागानों के उत्पाद द्वारा किया जाता है। जबकि, शिक्षक और प्रधानाचार्य प्राप्त सामग्री का पर्यावेक्षण करते हैं, उसका भण्डारण वितरण और उसे पकाने का कार्य सामान्यतः विद्यार्थियों की माताओं (कभी-कभी पिताओं द्वारा भी) द्वारा किया जाता है। अनेक समुदाय कार्यक्रमों को बांटने और बारी-बारी से खाने को पकाने के लिए अपने-आपको लंगठिन करते हैं। कभी-कभी पकाने वाला बच्चों के साथ ही खाता है और भुगतान के तौर पर खाने को घर भी ले जाता है। अधिकतर स्कूल आहार कार्यक्रमों में अभिभावक खाना पकाने के लिए लकड़ा भी प्रदान करते हैं। अथवा खाना पकाने के लिए अन्य प्रकार के ईंधनों के लिए भुगतान करते हैं और उन देशों में यह सुनिश्चित करते हैं कि खाना पकाने के लिए पर्याप्त पानी हो जिन देशों स्थलाकृति असामान्य हो और अधिकतर स्कूल उचित वाहन व्यवस्था वाले सड़कों से दूर स्थित हों। उन देशों में अभिभावकों को स्कूलों के निकटतम भंडारण स्थल पर खाद्य सामग्रियों पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी लेना पड़ता है। इसमें इन समुदायों का काफी समय और धन लग जाता है किन्तु अभिभावक इससे विचलित नहीं होते क्योंकि उनकी दृष्टि में यह स्वयं उनके बच्चों के लाभ के लिए है।

समुदायों का सहयोग जुटाने और स्कूल के प्रकार्य में उनकी रुचि और संलग्नता विकसित करना अनेक स्कूल आहार कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण प्रभाव है जो स्वयंसिद्धकारक है। उन स्थितियों में जहां अभिभावकों से स्कूल जाने की लागत में योगदान करने को अक्सर कहा जाता है वहां उनके बच्चों को दिया जाने वाला आहार उनके प्रयासों के लिए तात्कालिक लाभ और प्रति-पूति का प्रतिनिधित्व करता है और इस भावना का वर्णन कर सकता है कि स्कूल सारे समुदाय का भरण कर रहा है। इसके साथ ही स्कूल आहरण कार्यक्रम तात्कालिक आहारिक रहत से परे अन्य सकारात्मक प्रभावों का भी लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए आहार को तैयार करने और उसके वितरण के माध्यम से पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में व्यवहारिक शिक्षण और अध्ययन अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा विज्ञान या सामाजिक अध्ययन को और अधिक रुचिकर अध्ययन अनुभव बनाया जा सकता है। (गुरु एन० डी०) कंटीन की उपस्थिति से भी अक्सर स्कूल का बगीचा तैयार करने की प्रेरणा मिलती है जिसे स्कूल की रसोई के लिए ताजी सामग्रियों को प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि के व्यावहारिक शिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अनेक देशों में स्कूल के बगीचों को विकसित किया जा रहा है ताकि विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त खाद्य सामग्री का उत्पादन किया जा सके। (उदाहरणार्थ मेडागास्कर और लैसोथो)। तथापि, इस प्रकार के कार्य अव्यावहारिक सिद्ध हुए हैं और इनके कारणवश स्कूल की शैक्षणिक भूमिका संकट में आ गई है (बच्चे अध्ययन की तुलना में बगीचों में अधिक समय व्यतीत करते हैं)। अतः स्कूल के बगीचों को अपने शिक्षापरक प्रकार्य तक ही सीमित रहना चाहिए और खाद्य वस्तु का उत्पादन एक गौण कार्य के तौर पर करना चाहिए।

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए खाद्य सहायता

जबकि, दिन के छात्रों के लिए जो रोज स्कूल जाते हैं—स्कूल में आहार प्रदान करने के महत्वपूर्ण लाभ हैं फिर भी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए यह एक अवरिहार्य अंग है। छात्रावास की सुविधाएं उन छात्रों के लिए आवश्यक हैं जिनके घर स्कूल से बहुत दूर हों, या क्योंकि कम सघनता वाली जनता का अर्थ है कि उम्र क्षेत्र में पर्याप्त बच्चे नहीं रहे

रहे हैं, कि एक स्कूल को स्थापित किया जाए अथवा केवल कुछ स्कूल ही उपलब्ध हों (यह विशेषकर माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है) छात्रावासों को चलाने में बहुत अधिक व्यय होता है और उसमें आहार प्रदान करना सर्वाधिक महंगा पड़ता है। अनेक सरकारें इन लागतों को पूरा करने में अत्यधिक कठिनाइयाँ झेल रही हैं क्योंकि उनके शिक्षा बजटों की राशि कम होती जा रही है। अनेक देशों, शिक्षा मंत्रियों ने इन स्कूलों को दिए जा रहे वित्तीय आवंटनों में पिछले वर्षों अत्यधिक कमी आई है और छात्रावासीय सुविधा वाले अनेक स्कूल अभिभावकों से बहुत अधिक शिक्षा शुल्क ले रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए इन स्कूलों में दाखिला पाना लगभग असंभव हो गया है।

आहार प्रदान करने और छात्रावासों से रहने वाले विद्यार्थियों को आहार प्रदान करने के माध्यम से विश्व खाद्य कार्यक्रम अनेक देशों में इस प्रकार के स्कूलों को प्रचालनीय रखने और छात्रावास की लागतों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस प्रकार का सहयोग मोजाम्बिक (जहां सिविल युद्ध के वर्षों के दौरान छात्रावासीय स्कूल ही कार्य कर रहे थे) कीनिया (जहां घुमते बच्चे बिना छात्रावासों के अपना दाखिला नहीं करवा सकते थे) और अनेक अन्य देशों में महत्वपूर्ण माध्यम रहा है जहां छात्रावास हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए एकमात्र मार्ग रह जाता है। अक्सर कई सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक ही स्कूल होता है जिसमें छात्रावास की सुविधाएँ हैं।

दाखिले की संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में सुधार

स्कूल में आहार प्रदान करने के पौष्टिक महत्व के अलावा इन कार्यक्रमों का एक अन्य लाभ यह है कि कार्यक्रम अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सर्वाधिक अभावग्रस्त समुदायों में जहां स्कूल जाने के साथ-साथ अन्य कार्यों में भी बच्चों का समय लिया जाता है, अभिभावकों को यह पता होता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से उन्हें कम से कम कुछ खाने को मिलेगा और इस प्रकार परिवार के खाद्य बजट में कुछ बचत हो सकेगी। अनेक देशों में यह दर्शाया गया कि स्कूल में आहार न दिए जाने पर बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब दोबारा आहार उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार अनेक स्कूलों में आहार शुरू किए जाने पर दाखिले में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में बहुत कम अनुसंधान कार्य हुआ है अतः वैज्ञानिक तौर पर स्थापित कारण—प्रभाव संबंध की तुलना में यह एक सामान्य अनुभव है। परन्तु इस अनुभव से इस प्रकार के कार्यक्रमों में संलग्न अनेक शिक्षक, अभिभावक और अन्य शैक्षणिक कार्मिक गुजर चुके हैं और इस मान्यता में दृढ़ विश्वास रखते हैं। स्कूल आहार कार्यक्रम इस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इसे सावधानी पूर्वक उन क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों पर लागू किया जाए जहां दाखिला अनुपात न्यूनतम हो और स्कूल आहार में अन्तर पड़ने की संभावना हो।

जहां दाखिले और उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर खाद्य सहायता प्रदान करना मुख्यतः न्यायोचित हो वहां यह भी संभव है कि उन्हें यह सहायता स्कूल आहार के तौर पर न दी जाए बल्कि खाद्य राशन के तौर पर दी जाए, जिसे बच्चे प्रत्येक सप्ताह अथवा महीने के अंत में घर ले जा सकें। और अपने परिवारों के साथ बांट सकें। उस मामले में खाद्य की प्रोत्साहन भूमिका और भी अधिक हो जाती है विशेषकर जब उनका चयन पौष्टिक आधार पर न होकर उनके वित्तीय मूल्य पर किया जाता है। पाकिस्तान और यमन में केवल बालिकाओं को खाद्य राशन देने वाली परियोजनाओं के माध्यम से इस विचार को और प्रशस्त किया गया है ताकि उन बालिकाओं की शिक्षा के सुधार पर विशिष्ट प्रभाव डाला जा सके। यह इसलिए संभव था क्योंकि इन देशों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्कूल होते थे। सहशिक्षात्मक स्कूलों में इस प्रकार की सहायता केवल बालिकाओं को प्रदान करने से विद्यार्थियों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है अतः यह व्यावहारिक नहीं है।

निम्न स्तरीय स्कूलों के लिए खाद्य सहायता

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या निम्न कोटि के उन स्कूलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करना सार्थक होगा जिनकी टूटी-फूटी इमारतें हों कम अथवा कोई भी शिक्षण और अध्ययन उपकरण न हों और उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक न हों। अभिभावकों का उत्तर हां होगा क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा भी विस्कूल शिक्षा न उपलब्ध होने से बेहतर है। यह यद्यपि महत्वपूर्ण है कि बच्चों को यथासंभव सर्वाधिक अच्छी स्कूली सुविधाएं प्रदान की जाएं। तथापि इसके लिए सरकारों और समुदायों द्वारा दृढ़ प्रतिबद्धताओं और दाताओं द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसके बीच स्कूल आहार शिक्षा में रुचि बढ़ाने और कम से कम न्यूनतम स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है विशेषकर उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहां शैक्षिक स्तर निम्न होता है।

सक्षेप में स्कूल आहार शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही खाद्य सहायता का सर्वाधिक उपयोगी माध्यम है : यह बच्चों और अभिभावकों को तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस लाभ प्राप्त कर्ताओं द्वारा पसन्द किया जाता है (जैसा कि इन कार्यक्रमों के लिए अभिभावकों द्वारा किए गए पर्याप्त योगदानों द्वारा दर्शाया गया है) यह लोकपरक कार्यक्रम है और जनता के सर्वाधिक ज़रूरतमंद वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाता है और यह अनेक ज़रूरतमंद बच्चों को खाना पहुंचाने का एक मार्ग है क्योंकि यह स्कूल जैसे बड़े पैमाने पर विकसित सामाजिक सेवातंत्र के माध्यम से कार्य करता है।

5. राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययन की टिप्पणियों का सारांश

1. जैसा कि नाम से स्पष्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एम० डी० एम०) के माध्यम से उस आहार के अलावा एक अतिरिक्त आहार प्रदान किया जाना चाहिए जिसे सामान्यतः बच्चा प्रति दिन अपने घर पर लेता है। इस आहार में वे पोषक तत्व भी शामिल होने चाहिए जो उसे अन्यथा अपने घर से प्राप्त होने वाले आहार से नहीं प्राप्त हो रहे हों। एन० एन० एम० बी० सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि 7-10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों द्वारा ऊर्जा और प्रोटीन का अंतग्रहण 1170 किलो कैलोरी और 30 ग्राम है जबकि 10-13 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में यह अंतग्रहण क्रमशः 1400 कि० कैलोरी और 37 ग्राम होता है। अतः औसत ऊर्जा अंतर 750-800 कि० कैलोरी और औसत प्रोटीन अंतर 3-5 ग्राम है चूंक आई० सी० एम० आई० द्वारा सूझाए गए इस आयु वर्ग (बालकों और बालिकाओं सहित) के लिए आर० डी० आई० लगभग 2000 कि० कैलोरी ऊर्जा (7-10 आयु वर्ग के लिए 1950 और 10-13 आयु वर्ग के लिए 2400) और 40 ग्राम प्रोटीन है। इसका यह अर्थ है कि स्कूल आहार में सिद्धान्ततः कम से कम 750 कि० कैलोरी होनी चाहिए। अनाज और दालों के मिश्रण पर आधारित कैलोरी की पूर्ति स्वतः ही प्रोटीन की कमी को पूरा कर देगी। मौजूदा अध्ययन में यद्यपि दर्शाया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को प्रदान किए जाने वाले आहार में केवल लगभग 300 कि० कैलोरी है जो मूल आवश्यकता का मुश्किल से 50 प्रतिशत है। अतः पौष्टिक लाभ अभूतपूर्व नहीं है और परिणाम इसकी पुष्टि करने हुए प्रतीत होते हैं।

2. मानवमैतिक और रोग-विषयक आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि अधिकतर राज्यों में इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों का आहार स्तर मध्याह्न भोजन प्रदान नहीं कर रहे स्कूलों के बच्चों की तुलना में बेहतर है। आयु अथवा वोटरलो के वर्गीकरण के लिए भार के दृष्टिकोण से कपोषणग्रस्त बच्चों के अनुपात मध्याह्न भोजन कार्यक्रम न चलाने वाले स्कूलों की तुलना में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्कूलों में कम थे। सामान्य बच्चों अथवा बेहतर श्रेणी के बच्चों का अनुपात तमिलनाडु, गुजरात और केरल राज्यों में पाया गया और कोई तुलनाएं नहीं की जा सकी क्योंकि कोई आधारीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और यह कार्यक्रम व्यापक है।

3. आहार कार्यक्रम, वास्तव में शैक्षणिक (गैर-पौष्टिक) लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। हाल के वर्षों में साक्षरता में सुधार लाने पर काफी बल दिया गया है अतः सामान्यतः अधिकतर राज्यों में बच्चों के दाखिले में वृद्धि हुई है। दाखिले पर माध्यम भोजन की भूमिका निश्चित कर पाना कठिन है। तथापि मध्याह्न भोजन स्कूलों और गैर मध्याह्न भोजन स्कूलों के बीच प्रतिधारण दरों और पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों की दरों का तुलना किए जाने पर मध्याह्न भोजन स्कूलों का पलड़ा भारी रहा। अधिकतर राज्यों में शैक्षणिक निष्पादन का प्रभाव सकारात्मक रहा यद्यपि वह अपरिष्कृत मानदंड पर आधारित था। शैक्षणिक लाभ अधिक स्पष्ट हो गए जबकि विभिन्न राज्यों में अनुपूरक आहार को नियमित रूप प्रदान करने को दृष्टिगत रखा गया।

4. मौजूदा अध्ययन में पाई गई प्रचलनीय समस्याओं का स्वरूप किसी भी प्रकार पहले देश में किए जा चुके विभिन्न अनुपूरक आहार कार्यक्रमों के सामान्यतः देखे गए मूल्यांकन अध्ययनों से भिन्न नहीं हैं। निवेशों की समस्याएं निम्नलिखित हैं :

खाद्य सामग्रियों की कमी, उनकी गुणवत्ता में गिरावट और आपूर्ति में बाधा (कभी कभार) परिवहन के साधनों में कमी, भंडारण व खाना पकाने के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और कम आकस्मिक व्यय तथा मानदेय राशियां इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में फेरबदल कर दी गई जैसा कि गुजरात राज्य में पाया गया अर्थात् पके हुए खाने के बदले सूखा राशन दिया गया और कर्नाटक में वर्ष दर वर्ष के आधार पर ग्रामीण स्कूलों और शहरी स्कूलों में कार्यक्रमों के अन्दर फेरबदल कर दी गई। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में इस कार्यक्रम के लिए "कैयर" द्वारा सहयोग वापस लिए जाने की संभावनाएं नजर आईं। संभवतः राष्ट्रीय स्तर पर पर एकीकृत नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

5. इन समस्याओं के बावजूद मौजूदा अध्ययन के परिणाम यह इंगित करते हैं कि यह कार्यक्रम लाभरहित नहीं है। इस कार्यक्रम में बच्चों की आहार विषयक और शैक्षिक स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है बशर्ते निवेशों में वृद्धि करने और अवरोधों को दूर करने के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए।

6. "विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार" से उद्धरण।

—मारलेन ई० लॉहीड, एड्रियान एम० वर्सपुअर एण्ड एसोसिएट्स (1991)

आहार : अनेक अध्ययनों से बच्चों के आहार की स्थिति और स्कूल संकेतकों जैसे दाखिले पर आयु, ग्रेड प्राप्ति, अनुपस्थिति, उपलब्धि परीक्षा अंक, सामान्य बुद्धिमत्ता और कक्षा में एकाग्रता को शामिल करते हुए चुनिन्दा संज्ञानात्मक कार्यों पर निष्पादन के बीच संबंध की जांच की गई है। आहार स्थिति के तीन पक्ष उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं—प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, अस्थायी भूख और सूक्ष्मपोषण की कमी।

(2) प्रोटीन : ऊर्जा कुपोषण सामान्यतः पोषक आहार में कमी के कारण होता है और इसकी स्थिति बच्चे के परजीवी भार के कारण और विगड़ जाती है तथा इस प्रकार का बच्चा हमेशा अभावग्रस्त रहता है। पोलिट (1990) द्वारा पुनरीक्षित सभी नौ अध्ययनों में चीन, गेटेमाला, भारत, कीनिया, नेपाल, फिलिपाइन्स और थाईलैण्ड में प्रोटीन ऊर्जा आहार स्थिति और संज्ञात्मक परीक्षा अंकों अथवा स्कूल निष्पादन के बीच सार्थक संबंध पाया गया। इसके अनुरूप पूर्व और वर्तमान आहार स्थिति (यथा क्रमशः आयु के लिए कद और कद के लिए भार आंकड़ों से प्राप्त) का संबंध उच्च संज्ञानात्मक परीक्षा अंकों और बेहतर स्कूल निष्पादन से स्थापित किया गया है। छोटे कद के बच्चों की तुलना में लम्बे कद के बच्चों को स्कूल में पहले भर्ती कराए जाने की संभावना होती है।

(3) एक अध्ययन में यह पाया गया कि कीनिया में उच्च पोषण युक्त आहार लेने वाले बच्चों ने कम पोषण वाला आहार लेने वाले बच्चों की तुलना में मौखिक परिज्ञान और बुद्धिमत्ता की परीक्षाओं में उच्च संयुक्त अंक प्राप्त किए (सिममैन और अन्य, 1989) इसके अतिरिक्त पोषक आहार प्राप्त कर रही लड़कियां पोषक आहार प्राप्त नहीं कर रही लड़कियों की तुलना में कक्षा में अधिक एकाग्र पाई गई। समूह के तौर पर बच्चों में संज्ञात्मक अंकों के सर्वोत्तम लक्ष्यों में आहार लेना (मौजूदा आहार) और शारीरिक स्थिति (आहार इतिहास) शामिल था। परिवार के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की अच्छी या बुरी स्थिति के बावजूद पर्याप्त आहार लेने वाले बच्चों का निष्पादन, पोषक आहार नहीं लेने वाले बच्चों की तुलना में संज्ञानात्मक बँटरी पर बेहतर रहा।

4. इसी प्रकार फिलीपीन्स में पोषक आहार लेने वाले छात्रों का शैक्षणिक निष्पादन और मानसिक क्षमता, पोषक आहार नहीं लेने वाले बच्चों की तुलना में नियंत्रित पारिवारिक आय, स्कूली स्तर, शिक्षक की क्षमता और मानसिक क्षमता में बेहतर थी। (फ्लोरेंसियो 1988)। यद्यपि स्वास्थ्य और आहार स्थिति तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध ग्रेड स्तर और विषय सामग्री में भिन्न था। तथापि आहार स्थिति और मानसिक क्षमता तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध था।

5. अस्थायी रूप से भूखे बच्चों—एक विशिष्ट स्थिति जो नाश्ता न करने से उत्पन्न होती है—का ध्यान उन बच्चों की तुलना में आसानी से अपने कार्य से भटक जाता है, जिन बच्चों ने नाश्ता किया हो (पोलिट और अन्य 1983) जर्मका के प्राथमिक विद्यार्थियों को स्कूल में नाश्ता प्रदान किए जाने से उनकी उपस्थिति और गणित के अंकों में पर्याप्त सुधार हुआ, यद्यपि वर्तनी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ (पावेल, ग्रैन्थम—मैक-ग्रीगोर और एल्सटॉन 1983) इसका कारण यह हो सकता है कि दोनों विषयों में अलग-अलग समस्या-समाधान कुशलताओं की आवश्यकता है, वर्तनी को मुख्यतः रटने के माध्यम से सीखा जाता है जब कि गणित में नवीन स्थितियों में नियमों के अनुप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अल्पाहार की उपलब्धता या अनुपलब्धता से भोजन कार्यक्रमों वाले स्कूलों में उपलब्धि प्रभावित हुई, न कि नियंत्रण वर्ग में (काटन 1985)। यह उपयुक्त लक्ष्य-निर्धारण का परिणाम हो सकता है : भोजन कार्यक्रमों वाले स्कूलों में विद्यार्थियों को नियंत्रण वाले स्कूलों के विद्यार्थियों के बनिस्पत अधिक पोषण संबंधी खतरा था और इस प्रकार उन पर तत्काल भूख के कारण पैदा हुई मांगों से प्रभावित होने का खतरा था। तत्काल भूख तथा प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण के कारणों और प्रभावों के बीच अन्तर महत्वपूर्ण हैं। अच्छे आहार प्राप्त बच्चों के लिए तत्काल भूख अन्यथा शैक्षिक समस्या हो सकती है परन्तु भूख का प्रभाव अल्पकालीन होता है और भूख की पूर्ति करने के बाद यह खत्म हो जाती है।

6. तीन सूक्ष्म पोषण सामान्यतया स्कूली कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं : आयोडीन, आयरन और विटामिन ए। बुद्धिमत्ता और विकास पर ओरली एडमिनिस्ट्रेटर्ड आयोडाईज्ड वायल के प्रभाव के साथ बोलिविया में प्रान्तीय गलगण्ड के शिक्षक स्कूली बच्चों के अध्ययन में अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का समर्थन किया गया कि आयोडीन की कमी को सुधारने से मस्तिष्क के कार्यक्रम में सुधार होता है (बाऊतिस्ता एवं अन्य 1982)। अन्य अध्ययन में इंडोनेसिया के बच्चों में मानसिक और मनोदृष्टिक क्षमताओं पर आयोडीन की कमी के प्रभाव की जांच की गई और नौ से बारह वर्षों के बच्चों

में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कार्यकरण संबंधी अन्तर पाए गए, परन्तु छः से आठ वर्षों के बच्चों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पाए गए (ब्लेक्रोड, ड्रेन्थ और क्वेरिज 1980) तथापि जब शैक्षिक पृष्ठभूमि नियंत्रित की गई तो कुछ महत्वपूर्ण अंतरों की सूचना मिली। जावा में किए गए अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ कि नौ वर्ष के बाद आयोडिन की कमी वाले बच्चों का बुद्धिमत्ता, मोटर कौशल, एकाग्रता बोध, दक्षता और जवाब देने के परीक्षणों में उसी उम्र के आयोडिन से युक्त बच्चों की तुलना में प्रदर्शन खराब है (क्वेरिडो एवं अन्य 1974)।

7. आयरन की कमी से बच्चे की सतर्कता प्रभावित हो सकती है जिससे ध्यान देने और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है (पोलित 1990)। आयरन की कमी से पूर्व स्कूली बच्चों की उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे संकल्पना द्वारा सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। (पोपकीन एवं लिमब्लानेज 1982)। बाल चिकित्सक बहुधा आयरन की कमी वाले बच्चों को चिड़चिड़े बच्चे और ऐसे बच्चे के रूप में बताते हैं जो अपने आस-पास के माहौल में रुचि नहीं लेने और इससे बच्चों के सीखने के उत्साह में कमी आती है। यद्यपि समस्या के समाधान को सुकर बनाने वाली पर्यावरण संबंधी बातों में प्रत्यक्ष रूप से कम रुचि रखने वाले आयरन से कमी वाले बच्चे भी एक बार कोई पाठ सीख लेने के बाद आयरन मुक्त बच्चों के समान ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं (पोलित हास और लेवित्सकी 1989) तथापि, बौद्धिक रूप से चुनौती भरे कार्यों में डटे रहने का उनका उत्साह कम हो सकता है और कुल मिलाकर उनके बौद्धिक कार्यकरण में कमी आ सकती है (पोलित, हास और लेवित्सकी 1989)। आयरन की कमी से व्यवहार संबंधी परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, जो मस्तिष्क के बदले हुए कार्य के कारण होते हैं, हालांकि इससे संबंधित तंत्र का पता नहीं चल सका है।

8. विटामिन "ए" की कमी को लम्बे समय से पोषण संबंधी अंधेपन और खसरे के अनेक मामलों से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि पूर्ण अंधापन सामान्यतः बच्चों को प्राथमिक स्कूल में शामिल होने से रोकता है, तथापि विटामिन "ए" की थोड़ी कमी से उनका शैक्षिक कार्यकरण प्रभावित हो सकता है जैसे रतौंधी का होना और उनकी दृष्टि का सीमित हो जाना (विशेषकर ब्राह्म्य दृष्टि)। विटामिन "ए" की कमी को हाल ही से डायरिया और श्वसन बीमारी के भी बच्चों में कारण समझना और मृत्यु दर से जोड़ा जाता रहा है और यहां तक कि यह बीमारी कमी के रोग—विषयक पहचानों के बिना भी हो सकती है (सोमर काज और टारवोट्जो 1984 टारवोट्जो एवं अन्य 1987)। विटामिन ए की कमी से मस्तिष्क के विकास सहित विकास प्रभावित होता है जो नात से दस वर्ष की आयु तक प्रभावित होता है। हालांकि विटामिन ए की कमी से विकास और मृत्यु-दर कैसे प्रभावित होता है, इसके अध्ययन में पूर्व-स्कूली बच्चों पर बल दिया गया है और यही प्रभाव स्कूली बच्चों पर भी होने की उम्मीद की जा सकती है।

9. अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियां : चिरस्थायी बीमारी जो स्कूल से बार-बार अनुपस्थित होने का कारण होता है, हेवी पैरासाइट लोड्स (जो स्कूल से अनुपस्थित होते और कुपोषण दोनों के ही कारण होते हैं) तथा श्रव्य एवं दृश्य दोष स्कूल की अधिगम प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जो बच्चे स्कूल से बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं, अच्छा परिणाम नहीं लाते हैं और समय से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं (विजमेन 1987)। अनुपस्थिति परजीवी संक्रमण के कारण डायरिया और पेट दर्द की वजह से भी हो सकती है, परजीवी बच्चों के विकास और पोषण सम्बन्धी अन्य सूचकों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। स्कूली उपलब्धि और बच्चों के मानसिक विकास पर हृकवर्म के प्रभाव का अध्ययन शताब्दी के अन्त में यूनाइटेड स्टेट्स और आस्ट्रेलिया में किया गया। हालांकि उनकी आंकड़ा संबंधी पद्धतियां वर्तमान मानकों के अनुकूल नहीं हैं, तथापि अध्ययनों से पता चला कि परजीवी से प्रभावित बच्चों ने अन्य बच्चों की तरह स्कूल में या सामान्य बुद्धि परीक्षणों सहित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। (पोलित 1990)। प्रभावित बच्चे ध्यान भी कम लग पाते थे और स्कूल के पाठ भी कम दृढ़ता से कर पाते थे। जिन बच्चों के पेट से वार्म निकाल दिए गए, उन लोगों ने बौद्धिक क्षमता के परीक्षण को छोड़कर सभी परीक्षणों में महत्वपूर्ण एवं व्यापक सुधार का प्रदर्शन किया। देखने और सुनने की समस्याओं से भी बच्चों को काफी शैक्षिक खतरा होता है। जिन बच्चों के संवेदी कौशलों के कारण कक्षा में रुचि सीमित हो जाती है उनसे स्कूल में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं जा सकती है।

10. कुपोषण : विकासशील देशों में कुपोषण बहुधा स्थानिक होता है। विशेष तौर पर अधिक व्यापक स्थितियों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्म पोषक कर्मियां शामिल हैं (आशवर्ष 1982, पेलेट 1983)। प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण और संक्रामक के बीच सहक्रियात्मक—प्रतिक्रिया की बात अनेक अध्ययनों में की गई है (चेन और स्क्रिमशी 1983)। तात्कालिक भूख भी औद्योगिक और विकासशील दोनों ही राष्ट्रों में निःसंदेह व्यापक रूप से मौजूद है, हालांकि व्यापकता पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तात्कालिक भूख को अल्पकालिक उपवास, विशेष तौर पर जब बच्चे अल्पहार नहीं लेते हैं, से जोड़ा जाता है।

11. विकासशील देशों में प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण सर्वाधिक व्यापक पोषण सम्बन्धी समस्या है। स्कूली उम्र के बच्चों के बीच प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण पर रोग-विज्ञान सम्बन्धी सूचना अपेक्षाकृत अपर्याप्त है (पोलिट 1990)। तथापि चीन, भारत, केन्या, नेपाल और फिलिपिन्स में किए गए अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि कुपोषण विशेषकर गरीब, ग्रामीण आबादियों में व्यापक रूप से है (अग्रवाल एवं अन्य 1987, जामीसन 1986, मूक एवं लेसली, 1986 सिगमन एवं अन्य 1989, ट्रेगालर 1981) उदाहरण के तौर पर केन्या में 30 प्रतिशत से अधिक स्कूली बच्चे बौने और कम वजन के थे जबकि नेपाल में आयु के लिए वजन के 75वें शतक (वर्तमान स्थिति और पूर्व के इतिहास को दर्शाने वाले मानदण्ड) में नीचे वजन वाले बच्चों की संख्या 59 प्रतिशत (छः वर्ष के बच्चे) से 84 प्रतिशत (दस से ग्यारह वर्ष के बच्चे तक है। केवल उत्तर प्रदेश) भारत के 13.5 प्रतिशत बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य लम्बाई और वजन के थे।

12. सूक्ष्मपोषक कमियां (शरीर से विभिन्न पोषकों के भण्डार का समाप्त होना) विकासशील देशों में एक अन्य व्यापक घटना है। आयरन की कमी अनेक क्षेत्रों में सर्वाधिक सामान्य समस्या है और इससे एशिया में लगभग 680 मिलियन लोग, अफ्रीका में 60 मिलियन लोग, लैटिन अमेरिका में 60 मिलियन लोग प्रभावित हैं और लोगों को इससे जुड़ी कई बीमारियों का खतरा है (जैसे गलगण्ड, स्थानिक बौनापन, मनोदैहिक और बौद्धिक अवरोध तथा स्थानिक मानसिक कार्य का अक्षरुद्ध होना) (हेजेल डन, और स्टेनबरी 1987)। पांच से बारह वर्षों के बच्चों के बीच आयरन की कमी अफ्रीका में लगभग 49 प्रतिशत, लैटिन अमेरिका में 6 प्रतिशत, पूर्वी एशिया में 22 प्रतिशत और दक्षिणी एशिया में 50 प्रतिशत बच्चों में व्याप्त है (पोलिट 1990)। जहां यह कमी व्याप्त है वहां आयरन की कमी का कारण सामान्यतया आहार में आयरन कम मात्रा में लेना और हुनान, मनेरिया और शिस्टोसोमियासिस के कारण चिरकालिक रक्त की कमी बताया जाता है।

13. हालांकि विटामिन ए की कमी की व्याप्तता पर आंकड़े अधिकतर पूर्व-स्कूली उम्र के बच्चों पर लिए गए हैं, तथापि स्कूली बच्चों पर लिए गए थोड़े बहुत आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि समस्या गंभीर है। उदाहरण के तौर पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 4.1 प्रतिशत स्कूली बच्चों की आंखों में विटामिन ए की कमी के संकेत मिले जो गंभीर स्थिति को सूचित करते हैं, इथियोपिया में 4 प्रतिशत स्कूली बच्चे रतौंधी से ग्रस्त थे (अग्रवाल एवं अन्य 1987) (एफ० ए० ओ० 1988)। तनजानिया से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि दो दशक पहले 17 प्रतिशत स्कूली उम्र के बच्चों में शोरम विटामिन ए की गंभीर कमी थी (एफ० ए० ओ० 1987)।

14. अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: विकासशील देशों में दो अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो स्कूली बच्चों को बाधित करती हैं वे हैं: परजीवी और सुनने एवं देखने सम्बन्धी शिकायतें। विकासशील देशों में स्कूली उम्र के बच्चों में हैलमिन्थस (एसकेरिस, जिचुरिस और हूकवर्म) काफ़ी व्याप्त हैं, हालांकि व्याप्तता के सम्बन्ध में निश्चित अनुमान नहीं किया जा सका है स्वास्थ्य एवं पोषण पर हैलमिन्थ संक्रमण के गंभीर प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि संक्रमण के शिकार बच्चों पर प्रतिकूल बायोकेमिकल परिवर्तन, परिवर्तित प्रतिरक्षात्मक कार्यकलाप और आंत एवं गुदा जैसे अंगों में टांचागत परिवर्तनों के कारण गंभीर शैक्षिक खतरा है (पोलिट 1990)।

दूसरा परजीवी संक्रमण जो सम्पूर्ण विश्व में लगभग 200 मिलियन लोगों अधिकतर स्कूली उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, शिस्टोसोमियासिस है। इस बीमारी से दैहिक परिवर्तन होता है, इसका रोग-विज्ञान सम्बन्धी प्रभाव होता है और पोषण को बुरी तरह प्रभावित करता है। विभिन्न स्तरों पर इस बीमारी के रोग-विषयक लक्षणों में उ्वर, कमजोरी, शिथिलता, मांसपेशियों में दर्द, मिचली, बमन, डायरिया और थकान शामिल हैं (पोलिट 1990)। किसी निर्णायक अनुसंधान के अभाव के बावजूद इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि शिस्टोसोमियासिस स्कूली उपस्थिति और उपलब्धि को बाधित करता है।

15. एकतरफ संचेदी कार्य और दूसरी तरफ संक्रमण और पोषक आहार के बीच सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों ने देखने और सुनने की शक्ति खो दी है।

प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए कोई विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु फिलीपीन्स में हुए एक अध्ययन से यह प्रकाश में आया है कि जिनकी जांच की गई थी उनमें से 6-7 प्रतिशत की दृष्टि कमजोर थी (फ्लोरेन्सिया 1988)। इस अध्ययन से यह भी पाया गया कि प्रथम कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम अनुपात की दृष्टि कमजोर थी। बढ़ती हुई कक्षाओं के साथ सामान्य नजर वाले बच्चों की प्रतिशतता भी बढ़ी है। इससे यह ज्ञात होता है कि कमजोर नजर वाले बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या अपने सामान्य नजर वाले साथियों की अपेक्षा कक्षाओं में बार-बार फेल होते हैं। वास्तव में शैक्षणिक उपलब्धियों के बमूना अध्ययन के लिए मानसिक क्षमता तथा दृष्टि क्षमता दो महत्वपूर्ण भविष्य सूचक थे।

16. फिजीरीस में श्रवण शक्ति की जांच भी की गई थी। 13.5 प्रतिशत विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति कुछ डिग्री तक कमजोर थी। श्रवण शक्ति में कमजोरी को परामेयोनिक्त हाईड्रोथायराडिजम से आयोडीन की हल्की कमी से जोड़ा जा सकता है। (पोलिट 1990)। जो त्रि-येन-यू तथा यू-डुम-ने-ता नामों कि एक आयोडीन की कमी वाले सुदूर क्षेत्र के स्कूलों बच्चों में श्रवण शक्ति को कमियां बच्चों के एक तुलनात्मक दल की अपेक्षा कम थी। तीन वर्ष तक आयोडीन की पूर्ति करने से समूहों में श्रवण शक्ति की कमियां खत्म हो गईं।

17. आशाजनक मार्ग : आहार संबंधी मध्यस्थता

स्कूलों में प्रोटीन शक्ति, कुपोषण, अल्पकालिक भूख तथा कम पोषण (विशेषकर आयरन, आयोडीन और विटामिन ए) की कमी का उधार कुपोषणपूर्वक हिता जा सकता है। प्रोटीन शक्ति, कुपोषण तथा अल्पकालिक भूख के इलाज के लिए पूरक प्राश्नर बहुत आम उधार है। जमकि आयरन, आयोडीन और विटामिन ए पूरक तथा कृमिनाशक, कम पोषण की कमियों के लिए प्रचलित उधार है, जिन सबका स्कूलों में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है।

18. संयुजित स्कूलों नाश्ता या कोला, अल्पकालिक मूत्र तथा भावात्मक व्यवहार, गणित प्रतियोगिता, अध्ययन क्षमता तथा शारीरिक कार्यक्षमता पर इसके धुरे प्रभाव को कम करता है। जमाईकन स्कूलों में नाश्ता कार्यक्रमों पर किया गया अध्ययन इस धारणा का समर्थन करता है (जोबेल, ग्रंथम मैकग्रेगट एवं एलस्टन 1983)। यद्यपि लागत ज्यादा है, लाभ भी ज्यादा होंगे, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता तथा जिन्हें सुकह से ही जटिल ज्ञातात्मक (जैसे गणित) कार्यों को करना पड़ता है।

19. आयरन, आयोडीन तथा विटामिन ए पूरकों को वहां उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां ऐसे कमपोषण की कमियां प्रचलित हैं। उधार पर ध्यान दिए बिना (पोषणपूर्वक अनुपूरण या कृमि नाशक) आयोडीन, आयरन तथा विटामिन ए की कमियों को घटाना विशेषकर लागत प्रभावी है क्योंकि उनसे संबंधित कमियों को समझना गम्भीर तथा प्रतिवर्ती है। (पोलिट 1990) अनुपूरण, विभिन्न सहयोगी परिस्थितियों, जो सीबने में बाधा डालती है, को कम करता है। लागत लाभ अनुपात अनुकूल है, लाभ कायम रहते हैं तथा लक्ष्य अपेक्षाकृत प्राधारण हैं। अवशोषी क्षमता तथा वृत्तियादी आवश्यकताएं विद्यमान हैं परन्तु दूर नहीं हैं। आयोडीन को कमों को कम वर्ष में पूरा किया जा सकता है। प्रति दो वर्षों में एक बार में दवाई प्रति बच्चा डालर 0.12 के मूल्य पर न्यूनतम विभाज्यता के जोखिम पर दी जा सकती है। (यूनेस्को 1989) दीर्घकालिक उपाय के रूप में, यद्यपि पुष्टिकरण को अनुपूरण से वरीयता दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहां आयोडीन की कमी है शीघ्रता से पता लगाए जा सकते हैं जितने विशेषकर उन बच्चों का पता चलता है जो जोखिम में है तथा उनका अनुपूरण किया जा सकता है।

20. एनीमिया को कम करने के लिए आयरन पूरक के रूप में देने से (जो कि, यद्यपि एनेमिया में अनुपूरण) जहां मलेरिया एक स्थानिक बीमारी है। अधिक लागत प्रभावी है और लाभ-लागत अनुपात 1 से काफी अधिक है। लेवन ने 3 देशों का अध्ययन किया और पाया कि आहार को सशक्त बनाने के लिए लाभ-लागत अनुपात 7 और 70 के बीच तथा आहार संबंधी पूरकों का अनुपात 4 से 38 के बीच है। यद्यपि इन लाभों के शैक्षणिक परिणाम नहीं हैं परन्तु भविष्य में अर्जन करने के लिए है।

21. विटामिन ए के पूरक प्रभावशाली, देने से आसान तथा कम खर्चीले हैं। इस प्रचलित कमी में आई 75 से 80 प्रतिशत की कमी को बार-बार विटामिन ए के कैप्सूलों के सर्वव्यापी वितरण से जोड़ा गया है। (बर्ग एण्ड बरैस 1986) इण्डोनेशिया में वर्ष में दो बार विटामिन ए के कैप्सूल खाने से बाल मृत्यु दर में सम्पूर्ण रूप से एक चौथाई से एक तिहाई तक कमी आई है। (सोमर, काज, और टारवोजो 1984)। विटामिन ए के एक कैप्सूल में भारी खुराक की लागत कम है, लगभग डालर 0.05 चूंकि विद्यार्थियों को वर्ष में केवल दो बार इसे खिलाने की आवश्यकता है, इस मध्यस्थता से शिक्षकों के अन्य कार्यों में कोई बाधा नहीं आती।

22. ब्लाइन्डएलै स्कूल में दोपहर का भोजन : स्कूलों में नाश्ते या बलेवा के स्थान पर दोपहर का भोजन देने का एक संदिग्ध महत्व है। ऐसे खाना खिलाने के कार्यक्रम पौष्टिकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदाकदा बनाये जाते हैं। अक्सर ऐसे कार्यक्रम भूख के नकारात्मक प्रभाव तथा स्कूल पूर्व तथा स्कूल के बच्चों में कुपोषण को कम करने, उपस्थिति में सुधार करने तथा आय का गरीबों में हस्तांतरण करने के लिए बनाए जाते हैं। केवल कुछ विश्वस्त आंकड़ों वाले अध्यापनों ने स्कूलों में दोपहर का भोजन देने के कार्यक्रमों का नामांकन तथा उपलब्धियों पर प्रभाव का अध्ययन किया है, तथा उपलब्ध विश्लेषण स्कूलों में भोजन देने तथा शैक्षणिक परिणामों के बीच एक स्पष्ट संबंध की पुष्टि करने में असफल रहा

है। पर्याप्त परिणामों में यह बात बताई कि स्कूलों में भोजन देने के कार्यक्रमों से उस्थिति में सुधार हुआ है। (जो स्कूलों के कार्यनिर्वाह के लिए आवश्यक हो जाता है) परन्तु यह सुधार उनके पौष्टिक मूल्य के बजाय गरीब परिवारों को आय के ह्रासों के कारण हो सकता है। स्कूलों में भोजन देने के कार्यक्रमों के दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन सामान्यतः पोषण में सुधार पर सार्थक आंकड़ों का पता लगाने में अतकल रहें हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम दिनों के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं (कमो-कमो प्रतिवर्ष 150 से अधिक) भोजन घरों में भेज दिया जाता है राशन को स्कूल में कम कर दिया जाता है या कार्यक्रमों का लक्ष्य ठीक से निर्धारित नहीं था; (लेविंगर 1983)। विशेष रूप से, प्रोटीन-शक्ति कुपोषण को स्कूलों में भोजन देने के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध दिनों में, ठीक नहीं किया जा सकता और वह कार्यक्रम अपनी अपेक्षाकृत उच्च लागत का औचित्य प्रमाणित करने के लिए पोषण में पर्याप्त सुधार नहीं करते।

23. अधिकतर स्कूलों की भोजन देने के कार्यक्रमों की तर्कसंगत मांगें और समस्याएं उभर कर देती हैं। यद्यपि लक्ष्य निर्धारित कर लेना आसान है, परन्तु यह सुनिश्चित करना कि भोजन अपेक्षित बच्चों तक पहुंच रहा है तथा अक्सर अन्य भोजन के साथ उसे बदल नहीं दिया जाता, एक समस्या है, तथा राशन को कम कर देना अक्सर स्कूलों में लक्ष्य प्राप्त करने के प्रभाव को कम कर देता है। स्कूलों में दोपहर के भोजन के लिए एक सुविधित्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। स्कूलों में दोपहर का भोजन प्रदान करना अपेक्षाकृत महंगा ढांचा है बने ही भोजन तथा अन्य तत्सुएं दान में प्राप्त हों साथ ही अध्यापन समय की भी हानि होती है।

7. "तारा परामर्श सेवाओं" द्वारा गुजरात में "एम० डी० एम० पी०" के मूल्यांकन से उद्धरण

फोकस ग्रुप साक्षात्कारों के परिणाम

फोकस ग्रुप साक्षात्कार, स्कूलों में स्वास्थ्य निवेश कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कार्यक्रम लागू करने वाले सरकारी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों शिक्षकों, अभिभावकों तथा स्कूल के बच्चों के साथ सर्वांगीण समूह विचार विमर्श थे। इनका उद्देश्य भावी कार्यक्रम पर विचारों का पता लगाना था। एम० डी० एम० पी० अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर बच्चे कुमियों तथा कुपोषण के शिकार थे। बहुत से बच्चों ने बताया कि वे कार्य को उोक्षा करते हैं थक जाते हैं तथा कम रोशनी में ठीक से देख नहीं पाते। सामान्यतः अभिभावकों को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों की इन समस्याओं का पता नहीं था। सभी (देने वाले तथा ग्रहण करने वाले) भावी कार्यक्रम के बारे में काफी आशाजनक थे प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा अभिभावकों ने कहा कि दवा देने में सहायता करेंगे तथा ध्यान रखेंगे कि दवाइयों/गोलियां बच्चों द्वारा खाई जाएं।

मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणाम

एम० डी० एम० पी० के अधिकारियों ने स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1994 के शुरू से कड़ा परिश्रम किया। इन्होंने गुजरात के 19 जिलों में लगभग 30 लाख प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए आवश्यक गोलियां एल्बेन्डाजोल (400 मि० ग्र०), आयरन (60 मि० ग्र० एलीमेंटल आयरन) तथा विटामिन ए कैप्सूल (200000 आई० यू०) उपलब्ध कराए। पड़े हुए भोजन में आयोडीन वाला नमक नियमित रूप से प्रयोग किया गया। दवाइयों की कम्पनियों ने उन जिलों या तालुकों में दवाइयां भेजीं जहां जिला तथा तालुका स्वास्थ्य अधिकारियों ने दवाइयों को संचित करके रखने में सहयोग दिया। उसके बाद अधिकारी तथा एम० डी० एम० पी० के प्रबंधक अपना कोटा एकत्र करके एम० डी० एम० पी० द्वारा स्थापित विशेषज्ञ तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित दवाइया बच्चों को देते हैं। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी का "चेन मैथहड" जिसमें डिप्टी कलक्टरों तथा मामलातदारों को प्रशिक्षण देने (दवा देना/लाभों/अस्थायी बुरे प्रभाव) जो इसके बाद प्रबंधकों को प्रशिक्षण देते थे प्रबंधक इसके बदले सहायकों/रसोइयों को प्रशिक्षण देते थे, काफी लागत प्रभावी तथा सफल रहा। उपलब्धि तर्कसंगत वितरण और स्कूल के बच्चों द्वारा ग्रहण करने का प्रतिशत 90-100 के बीच रहा। चूंकि सामान अपेक्षाकृत कम था उसे प्रधानाचार्य या प्रबंधक के कार्यालय की अलमारियों में ताला लगाकर सुविधापूर्वक रखा जा सकता था। सामान को रखने की अवधि 2 वर्ष से भी अधिक थी, वशतें कि उन्हें सूखे तथा अंधेरे (स्थान) (विटामिन ए के लिए) पर रखा जाए तो वे आगे प्रयोग करने के लिए विल्कुल सुरक्षित रहेगी। इस कार्यक्रम के बारे में सबसे अधिक प्रशंसनीय बात यह थी कि इसे प्रदान करने वालों (राज्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग द्वारा एम० डी० एम० पी० के कार्यकर्ता, राज्य शिक्षा विभाग, और कुछ स्वैच्छिक एजेंसियां) तथा ग्रहणकर्ताओं ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया। समुदाय, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा स्कूल के बच्चों, सभी ने इसमें सहयोग दिया।

आन्त परजीवी संक्रमण के प्रचलन तथा गम्भीरता पर अध्ययन के परिणाम

बड़ौदा की झुगियों में लगभग 75% बच्चे प्रोटोजायल संक्रमण (ई० डिस्टाइटिका) तथा हैलिमनथिक (राउंड वार्म) संक्रमण से पीड़ित थे। पहले वाले लगभग 50-55% थे तथा बाद वाले 22-25% थे। संक्रमण अधिकतर गम्भीर से सामान्य थे। संक्रमित बच्चों (6-15 वर्ष) पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव था जो अपने असंक्रमित साथियों से औसतन 2 कि० ग्रा० हल्के तथा 3 से० मी० छोटे थे। संक्रमित बच्चों में औसत हिमोग्लोबीन का स्तर 10.4—.09 जी० एच० बी०/डी० एल० था। जबकि असंक्रमित बच्चों में 11.6+.18 जी० एच० बी०/डी० एल० था। यह नकारात्मक प्रभाव बड़े लड़के और लड़कियों (11-15 वर्ष) के बीच अभी भी बहुत बुरा है। परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि इन कम सुविधाएं प्राप्त स्कूली बच्चों में कृमिनाशक कार्य विस्तृत रूप से करने आवश्यक हैं चाहे उन राज्यों में एम० डी० एम० कार्यक्रम हो या न हो।

बड़ौदा के 100 ग्रामीण तथा शहरी स्कूली बच्चों (6-15 वर्ष) पर प्रभावी मूल्यांकन के पहले तथा बाद के परिणाम

चूंकि मूल्यांकन प्रक्रिया से उपलब्धियों, संभार तंत्र प्रशिक्षण तथा वितरण में अत्याधिक प्रभावशाली तथा सफल प्रबन्ध हुआ है अतः सकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। बड़ौदा शहर के 1000 प्रतिनिधि स्कूली बच्चों। बड़ौदा शहर के म्यूनिसिपल स्कूल में (500), कर्जन तालुका (250) तथा जैतपुर पर्वी तालुका (250), जिन्होंने स्वास्थ्य निवेश में दवाईयां प्राप्त कीं, (एक स्कूल वर्ष का अग्रधि) उनसे असाधारण सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

“पहले” तथा “बाद” की तस्वीरवार ग्राफ (आकृति 1-5) में प्रदर्शित की गई है। बड़े बच्चे जो ज्यादा प्रभावित थे उन्होंने छोटे बच्चों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त किये हैं। दवाईयां लेने वाले बच्चों में निम्नलिखित सुधार प्रदर्शित किये :-

- वे, उन बच्चों की अपेक्षा जिन्होंने दवाईयां नहीं ली थी, 1.1 किलोग्राम भारी तथा 1.1 सेंटीमीटर लम्बे हो गये।
- हिमोग्लोबीन औसत 1.8 जी० एच० बी०/डी० एल०, पहले से अधिक था। बाद की स्थिति में हिमोग्लोबीन का औसत स्तर 12.4 जी० एच० बी०/डी० एल० था।
- आन्त परजीवी संक्रमण में 71 प्रतिशत में 39 प्रतिशत को कमी आई जो कि एक अच्छी उपलब्धि थी।
- रात्रि अंधापन तथा विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारियों में बहुत कमी आई जो कि 67 प्रतिशत से 34 प्रतिशत थी।
- बहुत से दवाई लेने वाले बच्चों ने बताया कि वह अपने को पहले से अधिक क्रियाशील पाते हैं तथा कम रोशनी में पहले से अच्छा देख सकते हैं।
- कृमिग्रस्त बच्चों को कृमियों से छुटकारा मिला।

इन स्वास्थ्य सेवाओं के देने का आधार


देश और विदेश के अध्ययन ने इस बात को पुष्टि की है कि निम्न आय वर्ग को आहार सम्बन्धी कमियों में आयरन तथा विटामिन ए की कमी बहुत गम्भीर है न कि कैलोरी या प्रोटीन की। ये निम्न आय वर्ग के बच्चे आन्त परजीवी संक्रमण से बहुत अधिक ग्रस्त थे जो कि बच्चों की वृद्धि आयरन तथा विटामिन ए की स्थिति में बहुत बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि गुजरात में आयोडीन की कमी से होने वाले बीमारियों स्थानीय नहीं हैं, परन्तु सूस्त तथा बहराईच जिलों में है। यह अत्याधिक आवश्यक है कि लोग केवल आयोडीन वाले नमक का प्रयोग करें।

परिणामस्वरूप अब यह बताया गया है कि कृमियों का नाश करना, आपरत तथा विटामिन ए के पूरकों पर अध्ययन अब एक हिमोग्लोबीन “पैकेज” के रूप में किया जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि कृमियों का नाश करना 3-4 माह के लिए बी० एच० का स्तर ऊंचा रखता है। पर्याप्त आहार सम्बन्धी आयरन स्कूली बच्चों के कठोर शारीरिक श्रम की क्षमता तथा ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रति आवश्यक है। विटामिन ए आंखों का विटामिन होने के अतिरिक्त अन्य आम बीमारियों विशेषकर ऊपरी श्वास क्षेत्र से भी सम्बन्धित है। इससे स्कूलों में अनुपस्थिति बढ़ती है। आयोडीन की कमी, विशेषक थोड़ी हो, सीखने पर प्रभाव डालती है। इस 4 में एक पैकेज का मूल्य लगभग 15 रु०/छात्र/वर्ष आयेगा जबकि एम० डी० एम० का मूल्य लगभग 300 रु०/छात्र/वर्ष आयेगा/तथापि दोनों ही देना अच्छा रहेगा।


प्राथमिक स्कूल शिक्षा तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

भारत सरकार सर्वव्यापक प्राथमिक स्कूल शिक्षा को अपनी राष्ट्रीय कार्यसूची में बहुत ऊंचे स्थान पर रखती है। भारत के 9 राज्यों के 110 जिलों ने वर्ष 1994 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किये हैं। यह 9 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा बंगाल हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि स्कूलों में स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम आधार सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। भारत सरकार तथा गुजरात सरकार दोनों को तीनों बातों पर बराबर ध्यान देना होगा। ये तीन बातें हैं :—(1) बुनियादी ढांचा (भवन एवं शिक्षक), (2) एक सम्बन्धित पाठ्यक्रम और (3) एक “क्रियाशील सोखने वाला बच्चा”, शिक्षणीयता तथा शिक्षा को साथ-साथ चलना चाहिए। प्राथमिक स्कूल शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक “क्रियाशील सीखने वाले बच्चे” न हों। भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय आहार परिषद् का गठन किया है जोकि आहार संबंधी योजना तथा नीति बनाने वाली उच्चतम राष्ट्रीय निकाय होगी। परिषद् के अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। गुजरात सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस परिषद् के सदस्य हैं। परिषद् जल्दी ही अपनी पहली बैठक दिल्ली में करेगी। यह गुजरात की स्कूल स्वास्थ्य को सफल कहानी कहने का एक अति उपयुक्त मंच होगा।


आकृति एक—उन स्कूल बच्चों (6-15 वर्षों) के वजन, में सुधार जिन्होंने कुमिताशक, आयरन तथा विटामिन ए प्राप्त किया।




आकृति दो—उन स्कूली बच्चों (6-15 वर्ष) की लम्बाई में सुधार, जिन्होंने कृमि नाशक, आयरन तथा विटामिन ए प्राप्त किया।




प्राकृति तीन: उन स्कूली बच्चों (6-15 वर्ष) में हिमोग्लोबिन की स्थिति में सुधार जिन्होंने कृमिनाशक, आयरन तथा विटामिन ए प्राप्त किया



प्राकृति चार--उन स्कूली बच्चों (6-15 वर्ष) में विटामिन ए की स्थिति में सुधार जिन्होंने कृमिनाशक, आयरन तथा विटामिन ए प्राप्त किया।



आकृति पाँच--उन स्कूली बच्चों (6-15 वर्ष) में आन्त परजीवी संक्रमण की स्थिति में सुधार जिन्होंने कृमिनाशक, आयरन तथा विटामिन ए प्राप्त किया।



षष्ठ्याह्न भोजन कार्यक्रम :
राज्यों की स्थिति सम्बन्धी टिप्पणियां

1. बिहार

कार्यान्वयन की कार्य पद्धतियों पर वर्तमान कार्यक्रम

- (क) संख्या-जिले/खण्ड/स्कूल/बच्चे--
जिले-41, चरवाहा स्कूल-119, बच्चे-23800
- (ख) लक्षित दलों की पहचान
काम करने वाले बच्चे
- (ग) भोजन के घटक--पूर्व संसाधित भोजन अथवा पका हुआ भोजन अथवा अभिभावकों को सामग्री की आपूर्ति, पका हुआ भोजन
- (घ) कार्यान्वयन एजेन्सी
जिला प्रशासन के माध्यम से शिक्षा विभाग
- (ङ) स्थानीय निकायों की भूमिका--जिला प्रदेश नगरपालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समितियां
-कोई नहीं-
- (च) समुदाय का समर्थन
-कोई नहीं-
- (छ) आई० सी० डी० एस० के साथ सम्बन्ध
-कोई नहीं-
- (ज) बुनियादी सहायता--स्कूल स्तर पर अतिरिक्त छत, बर्तन, स्टोर रूम इत्यादि
जे० आर० वाई० के अन्तर्गत अतिरिक्त शेड प्रदान किए गए तथा बर्तन प्रदान किए गए ।
- (ड) राज्य, जिला, खण्ड तथा स्कूल स्तर पर कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त स्टाफ
-कोई नहीं-
- (झ) विभिन्न उप घटकों पर कार्यक्रम की वित्तीय लागत
- | | |
|-----------------------|--|
| (1) प्रबन्ध पर | प्रति स्कूल प्रतिमाह 910/- रु० |
| (2) बुनियादी ढांचे पर | प्रति स्कूल प्रतिवर्तन 6,6000/- रु० |
| (3) भोजन पर | प्रति स्कूल प्रतिमाह 200 बच्चों के लिए 25 दिनों के प्रति बच्चा, प्रतिदिन 5.40 रु० की दर से 27000/- रु० |
- (ट) अनुवीक्षण तन्त्र
खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा, जिला स्तर पर जिन्ना मजिस्ट्रेट द्वारा और राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विभागीय सचिव/ मुख्य सचिव
- (ठ) कार्यक्रम का मूल्यांकन, यदि कोई है
-अभी नहीं-
- (ड) कार्यान्वयन में समस्याएं
निधियों की उपलब्धता में कमी

2. गुजरात

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक कार्य दिवस पर बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन (जिसमें गेहूं/चावल, दालें तथा सब्जियां शामिल हैं) देने की योजना नवम्बर, 1984 में शुरू की गई।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

- (1) प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के पोषण के स्तर को बढ़ाने तथा उनके आहार को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करना और इस प्रकार राज्य के गरीबी निवारण सम्बन्धी प्रयत्नों में भी सहायता करना। भोजन बहुत सुव्यवस्थित होता है इसमें गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां आदि होती हैं, इसका वजन लगभग 160 ग्राम होता है और इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रतिदिन प्रति भोजन 450 कैलोरीज प्रदान करे।
- (2) विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए, जो कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है, तथा और अधिक बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करके दोहरा उद्देश्य पूरा करना तथा उनके सामान्य उपस्थिति-स्तर में सुधार करना।
- (3) प्रत्येक स्कूल में योजना को चलाने के लिए प्रबन्धकों, रसोइयों तथा सहायकों की भर्ती के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाना।
- (4) प्राथमिक स्कूलों के बढ़ती हुई आयु के बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तरों की आवश्यकताओं की सहायता तथा अनुवीक्षण करना।
- (5) योजना से लाभान्वित हो रहे विद्यार्थियों में सीधे प्राथमिक स्कूल-स्तर से ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की ओर एक कदम उठाना।

उन्नति का पुनरीक्षण

योजना का क्षेत्र तथा लक्षित दलों की पहचान तथा कार्यान्वयन पद्धतियाँ। इस योजना का व्यापक कार्यक्षेत्र है तथा वह सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों, चाहे वह राज्य सरकार के अधीन हैं या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे हैं, पर लागू होती है। सिवाय आश्रम शालाओं में जो पहले ही आवास तथा भोजन के आधार पर संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन सारे गुजरात में, 26000 मध्याह्न भोजन केन्द्रों, जो अधिकतर प्राथमिक स्कूलों (कक्षा I-VIII) में स्थित हैं, के माध्यम से प्रतिदिन 27 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल नगर महापालिका में एक ही केन्द्र में एकत्र हो गए हैं। प्रत्येक केन्द्र को एक पर्यवेक्षक, प्रबन्धक/संचालक दिया जाता है। प्रत्येक संचालक के पास एक रसोइया तथा एक सहायक होता है। अनुमान है कि कुल केन्द्रों के कर्मचारी लगभग 80,000 हैं। जिनमें से लगभग 52,000 या 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं तथा विशेषकर गरीब, परित्यक्त महिलाएं तथा विधवाएं हैं। 80,000 में से संचालकों या प्रबन्धकों की संख्या 25000 है। यह लोग प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन केन्द्रों को बिना शिक्षकों आदि की सहायता से चलाते हैं तथा उनकी अंशकालिक सेवाओं के लिए उन्हें निम्नलिखित वेतनमानों पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है :

	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र)
	रुपए	रुपए
संचालक	300	975
रसोइया	150	527
सहायक	100	315

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिकरण की राशि में अन्तर का कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल फैले हुए हैं तथा प्रत्येक स्कूल एक सीमित संख्या में लगभग 125-200 बच्चे प्रति स्कूल भोजन की व्यवस्था करता है। जबकि शहरों केन्द्रों में 20 केन्द्रों या एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था एक ही संचालक द्वारा एक विशेष केन्द्र पर की जाती है। संचालक से लेकर सहायक तक के सभी लोग पूर्णतयः अस्थायी आधार पर रखे जाते हैं तथा सामान्यतः उनसे लिखित प्रतिज्ञा लेकर कि वे नौकरी कायम रखने का दावा नहीं करेंगे समय-समय पर नियुक्त किए जाते हैं। गर्मियों तथा जाड़े की छुट्टियों के दौरान उन्हें छुट्टी दे दी जाती है जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। पूरे वर्ष में लगभग 180-200 दिनों तक मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है यदि कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा जैसे महामारी, प्लेग आदि न हो तो।

योजना के अंतर्गत सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन जैसे अनु० जा०/अनु० जनजा० अन्य पिछड़े वर्ग आदि के आधार पर कोई विशेष लक्ष्य दल नहीं है और इसका उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य के प्राथमिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है।

अद्यपि, वास्तव में कुछ तथ्य तथा आंकड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं कि सम्पूर्ण राज्य में पंजीकृत प्राथमिक स्कूली बच्चे लगभग 58 लाख हैं। एक स्कूल में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति लगभग 43 लाख है। इन विद्यार्थियों में से लगभग 27 लाख विद्यार्थी (63%) जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 47% विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं जबकि उत्तरी गुजरात, केन्द्रीय गुजरात तथा दक्षिणी गुजरात में क्रमशः 49%, 76% तथा 75% विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। अतः योजना सौराष्ट्र तथा उत्तरी गुजरात की उपेक्षा केन्द्रीय तथा दक्षिणी गुजरात में अधिक प्रसिद्ध है। इन लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान 3.32 लाख या 12.58% तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या 6.23 लाख (24%) लगाया गया है। जबकि जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में अन्य विद्यार्थी 16.85 लाख हैं (63.82%) जहां कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है और पहले से ही नामांकित 87% विद्यार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार राज्य में लगभग 37% विद्यार्थी अनु० जा० और अनु० जन० से संबंधित हैं। इन आंकड़ों में अन्य पिछड़े वर्ग शामिल नहीं हैं, परन्तु वे शेष लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या हैं। राज्य सरकार लगभग 83 करोड़ रुपये योजना पर खर्च करता है जिसमें लगभग 22.88% मानदियों, वेतनों तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 4 करोड़ रुपये पूरक चिकित्सीय दवाईयों जैसे विटामिन ए, आयरन तथा ग्रान्त्र-संक्रमण गोलियों प्रदान करने पर खर्च किया जाता है। सरकार ने प्रति भोजन, प्रति बच्चा 1.50 रु० का औसत प्रचालक बनाया है जो इस प्रकार है गेहूं, चावल तथा दालों पर 80 पैसे, मसाले, सब्जियां तथा चीनी आदि पर 45 पैसे जिसमें पकाने का तेल तथा ईंधन शामिल है तथा 25 पैसे संचालक के मानदेय आदि के लिए परन्तु वास्तविकता में 450 कैलोरी वाले 160 ग्राम भोजन तथा सब्जियों पर लगभग 1.90 रु० खर्च आता है।

प्रतिदिन प्रति बच्चे को दिया जाने वाला 160 ग्राम भोजन का विवरण इस प्रकार है :

1. गेहूं या ज्वार, बाजरा, मक्का आदि	50 ग्राम
2. चावल	30 ग्राम
3. दालें	20 ग्राम
4. पकाने का तेल	10 ग्राम
5. सब्जियां तथा मसाले	50 ग्राम
	<hr/>
	160 ग्राम
	<hr/>

स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करता है इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा संघ तथा अन्य स्वेच्छक एजेंसियों का सहयोग लिया जाता है। जिला-स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन सरकार व कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से तथा नगर निगम के क्षेत्र में म्यूनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से करता है। प्रत्येक कलेक्टर तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर का सहायता के लिए स्टाफ के साथ-साथ एक-एक डिप्टी कलेक्टर होता है और इसके कार्यान्वयन में कुल लगभग 1200 लोग होते हैं जिसमें राज्य-स्तर पर कमिश्नर मध्याह्न भोजन तथा उसका कार्यालय भी शामिल होता है।

पूरक आहार का वितरण

सरकार के बाहर प्रयत्नों के पूरक के रूप में वर्ष 1994-95 में तीन प्रकार की दवाईयों के वितरण की एक अनोखी योजना राज में प्रारंभ की गई। तदनन्तर एलवेडोजोल गोलियां आन्त्र कृमियों को बाहर निकालने के लिए, आयरन की गोलियां हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का लड़कियों के लिए जो खन की कमी से ग्रस्त हैं तथा विटामिन ए जो आंखों की रोगियों में सुधार करता है रात्रि में कम दिखना तथा अन्य कृमियों को ठीक करता है, इनमें 2,60,000 बच्चों को एक साथ शामिल किया गया। इसमें शिक्षकों तथा संचालकों का दवाईयों की खुराकें किस प्रकार देना है तथा उसका संरक्षण तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण भी शामिल है। बड़ौदा में स्थित एक प्रसिद्ध स्वच्छक एजेंसी ने अहमदाबाद, बड़ौदा तथा राजकोट जिलों के आधार पर मूल्यांकन अध्ययन किया उन्होंने विचार व्यक्त किए कि दवाईयों का बच्चों के स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से बेहतर प्रभाव पड़ रहा है तथा यह बच्चों के अभिभावकों के बीच लोकप्रिय सिद्ध हो रहा है। दीर्घकाल में यह बच्चों के लिए स्कूल में उपस्थित होने का एक आकर्षक सिद्ध हो सकता है ॥

इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से सरकार न ग्रहण, विभिन्न स्तरों पर: शासी निकायों जिसे जिला पंचायतों, तानुका पंचायतों, नगर-निगम, नगर महापालिका तथा ग्राम पंचायत के अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया।

गुजरात में मध्याह्न भोजन योजना में लोक न्यास प्रावधानों के अन्तर्गत एक-वाल-कल्याण कोष गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इस कोष से बाल-कल्याण-कार्य किए जाते हैं तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से संबंधित अन्य कार्यकलापों जैसे स्कूल के नमरे बनवाना, स्कूल के बच्चों की बर्तन, दरियां प्रदान करना आदि में सरकार की सहायता की जाती है।

अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए तंत्र

योजना के कार्यान्वयन पर कड़ा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न सरकारी जी० आर० द्वारा कहा गया है कि जिला कलेक्टर/म्यूनिसिपल कमिश्नर स्तर से लेकर शिक्षा विभाग निरीक्षकों/डिप्टी कलेक्टरों, मामलातदारों आदि तक सबका नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन कमिश्नर के राज्य स्तर के कार्यालयों द्वारा भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। विभिन्न निरीक्षण फार्म बनाए गए हैं तथा विशेषकर अनाज तथा दवाईयों के उपर्युक्त प्रयोग तथा उनका रख-रखाव, सफाई का ध्यान रखना तथा सामग्रियों का सही हिसाब रखना आदि के दृष्टिकोण से नियमित रूप से जांच की जाती है। कलेक्टर निर्धारित प्रोफार्मा में सभी वृत्तों की मासिक रिपोर्ट भी भेजते हैं।

शिक्षा के लिए भोजन योजना

गुजरात में हाल ही के विधान सभा चुनावों में अपनी जाति के बाद नई सरकार ने, जैसे कि अपने चुनाव पत्र में वायदा किया था मध्याह्न भोजन योजना के बदले शिक्षा के लिए भोजन योजना शुरू करने का वायदा किया। इस योजना में यह प्रस्ताव किया गया कि यदि स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र के आधार पर बच्चे की उपस्थिति 70— है तो प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम गेहूं दिया जायेगा। यदि यह योजना शुरू कर दी जाती है तो संचालक आदि जैसे स्टाफ को रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा स्कूल के परिसर में भोजन पकाने का काम भी समाप्त किया जा सकता है। पहले अगस्त 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अल्पकालिक अवधि के दौरान यह योजना तात्कालिक जनता सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चे शामिल नहीं थे बल्कि केवल समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे शामिल थे तब भी लाभार्थियों की संख्या बहुत ऊपर पहुंच गई थी तथा अन्ततः प्रति माह 30 लाख विद्यार्थियों तक पहुंच गई।

फिर भी, वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है तथा इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। यह योजना यदि लागू हो जाती है तो इसका एक लाभ यह होगा कि इससे सम्पूर्ण परिवार को अपने परिवार के भोजन के लिए मुक्त गेहूं प्राप्त हो जाएगा, जो उनके बच्चे की स्कूल में उपस्थिति पर निर्भर होगा। चूंकि सारे परिवार को लाभ होगा तथा उनके भोजन का न्यूनतम स्तर निश्चित हो जायेगा, अतः इससे स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ेगी तथा आहार के स्तर में भी सुधार होगा। इस योजना के शुरू करने से, मध्याह्न भोजन योजना के स्टाफ तथा कर्मचारियों, खाना पकाने के बर्तनों का खरीद तथा लाभार्थियों को अच्छे बर्तन देने आदि का अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना पड़ेगा।

यदि सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर दी जाती है तो यह प्रबंधकों, सहायकों जैसे कर्मचारियों तथा खाना पकाने तथा खाने के बर्तनों आदि पर व्यय बढ़ेगा तथा साथ ही इससे केवल एक निश्चित मात्रा में लाभार्थियों को सहायता प्राप्त होगी। विभिन्न राज्यों में प्रति लाभार्थी होने वाला व्यय इस समय 1.00 रुपये से 1.30 रुपये के बीच है जिसे बढ़ा हुए मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए यथेष्ट रूप से बढ़ाया जायेगा। मानदेय स्तर को भी बढ़ाया जाएगा चाहे इसे मजबूरी के न्यूनतम स्तर तक ही बढ़ाया जाये, इससे भी काफी अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के लिए भोजन अधिक लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि यह बहुत से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अधिक आकर्षक है तथा वे भविष्य में उठने वाली सम्प्रस्थित समस्याओं के लिए भी मांग नहीं करेंगे। फिर भी यह समिति के विचार का विषय है।

पश्चिमी भारत

एम०डी०एम०पी० भारत में सातवें दशक से अस्तित्व में है। गुजरात ने एम०डी०एम०पी० 1962 में शुरू किया। गुजरात सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उच्च वित्तीय आवंटन किया है। राज्य अपने शहरी, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के 19 जिलों में एम०डी०एम०पी० चला रहा है। कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एम०डी०एम०पी० के स्वायत्त कमिश्नरों के माध्यम से कार्य करता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का कमिश्नर अक्सर अपर मुख्य सचिव स्तर का भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा० प्र० से०) का उच्च श्रेणी अधिकारी होता है। वह एम०डी०एम०पी० के संदर्भ में राज्य के पांच विभागों नामतः शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर आपूर्ति तथा भवन तथा जन आपूर्ति की नीतियों/निवेश आदि का समन्वय करता/करती है। एम०डी०एम०पी० कमिश्नर के स्तर पर एक सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचा है। इसमें राज्य राजधानी के निदेशक और सहायक निदेशक हैं। जिला स्तर पर भोज्य सामग्री की उपलब्धि, उनका संरक्षण, वितरण, वित्तीय लेखा परीक्षा तथा सम्पूर्ण प्रशासन की देवदे के लिए डिप्टी कलैक्टर तथा मामलातदार (ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के लिए) होते हैं। एम०डी०एम०पी० में अरसी हजार प्रबंधक (कालेज या स्कूल के स्नातक) तथा उनके रसोईयों तथा सहायक स्कूल स्तर पर गर्भ भोजन (सामान्यतः अनाज, दाल से तैयार भोजन) पकाने तथा वितरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एम०डी०एम०पी० में आयोडीन वाला नमक नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1994 में एम०डी०एम०पी० में लगभग 3 करोड़ छात्र शामिल थे। इसका वार्षिक बजट आवंटन 92 करोड़ या यू० एस० डालर 29 करोड़ (31-50 रु० की विनियम दर पर-यू० एस० डालर) आकृति (1-3)

गुजरात में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की पृष्ठ भूमि

एक पुराना स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कागजों में विद्यमान है। राज्य के प्राथमिक तथा स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 100 कार्यकर्ता स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करते हैं। एम०डी०एम०पी० इन कार्यकर्ताओं की एम०डी०एम०पी० में स्थानांतरित करने में सफल हो सकता है।

यह वास्तव में विडम्बना है कि स्कूल स्वास्थ्य के लिए स्थापित समितियां मध्याह्न भोजन के लिए हो गईं। यद्यपि, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य समितियों नामतः मोरे समिति (1940) (4), मुदलियर समिति 1954(5) तथा स्कूल स्वास्थ्य समिति (1961) (6) ने स्कूल स्वास्थ्य सुधार के लिए सिफारिशें कीं परन्तु इनकी तरफ 1992 तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कृमिनाशक तथा सूक्ष्म पोषिक पैकेज द्वारा (आयरन तथा विटामिन ए पूरक) द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को उन्नत बनाने का आधार :

उन्नत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गोपालदास तथा उनके दल (7-16) द्वारा अल्पसुविधा प्राप्त छात्रों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर पर 12 वर्ष (1980-1992) के अनुसंधान कार्य पर आधारित था। एम०डी०एम० के वाक्जुद आहार में बहुत अधिक कमियां विटामिन ए तथा आयरन से सम्बंधित थीं ना कि कैल्शियम या प्रोटीन की। इन अध्ययनों से पता चलता है कि बड़ौदा के स्वाम क्षेत्रों में आन्त्र परजीवि संक्रमण 53 प्रतिशत, आयरन की कमी से एनीमिया, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कट-आफ 12 जी०/डी० एस० ने बताया, 73 प्रतिशत, विटामिन ए की कमी का संकेत 33 प्रतिशत तथा मानवमिति स्तर बहुत निम्न था और उमने पता चलता है कि वजन तथा लम्बाई की दृष्टि से आधे लड़के (5-15 वर्ष) ही सामान्य थे।

(बि० सं० सं०-1976)

उम्र के साथ-साथ मानव विज्ञान की स्थिति बिगड़ती है और केवल 31 प्रतिशत लड़कियां (10--15 वर्ष) ही सामान्य श्रेणी में हैं। उदरपाद की विकृति तथा विशेष रूप से पेचिश, श्वास की बीमारी तथा मलेरिया होना आम बात है और मुख्य रूप से स्कूल न जा पाने का यही कारण है।

बड़ौदा में स्कूल न जा पाने वाले बच्चों के बीच कई मध्यवर्ती अध्ययन किए जा रहे हैं। सारांश में एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एलबेन्डाजोल (400 एम० जी०) विटामिन ए टैबलेट (200000 आई० यू०) तथा फोलीफर टैबलेट (20 से 60 एम० जी० ऐलीमैन्टल आयरन) की एक खुराक स्कूल के प्रारम्भ होने पर ही देने से आंत्र शोध कम होगा तथा रक्त का स्तर—1 जी०डी०एल० तक बढ़ेगा और विटामिन ए के की कमी के आसार कम होंगे। स्कूल स्वास्थ्य के लिए इस खुराक की लागत केवल 15 रु० अथवा लगभग 50 अमेरीकी सेंट प्रति वर्ष प्रति बच्चे पर होगी जबकि गुजरात सरकार को मध्याह्न भोजन की लागत 300 रु० प्रति वर्ष प्रति बच्चे के लिए लगभग 200 आहार दिवस पड़ेगी।

मध्यवर्ती अध्ययन के कुछ मुख्य निष्कर्ष (7—16) निम्नलिखित थे :—

- (1) लौह तत्व लेने से यह स्पष्ट देखा गया है कि इससे शारीरिक कार्य क्षमता तथा ज्ञान के कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यहां तक की अस्वस्थ बच्चों को भी लाभ हुआ है।
- (2) विटामिन “ए” का तत्व सही रूप से सामान्य उदररोग विशेषकर श्वास की बीमारी में सुधार लाने से सम्बन्धित है।
- (3) पीड़ा से बचने के उपायों से बच्चों के विकास को बढ़ावा मिला है जैसा कि मध्याह्न भोजन से होता है। तथापि, इससे रक्त में लौह तत्व तथा विटामिन ‘ए’ के स्तरों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- (4) स्कूल बच्चों को एक वर्ष में तीन बार 200000 आई० यू० विटामिन ‘ए’ की खुराक देने से लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को ‘सीरम रेटिनोल’ स्तरों तक लाने में सहायता मिलती है। तथापि, कार्यक्रम की इस स्थिति में यह खुराक देने की प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं पाई गई।

कृमिनाशक तथा सूक्ष्म आहार को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के एक अभिन्न धाग के एक में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए कदम (1992 जारी)

(1) वर्ष 1992 से आयुक्त मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, गुजरात सरकार ने तारा परामर्शी सेवा से बातचीत की है कि चल रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में किस तरह से सुधार किया जा सकता है।

(2) वर्ष 1993 में आयुक्त मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गुजरात सरकार को अपने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में उपरोक्त “स्कूल स्वास्थ्य पैकेज” में शामिल करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त की।

(3) वर्ष 1994 में, मुख्यमंत्री ने (जो कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं) इस नए क्रियाकलाप तथा 5 करोड़ रु० (लगभग 1.6 मिलियन अमेरीकी डालर) के वार्षिक बजट को अनुमोदित किया। राज्य विधान सभा ने इस क्रियाकलाप तथा बजट को अनुमोदित कर दिया।

(4) वर्ष 1994 में, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने लगभग तीन मिलियन बच्चों के एलबेन्डाजोल, लौह तत्व तथा विटामिन “ए” की आवश्यक मात्रा प्राप्त की।

(5) मध्याह्न भोजन के कार्यकर्तारियों को राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा खुराक के समय के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

(6) वर्ष 1994 में खुराक देने की प्रक्रिया जुलाई/अगस्त, 1994 में शुरू की गई।

(7) मध्याह्न भोजन के आयुक्त तथा उसकी तकनीकी सलाहकार समिति इसकी समीक्षा करने तथा इस कार्यक्रम को आगे सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है।

3. कर्नाटक

वर्तमान कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया

क. ग्रामीण स्तर : लक्षित वर्गों की संख्या
तथा उनका पता लगाना

“आहार” नाम का यह कार्यक्रम राज्य के सभी 21 जिलों तथा 90 ब्लकों में चल रहा है। राज्य के सभी सरकारी, प्राइमरी स्कूलों के कक्षा 1 से 4 में पढ़ रहे बच्चे लाभान्वित होंगे। वर्ष 1994-95 के दौरान इन कार्यक्रम के अन्तर्गत 37 लाख बच्चों को शामिल किया गया।

ग. आहार के तत्व

दो प्रकार के भोजन प्रदान किए जाएंगे :—

(1) तैयार पौष्टिक आहार तथा

(2) कच्चा भोजन में सोया मिश्रित गेहूं का पाउडर/गेहूं के दाने जो कि सी० एफ० आई० आर० आई० मैसूर द्वारा अनुमोदित फार्मूले पर आधारित होगा। प्रत्येक बच्चे को 50 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से एक माह में 20 दिन तक बच्चों को एक वर्ष में आठ महीनों के लिए माह में एक बार एक किलो का एक पैकेट दिया जाता है जिसे बच्चे घर ले जाते हैं।

घ. कार्यान्वयन एजेंसी

इस योजना को शिक्षा विभाग कार्यान्वित कर रहा है। यह भोजन कर्नाटक सरकार की एक निकाय मैसर्स कर्नाटक स्टेट एग्रो कार्न प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। यह भोजन को ब्लॉक-स्तर तक तथा ब्लॉक-स्तर से स्कूल तक आपूर्ति करते हैं तथा ब्लॉक-स्तर पर कार्यरत सहायक शिक्षा अधिकारी इस भोजन को लाने का प्रबन्ध करेगा। एग्रो कार्न प्रोडक्ट ब्लॉक-स्तर से स्कूल-स्तर तक 4 रु० प्रति बैग के हिसाब से यातायात का व्यय वहन कर रहा है।

ड. स्थानीय निकायों की भूमिका

प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और प्रबन्ध का कार्य जिला पर है तथा जिला प्रशासन के अन्तर्गत कार्य कर रहे उप निदेशक स्तर पर तथा ब्लॉक-स्तर पर सहायक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम के वही तब समय से कार्यान्वयन का कार्य देख रहे हैं। वहां स्कूल द्वारा भूमितियां हैं जो कि सभी मात्र बच्चों को आहार के पैकेटों के वही वितरण का कार्य भी देखती हैं।

च. बुनियादी सहायता

वर्तमान योजना में स्टोर के लिए अलग से शौड/स्टोर रूम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आहार के यह पैकेट बच्चों को प्रत्येक माह घर ले जाने के लिए दिए जाते हैं।

छ. कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त स्टाफ

क्योंकि मध्याह्न भोजन पका हुआ तैयार भोजन होता है अतः इस कार्यक्रम को मानिटर करने के लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। राज्य स्तर पर स्टाफ के साथ यहां एक संयुक्त निदेशक (मध्याह्न भोजन) है जो कि कार्यक्रम की देखरेख करता है।

ज. वित्तीय परिव्यय

संयुक्त निदेशक तथा उसके स्टाफ का वेतन शिक्षा विभाग के बजट में से दिया जाता है। शिक्षा विभाग मैसर्स एग्रो कार्न लिमिटेड को 10,500 रु० प्रति मिट्टिक टन की औसत दर से भुगतान कर रहा है जिसमें आहार की लागत, स्कूल तक का परिवहन व्यय, टैक्स आदि शामिल हैं।

वर्ष 1995-96 के दौरान 40 लाख बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 4200 लाख रु० की आवश्यकता है।

झ.	मानिटरिंग तंत्र	राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक (मध्याह्न भोजन) जिला स्तर पर जब शिक्षण उप निदेशक तथा ब्लाक स्तर पर सहायक शिक्षा अधिकारी और स्कूल स्तर पर स्कूल का हैडमास्टर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का जिम्मेदार है। स्कूल से ब्लाक तथा ब्लाक से राज्य स्तर की मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित की जाती है।
ञ.	मूल्यांकन	अभी तक कोई वैज्ञानिक अथवा औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है अत्र संसदीय कार्य संस्थान बंगलौर को मैसर्स एग्रो कार्न ने कहा है कि वे कार्यक्रम का मूल्यांकन करे तथा स्कूल में बच्चों की वृद्धि में क्या सुधार हुआ है तथा बच्चों के दिए गए आहार के बारे में लोगों की राय जाने।
ट.	कार्यान्वयन में समस्याएं	वर्तमान प्रणाली में कोई समस्या नहीं आ रही है तथा कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है।

4. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में स्कूल पोषाहार कार्यक्रम की स्थिति तथा कार्यान्वयन का प्रारूप

मध्य प्रदेश में इस समय कोई भी स्कूल पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इससे पहले आदिवासी कल्याण विभाग के स्कूलों, छात्रावासों तथा ग्रामों में महिला तथा बाल विकास द्वारा, स्कूल, शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूलों में, आदिवासी क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में राज्य के संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण द्वारा यह स्कूल पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा था।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित को शामिल किया गया :—

मद	जिला ब्लाक	स्कूल/केन्द्र	बच्चों की संख्या (लाखों में)
आदिवासी कल्याण स्कूल	45	14627	8.5
शिक्षा विभाग के स्कूल	34	5675	2.83
संशोधित क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण क्षेत्र के स्कूल	16	1404	0.00
कुल			11.88

यह कार्यक्रम कठ विशिष्ट क्षेत्रों में एक भोजना प्रभारी के माध्यम से महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। बच्चों को प्रति दिन 60 ग्राम के हिसाब से भोजन दिया जाता था। इस कार्यक्रम के लिए निधियां आदिवासी कल्याण तथा स्कूल शिक्षा विभागों के बजट में से दी जाएंगी तथा कार्यान्वयन के समय यह राशि महिला तथा बाल विकास विभाग को स्थानांतरित की जाएंगी। यह कार्यक्रम पिछले 3-4 वर्षों से सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा रहा है और यह लगभग बन्द ही हो गया है। अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आदिवासी कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए।

5. तमिलनाडु

स्कूल पोषाहार कार्यक्रम

(क) संख्या

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों/ब्लाकों तथा सभी स्कूलों के कक्षा 1 से 10 तक 74.00 लाख बच्चों को शामिल किया गया है।

(1) कक्षा 1 से 5 में बच्चों की संख्या (आयु वर्ग 5 से 9 वर्ष)	43 लाख
(2) कक्षा 6 से 10 में बच्चों की संख्या (आयु वर्ग 10 से 14 वर्ष)	19 लाख
(3) प्री स्कूलों में	15 लाख

(ख) लक्षित वर्गों का पता लगाना :

उन सभी बच्चों को जो नियमित रूप में स्कूलों में पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन दिया जाता है।

(ग) आहार तत्व

पका-पकाया भोजन

(घ) कार्यान्वयन एजेंसी :

समाज कल्याण विभाग

इस समय राज्य में 68,056 दोपहर के भोजन के केन्द्र हैं। प्रत्येक दोपहर भोजन केन्द्र में निम्नलिखित स्टाफ है :

1. आयोजक	(340/- रु० प्रति माह)
2. कुक	(170/- रु० प्रति माह)
3. हैल्पर	(130/- रु० प्रति माह)

इस तरह से लगभग 2 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ङ) स्थानीय निकायों की भूमिका

प्राइमरी स्कूलों में माता-शिक्षक परिषद तथा हाई स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संघ

(च) सम्पर्क : समेकित बाल विकास योजना के साथ बाल बाडियों से सम्बन्ध प्री-स्कूली बच्चों को भी दोपहर भोजन केन्द्र में भोजन दिया जाता है।

(छ) बुनियादी ढांचा :

प्रत्येक दोपहर भोजन केन्द्र में कुकिंग शैड, वर्तन तथा स्टोर रूम होता है।

(ज) कार्यक्रम का वित्तीय परिव्यय :

कक्षा 1 से 5 में लागत 145 करोड़ रु० है।
118 करोड़ रु० भोजन की लागत
26 करोड़ रु० स्टाफ की लागत
कक्षा 6 से 10 में लागत 39.5 करोड़ रु० है।
भोजन की लागत : 35.37 करोड़ रु०

रोजाना का भोजन विवरण—आहार तत्व यात्रा तथा पोषाहार तत्वों का विवरण

2+4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चावल, दाल, सोया, तेल, सब्जी तथा पत्तेदार सब्जी से बने खाने में निम्न-लिखित मात्रा में आहार तत्व होंगे :—

चावल	80 ग्राम
दाल	5 ग्राम
सोया	5 ग्राम
तेल	2 ग्राम
सब्जी तथा मसाले	50 ग्राम

पोषाहार तत्व :

कुल कैलोरी	405
प्रोटीन	13.00 ग्राम
मिनरल	5.03 मि० ग्राम
कैल्सियम	189.60 मि० ग्राम
कारोटीन	1729.00 मि० ग्राम

5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग में (अर्थात् कक्षा 10 तक) स्कूली बच्चों को पके हुए चावल तथा निम्नलिखित तत्वों के साथ दाल, सोया, सब्जी मसाले तेल तथा हरी पत्तेदार सब्जी से बना सांबर दिया जाता है:--

	आयु वर्ग 5-9	आयु वर्ग 10-15
1. चावल	100 ग्राम	120 ग्राम
2. दाल	7.5 ग्राम	7.5 ग्राम
3. सोया	7.5 ग्राम	7.5 ग्राम
4. तेल	1.0 ग्राम	1.0 ग्राम
5. सब्जी तथा मसाले	50.0 ग्राम	50.0 ग्राम
पोषण तत्व		
कैलोरी	500 ग्राम	600 ग्राम
प्रोटीन	15 ग्राम	17.2 ग्राम
मिनरल	7.5 ग्राम	7.5 ग्राम
कारोटीन	1730 मि० ग्राम	1730 मि० ग्राम
कैल्सियम	255 मि० ग्राम	260 मि० ग्राम

पेशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग लोग भी इन बाल कल्याण केन्द्रों में भोजन प्राप्त करते हैं जिसमें निम्नलिखित मात्रा में तत्व होते हैं :

चावल	200 ग्राम
दाल	7.5 ग्राम
सोया	7.5 ग्राम
तेल	1.0 ग्राम
सब्जी तथा मसाले	50.0 ग्राम

क्या यह योजना पूरे वर्ष चली ?

यह आहार 2+4 वर्ष के बच्चों तथा स्कूल के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों को छोड़कर वर्ष के सभी 365 दिनों में दिया जाता है और यदि बच्चे छुट्टियों के दौरान आते हैं तो उन्हें यह भोजन दिया जाता है।

इस नियमित दोपहर के भोजन के अलावा, पन्द्रह दिनों में एक बार उबला अंडा दिया जाता है।

पोषण तत्व :

प्रोटीन	13.3 ग्राम
चिकनाई	13.3 ग्राम
मिनरल	1.0 ग्राम
ऊर्जा	173 कैलोरी
आयरन	2.1 मि० ग्राम

शनिवार तथा रविवार के दिनों में 2+4+आयु वर्ष के बच्चों को तथा पेशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग लोगों को कार्न रवा खिचड़ी दी जाती है जिसमें निम्नलिखित तत्व होते हैं :

	2+4+	बुजुर्ग लोग
कार्नरवा	65 ग्राम	150 ग्राम
सब्जी	2 पैसे	2 पैसे
तेल	2 ग्राम	2 ग्राम

पेरिअंगार अन्ना, पेहननाथलावर कामराजर, पुराची थलयेयर एम० जी० आर० तथा माननीय मुख्यमंत्री डा० पुराची थालावी जयललिता जैसे महान लोगों के जन्म दिवस पर बच्चों तथा बूढ़ों को स्वीट पोंगल बांटा जाता है।

क्या इसमें सभी को शामिल किया गया है अथवा कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों/लक्षित वर्गों को शामिल किया है :

2+4 आयु वर्ग के मामले में उन सभी बच्चों को जो भोजन लेना चाहते हैं को दोपहर के भोजन केंद्रों में शामिल किया गया है तथा उन्हें भोजन दिया जा रहा है।

स्कूल के बच्चों के मामले में 5 से 15 वर्ष की आयु को उन सभी बच्चों को दोपहर भोजन केंद्रों में शामिल किया गया है जो भोजन लेना चाहते हैं और उन्हें भोजन दिया जा रहा है।

6. पश्चिम बंगाल

क. इस समय सम्मिलित किए गए जिलों/ब्लाकों/स्कूलों/बच्चों की संख्या

—कलकत्ता सहित 18 जिले

—व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों के 24,21,000 लाभग्राही तथा कलकत्ता के 2,20,000 लाभग्राही ।

—जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के 3,45,000 लाभग्राही ।

ख. लक्षित समूह का निर्धारण

—प्राथमिक स्तर पर (6—11 आयु वर्ग) स्कूली बच्चे ।

ग. आहार घटक पूर्व प्रसंस्कारित आहार/पका आहार/अभिभावकों को सामग्री की आपूर्ति ।

—पका आहार फुल, हुआ गेहूं तथा सलाद तेल अभिभावकों को आहार सामग्री प्रदान नहीं की गई थी ।

घ. कार्यान्वयन एजेंसी : विभाग का नाम : शिक्षा/कल्याण/पंचायत

—स्कूल शिक्षा विभाग

ङ. स्थानीय निकायों की भूमिका—जिला परिषद/नगर पालिकाएं/ग्राम पंचायतें/ग्राम शिक्षा समिति :—

—जिला प्राथमिक स्कूल परिषद/जिला स्कूल बोर्ड/चयमित स्कूल तथा लाभग्राही

च. सामुदायिक सहयोग

—भोजन पकाने में ग्राम पंचायतों को शामिल करना तथा नियंत्रक रसोई से इसका वितरण करना, ईंधन उपलब्ध कराने के लिए लोगों की सहायता प्राप्त करना ।

छ. समन्वित बाल विकास योजना के साथ संबंध

—कुछ नहीं ।

ज. वूनियादी सहयोग—स्कूल स्तर पर—अतिरिक्त शौड/उपकरण/भंडार कक्ष, इत्यादि

—केवल बर्तनों को उपलब्ध कराने हेतु नियंत्रक पाकशाला के निपटान स्तर पर बहुत थोड़ी सी राशि निर्धारित की गई है ।

झ. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तरीय/स्कूल स्तरीय कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारी :

—केवल राज्य स्तर तथा जिला स्तरों पर ही पर्यवेक्षी/अनुसचिवीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन ।

ब्लाक/स्कूल स्तर पर कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं ।

ञ. विभिन्न उप संघटकों/प्रबंधक/मूलभूत आवश्यकताओं/आहार से संबंधित कार्यक्रमों का वित्तीय परिव्यय :

—स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक लागत की अनुमति दी गई है ।

—जिला प्राधिकारियों की ओर से इस प्रकार की निधियों की समेकित मांग के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा उपनिदेशक (आर एण्ड डब्ल्यू) के पक्ष में निधियां निर्धारित की गई थीं ।

—जिला प्राधिकारियों ने स्थानीय स्कूल स्तर पर एजेंसियों के रूप में आहार संघटकों के आपूर्ति का प्रबंध तथा वितरण किया है ताकि उनके निपटान में निर्धारित की गई निधियों का उपयोग किया जा सके ।

ट. अनुवीक्षण तंत्र

—देखभाल—क्षेत्र अधिकारी तथा संबंधित सचिवों के स्कूल उपनिरीक्षकों के माध्यम से ।

—जिला प्राधिकारियों द्वारा चयनित एम० पी० एन० पी० आपूर्तिकर्ताओं ने स्कूलों को सीधे ही आहार संघटकों की आपूर्ति किया था तथा इस प्रकार आपूर्ति किए गए बिलों को जिला प्राधिकारियों द्वारा संकलित किया गया था ।

—ग्रेटर इस्टर्न होटल द्वारा कलकत्ता शहर में ब्रेड कार्यक्रम संचालित किया गया था । इस होटल ने स्कूलों को ब्रेड मुहैया कराया था तथा मानदण्डों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए बिलों के अनुसार, उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा (आर एण्ड डब्ल्यू), पश्चिम बंगाल द्वारा सीधे ही बिलों का भुगतान कर दिया गया था ।

ठ. कार्यक्रम का मूल्यांकन, यदि कोई हो

— शिशु पोषाहार कार्यक्रम का बच्चों के नामांकन तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है ।

इसके अलावा अधिकाधिक लाभग्राहियों को शामिल करना तथा प्रभावी निरीक्षण करना नितान्त आवश्यक है ।

ड. कार्यान्वयन की समस्या :

—निधियों की उपलब्धता—पिछले वर्षों में अपर्याप्त निधियों के फलस्वरूप पोषण दिवसों में कटौती की गई थी, क्योंकि वर्ष 1991-92 से ही निधियां उपलब्ध नहीं थी । राज्य तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों के न होने के कारण कुछ वर्षों से स्कूल पोषाहार योजना के कार्यान्वयन कार्य को छोड़ दिया गया है ।

अतिरिक्त जानकारी

प्राथमिक क्षेत्र (कक्षा 1-5) में हमारा वर्तमान नामांकन लगभग 92 लाख है । प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 रु० की दर से एक वर्ष में 200 दिन के लिए, हमें 184 करोड़ रु० की जरूरत होगी, जो कि राज्य सरकार को अकेले वहन करना संभव नहीं है । हमारे पास वर्ष 1995-96 के योजनागत बजट में 2 करोड़ रु० की अपर्याप्त राशि है ।

7. दिल्ली

स्कूल पोषाहार कार्यक्रम

(क) संख्या

दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 4 लाख बच्चों को शामिल करके मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना है । वर्तमान वर्ष से लगभग 21 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) लक्षित समूह का निर्धारण

दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका समिति तथा सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा ।

(अ) आहार संघटक

क्रम सं०	वस्तु का नाम	प्रति 100 ग्राम प्रोटीन	प्रति 100 ग्राम कैलोरी
1.	थ्रूटी-फ्रूटी (पेठा) फ्रूटी ब्रेड । जिसमें किसी रंग का प्रयोग न किया गया हो	7.5 प्रतिशत	300
2.	मिल्क ब्रेड (मीठा)	7.5 प्रतिशत	300
3.	ट्रूटी फ्रूटी (मीठी) में बने जिसमें किसी रंग का प्रयोग न किया गया हो	7.5 प्रतिशत	300
4.	आर० टी० ई० आहार (नमकीन) निस्त्रावित	15 प्रतिशत	400
5.	उच्च प्रोटीन बिस्कुट (मीठे)	15 प्रतिशत	500-520
6.	स्लूकोज बिस्कुट—आई० एस० आई० (मीठे)	8 प्रतिशत	390
7.	भुनी हुई तथा नमकीन मूंगफली (छिलका रहित)	25.3 प्रतिशत	530
8.	भुने हुए काले चने (छिलका रहित)	23.4 प्रतिशत	400

(घ) कार्यान्वयन एजेंसी :

नगर निगम, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा विभाग ।

(ङ) मन्त्रन्ध्र :

पूर्व विद्यालय बच्चों को भी मध्याह्न भोजन दिया जाता है ।

वस्तुएं विस्तृत हैं :-

क्र. सं०	वितरण के लिए संस्तुत की गई वस्तु	प्रति 100 ग्राम प्रोटीन	प्रति 100 ग्राम कैलोरी
1.	फ्रूटी ब्रेड	10 प्रतिशत	300
2.	विस्कुट मीठे तथा नमकीन	10 प्रतिशत	300
3.	भुनी हुई मूंगफली	10 प्रतिशत	300

(च) प्रशासनिक लागत :

बेकरी वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश वस्तुएं विभिन्न केन्द्रीय स्कूलों पर प्रदान की गईं और वहां से स्कूलों ने ये वस्तुएं प्राप्त कीं। स्कूल अपनी छात्र निधियों में परिवहन इत्यादि की लागत का वहन करते हैं। पूर्ति कर्ताओं द्वारा बेकरी की वस्तुओं की आपूर्ति सीधे ही स्कूलों पर की गई। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय स्थल से स्कूलों तक वस्तुओं के परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मध्याह्न भोजन योजना में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस समय अन्य शाखाओं तथा प्रभागों के कर्मचारियों को इस योजना का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है।

8. पांडिचेरी

वर्ष 1994-95 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का संक्षिप्त विवरण ।

1. फ्रांसीसी शासन काल में संघ राज्य पांडिचेरी में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है। प्रारंभिक स्तर पर सभी सरकारी प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के कुल 62,000 छात्रों को पोषण हेतु शामिल करके उन्हें भोजन दिया गया था।

2. 14-11-1990 से 6 से 8 तक इस योजना का विस्तार किए जाने के फलस्वरूप कुल पोषित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 1,03,007 हो गई है।

3. पोषित संख्या सहित खान-पान केन्द्रों तथा सभी क्षेत्रों में लगे हुए रसोइयों की संख्या के विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	पोषित संख्या कुल	अंशकालिक कुल	सहायक कुल	सृजित किए गए अतिरिक्त पब
पांडिचेरी	157	72,431	163	43	64
करायकाल	72	20,351	77	7	13
माहे	18	6,888	6	14	2
यनम	11	3,337	--	--	--
	258	1,03,007	246	64	79

1. यनम क्षेत्र में, डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० एकको/महिला मंडलों के माध्यम से भोजन तैयार करके परोसे जाते हैं। भोजन में चावल, सांभर तथा पूरियां बनाई जाती हैं और सभी क्षेत्रों में एक सप्ताह में मूल रूप से नियमित आधार पर पांच स्कूली कार्य दिवसों की अवधि में भोजन दिया जाता है किन्तु माहे में सभी स्कूलों को शनिवार को भी भोजन दिया जाता है।

5. मानक :

चावल : कक्षा 1 से 4 तक अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए प्रतिदिन प्रतिछात्र 130 ग्राम। कक्षा 5 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रतिदिन प्रति छात्र के लिए 160 ग्राम

मसाला : प्रतिदिन प्रति 100 छात्रों के लिए 250 ग्राम

मिर्च

पाउडर

सब्जियां : प्रतिदिन प्रति 100 छात्रों के लिए 20/- रु०

अनाज : प्रतिदिन प्रति 100 छात्रों के लिए 5/- रु०
(घटक)

दाल : प्रतिदिन प्रति 100 छात्र के लिए 500ग्राम

6. छात्र के लिए भोजन की दर

सरकार ने पांडिचेरी, करायकल तथा पाट्टे क्षेत्र में स्कूली कैंटीनों के लिए जनवरी, 1992 से प्रति छात्र भोजन के लिए न्यूनतम दर 1.20/- रु० निर्धारित किया है। सरकार द्वारा भोजन की दर 1.20/- से बढ़ाकर 1.80 रु० करने वाले अनुमोदन आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० एकक यनम क्षेत्र में दिनांक 10-8-1994 से प्रति छात्र 1.75/- रु० की दर से भोजन प्रदान कर रही है जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित भी है।

	स्कूल कैंटीनों द्वारा प्रदत्त भोजन	डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० एकक द्वारा प्रदत्त भोजन
चावल	0.90 पैसे	1.05 पैसे
सब्जी	0.25 पैसे	0.25 पैसे
त्रासरी	0.10 पैसे	0.10 पैसे
मिर्च पाउडर	0.05 पैसे	0.05 पैसे
मूंगफली तैल	0.10 पैसे	0.05 पैसे
इंधन (जलावन)	0.15 पैसे	0.10 पैसे
दाल	0.10 पैसे	0.10 पैसे
परिवहन तथा विविध वस्तुएं	0.15 पैसे	0.05 पैसे
	1.80 रु०	1.75 रु०

7. इन चारों क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन के अलावा, अगस्त, 1989 से एक माह में पोषक वस्तु के रूप में छात्रों को तीन बार अंडे भी दिए जाते हैं।

8. तेल, मसाला मिर्च पाउडर, इंधन तथा अंडे की आपूर्ति का तरीका।

उपर्युक्त खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पांडिचेरी समन्वयकर्ता जो कि प्रति वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आदि द्रविडकर तथा जेल इत्यादि विभाग से खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं की मांग प्राप्त होने पर सामान्य टेंडर जारी करता है और स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में टेंडर समिति द्वारा चुने गए टेंडरों के माध्यम से आपूर्ति कराई जाती है। एक टेंडर दाता द्वारा विभिन्न विभागों के लिए भिन्न दरों को उद्धृत करने से बचाने के लिए एक सामान्य खरीद की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस सम्बन्ध में यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्थित सासान्ध टेंडर प्रणाली में सहकारी संस्थाओं/सरकारी उद्यमों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों के दर सहित आवश्यक आदेश दिए गए हैं। अनुमोदित ठेकेदारों द्वारा स्वयं स्कूल परिसरों में इन खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं/सरकारी प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों द्वारा कैलेण्डर वर्ष 1994 के लिए उपर्युक्त वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।

वस्तुओं का विवरण	कर्म का नाम	अनुमोदित दर
1. तूर दाल (उन्नत किस्म)	मै० पैप्सको, पांडिचेरी	18/- रु० कि० ग्रा०
2. मूंगफली का तेल	--वही--	30/- रु० कि० ग्रा०
3. मसाला मिर्च पाउडर लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला पांडिचेरी द्वारा विधिवत् परीक्षित	--वही--	26/--- रु० कि० ग्रा०
4. अंडा (40 ग्राम वजन से कम तहों)	--वही--	राष्ट्रीय अण्डा समन्वय समिति द्वारा निर्धारित दर पर तथा प्रति अण्डा 10 पैस परिवहन प्रभार।
5. ईंधन (जलावन) (कसुरीना चीरी हुई लकड़ी)	ममालान, पांडिचेरी	गौली 895/- रु० सूखी 990/- रु० प्रति टन

चावल : जहाँ तक चावल का सम्बन्ध है, इसे पैप्सको जैसे क्षेत्रीय आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ इस कार्यालय द्वारा की गई मांग के आधार पर लेवी का चावल उपलब्ध है।

6. सब्जियाँ तथा ग्रासरी :

इस वस्तु की आपूर्ति पांडिचेरी की सभी कैटीनों में मैसर्स पैप्सको, पांडिचेरी द्वारा प्रति किलो 3.05/- रु० की दर से आपूर्ति की जा रही है जिसमें 20 कि० मी० तक की दूरी का 0.20 पैसा तथा 20 कि० मी० दूरी से अधिक के लिए 0.40 पैसा परिवहन प्रभार लिया जाता है। सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रति आहार 0.20 पैसा निर्धारित किया गया है।

ग्रासरी : पांडिचेरी तथा करायकल क्षेत्र में स्थित स्कूल कैटीनों में स्वास्थ्य तथा कल्याण विभाग, पांडिचेरी द्वारा अन्तिम रूप से दिए गए राशियाँ दर के आधार पर प्रति छात्र प्रति आहार 5 पैसे की दर से मैसर्स पैप्सको द्वारा इस सामग्री की आपूर्ति भी की गई है। माहे क्षेत्र में जहाँ मैसर्स पैप्सको का कोई शाखा कार्यालय नहीं है वहाँ अनुमोदित ऐकेदार स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उपर्युक्त सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं।

भोजन वाहन : पांडिचेरी क्षेत्र में 157 स्कूल कैटीन केन्द्र तथा 100 उप केन्द्र हैं। उप केन्द्र अपने क्षेत्र में भोजन तैयार नहीं कर सकते। प्रमुख खान-पान केन्द्रों से जुड़े भोजन वाहनों द्वारा भोजन पहुंचाए जा रहे हैं।

13. बर्तनों की खरीद के बारे में यह कहा गया है कि इस निदेशालय के विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों से प्राप्त संपेकित प्रस्तावों के आधार पर टेण्डर मंगाकर तथा सामान्य खरीद प्रक्रिया का मूल्यांकन करके खरीद की जाती है। रसोई-घरों में 22 लीटर के कुकिंग प्रेशर कुकर तथा धुआँ रहित चूल्हे भी लगाए गए हैं। खान-पान केन्द्रों को पीतल के हण्डे (44) वितरित किए गए थे।

14. तथापि, छोटे-मोटे भोजन सम्बन्धी बर्तनों की खरीद की जा रही है। जहाँ कहीं भी इनकी खरीद आवश्यक है वहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा उप निदेशक (महिला शिक्षा) को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों के लिए कोटेशन के आधार पर अधिकार दिए गए हैं।

15. निरीक्षण अधिकारियों अर्थात् स्कूल उप-निरीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी उप निदेशक (महिला शिक्षा) द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उप निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा), संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) तथा शिक्षा निदेशक को जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा वहाँ इन्हें स्कूलों तथा कैटीनों का निरीक्षण भी करना होगा।

अनुबन्ध-4

(1) श्री एम० वी० गिरी, केन्द्रीय शिक्षा सचिव द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को दिनांक 19 नवम्बर, 1992 को भेजे गए अ० शा० पत्र संख्या एफ० 2-10/92 अनौ० शि० की प्रति।

में यह पत्र विशेष रूप से प्रारम्भिक शैशव कालीन देखभाल और शिक्षा कार्यान्वयन पर आपका ध्यान आकृष्ट करने तथा और अधिक प्रभावकारी दिशा देने के लिए लिख रहा हूँ। प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा को मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में निर्धारित किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है।

2. जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास में उन्हें स्वास्थ्य, पोषाहार तथा प्रारम्भिक शैशव प्रोत्साहन प्रदान करने इस पर विशेष बल दिया गया है। प्राथमिक स्कूल के लिए बच्चोंको तैयार करने के अतिरिक्त प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा कामकाजी माताओं तथा बच्चों के देख-रेख के दायित्वों से युक्त स्कूल जाने वाली बालिकाओं को सहायक सेवा प्रदान करती है। अभी हाल ही में कार्यक्रम के मूल्यांकनों से स्पष्ट पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने में प्रारम्भिक शैशवकालीन शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. वर्तमान योजनाओं के प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा के घटक को सुदृढ़ करना एक प्रमुख मामला है तथा इसके लिए यह और अधिक महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के बीच उचित तालमेल कायम किया जाए। प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा घटक के साथ सबसे बड़ा कार्यक्रम है। समन्वित बाल सेवा योजना जिसके केन्द्र सम्पूर्ण देश में विद्यमान हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग समाज कल्याण विभाग तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ये बालवाड़ियाँ तथा दिवा देखभाल (डेकेयर) योजनाएँ भी हैं और स्थानीय निकायों तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा संचालित पूर्व-प्राथमिक स्कूल भी हैं। यदि आप क्षेत्रीय स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन के ढंग पर विशेष रूप से इस दृष्टि से विचार करें कि इस प्रकार के तालमेल से जो लाभ प्राप्त करने की आशा की गई है, उनकी प्राप्ति संभव हो तो अधिक उपयोगी होगी। आप भी राज्य तथा जिला स्तर पर उचित समन्वयकारी तन्त्र स्थापित करने के लिए विचार कर सकते हैं ताकि इन योजनाओं के कार्यक्रमों में ऐसा समन्वित आधार प्रस्तुत किया जा सके।

4. यदि आप निम्नलिखित मुद्दों पर समीक्षा करें तथा तदनुसार क्षेत्रीय कार्य अधिकारियों को सार्थक विदेश दें तो यह उपयोगी होगा।

- (क) प्राथमिक स्कूलों तथा आंगनवाड़ी/बालवाड़ी केन्द्रों में समय का समन्वय,
- (ख) जहाँ कहीं भी सम्भव होगा वहाँ प्राथमिक स्कूल भवन का उपयोग आंगनवाड़ी/बालवाड़ी क्रियाकलापों के लिए किया जा सकता है,
- (ग) प्राथमिक स्कूल शिक्षक आंगनवाड़ी/बालवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे प्राथमिक स्कूल स्तर पर बेहतर नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।
- (घ) स्थानीय भाषाओं तथा स्थानीय रूप से स्वीकार्य तकनीकी में पूर्व विद्यालय सामग्री तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इत्यादि का आयोजन जिसका उपयोग प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा में किया जा सकता है।
- (ङ) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा घटक में विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रारम्भिक शैशवकालीन शिक्षा के कार्मिकों को शिक्षा प्रदान करना,
- (च) उस संस्था की पहचान करना जो प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित कर सके तथा इन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान कर सके।
- (छ) जहाँ कहीं भी महान्याय नियुक्त हैं वहाँ कार्य स्थल पर ही प्रारम्भिक शैशवकालीन देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए सभी नियोजकों को प्रेरित करना।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में मुझे यथाशीघ्र सूचित करें।

(2) महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वैचार की गई आंगनवाड़ी केन्द्रों (समेकित बाल विकास सेवा परियोजना-नाओं) में अन्तः क्षेत्रीय सेवाओं की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण :

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अन्तर क्षेत्रीय सेवाओं की प्रभावशाली उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 90-91 से इसे नवीकृत रूप में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का मूल एकक है जहां समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत निर्धारित सेवाओं के पैकेज लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता को प्राप्त करने का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों की कार्यकुशलता को सुधारना है और यह निश्चित करना है कि लाभार्थियों को सेवाएं लागत-प्रभावी ढंग से दी जाएं।

उपलब्धता के लिए निर्धारित अन्तर क्षेत्रीय सेवाएं:--

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास, शिक्षा, शहरी विकास कल्याण प्रत्येक विभागों और इस विभाग के विशिष्ट कार्यों के तालमेल का पता लगाया गया है और प्रत्येक मंत्रालयों और विभागों को इस विभाग की सेवाओं के साथ एकीकरण/उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदेश भेजे गए।

विभिन्न विभागों की उपलब्धता के लिए पता लगाई गई सेवाओं को निम्नवत् पैराग्राफों में दर्शाया गया है :--

1. स्वास्थ्य विभाग :--

(1) सप्ताह में दिन और समय निर्धारित अधिसूचित किया जाए जब सहायक नर्स मिडवाइफ प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र का दौरा करेगी। ऐसे दौरों की बारम्बारता कम से कम पन्द्रह दिन में एक बार हो।

(2) आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा भेजे गए रोगियों की परिचर्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-केन्द्रों/जिला अस्पतालों में में एक विशिष्ट काउन्टर निर्धारित करना और (ख) क्षेत्रीय बैठकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ली गई बैठकों में चर्चा के लिए विशिष्ट कार्य सूची मद के रूप में उप केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिचर्या किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों से भेजे गए रोगियों की संख्या शामिल करके समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई सम्बन्धित सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(3) समेकित बाल विकास सेवा क्षेत्रों में डिलीवरी किटों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं और टी०बी०ए० को भेज दी जाए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग से डिलीवरी किटों की पूर्ति पर्यवेक्षकों के माध्यम से की जाए।

(4) आंगनवाड़ी कर्मचारियों को समेकित बाल विकास सेवा क्षेत्रों में विटामिन "ए" की पूर्ति पर्यवेक्षकों (महिला सेविकाओं) की माध्यम से की जाए।

(5) जिगु केन्द्रकेंद्र (13,000), प्रारंभिक बाल शिक्षा केन्द्र (4365), बालवाड़ी (5000), और अनाथ बच्चों के लिए नूट्रिशनल और शैक्षणिक क्षेत्र के माध्यम से इस विभाग द्वारा खरीदी गई गए समेकित बाल विकास सेवा बाल-परिचर्या योजना को भी स्वास्थ्य सेवाओं, रोग प्रतिरक्षण इत्यादि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए और

(6) सहायक नर्स, मिडवाइफों, सहायक महिला कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य विजिटर्स इत्यादि द्वारा सम्मिलित किए गए 25 ग्रामों के क्षेत्रों में आयोजित की जा रही मासिक बैठकें अब सी० टी० सी० के निर्देशानुसार आयोजित नहीं की जा रही है और हमेशा नियमित भी नहीं होती हैं। इनके एकीकरण की दिशा में, परिवार कल्याण विभाग इन बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश जारी कर सकता है।

2. ग्रामीण विकास विभाग :

(1) जवाहर रोजगार योजना निधि का एक उपयुक्त भाग आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाए,

(2) आंगनवाड़ी केन्द्रों में द्यूब वृक्षों और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की जाए चाहे वे सरकारी क्षेत्रों में हो या किराए पर हो,

(3) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से धूम्ररहित चूल्हों की पूर्ति की जाए,

(4) बाढ़ आपदा के पश्चात्/प्राकृतिक पुनर्निर्माण के लिए निचियों में से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए,

(5) ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास और समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) पर विचार किया जाए, जहां कहीं भी निम्नवत् क्षेत्रों को सम्मिलित करके महिलाओं और बच्चों का विकास विद्यमान है :—

- (क) आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों की तरह उसी गांव में स्थित रखा जाएगा।
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों को महिलाओं को समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों की महिलाओं के बच्चों को कुलसमेकित बाल विकास योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- (ग) सहायक महिला कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों की बैठकों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।
- (घ) गांव के परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध और जानकार होने की वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं लाभार्थियों का पता लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षणों में सम्बद्ध किया जाएगा। महिला प्रधान परिवारों को केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर छोड़ा जा सकता है।
- (ङ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों के आर्थिक कार्य के लिए ऋण प्रावधान पत्रों को भरने का कार्य सौंपा जा सकता है। उसे इस कार्य के लिए थोड़ा सा मान्य दिया जा सकता है।
- (च) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों द्वारा किए गए उत्पादन और विनयन तथा समेकित बाल विकास सेवा केन्द्रों द्वारा खाद्य खरीद को समन्वित किया जाएगा। राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों को आवश्यक वस्तुएं भारत सरकार द्वारा जारी कीमतों पर उपलब्ध कराएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों समेकित बाल विकास योजना के लाभार्थियों को उन्हें स्वीकार्य पोषक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करावे (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों के मध्य पारस्परिक चर्चा द्वारा अन्वेषण निर्धारित की जाए) महिला और बाल विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास समूहों से सीधे ही खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए हैं। महिलाओं को रोजगार और आय प्रदान करने के अतिरिक्त यह खाना पकाने के समय में बचत करने में भी सहायता करेगा ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनका कुछ अन्य शैक्षिक या विस्तार कार्यों में सदुपयोग कर सकें।
- (छ) यदि भोजन पकाना कठिन लगे तो भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह समेकित बाल विकास सेवा केन्द्रों को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और दिन प्रतिदिन की अन्य आवश्यक मदों से संबंधित विनयन कार्यकर्ताओं में कार्य कर सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवा केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूहों से वस्तुएं खरीदने के लिए अनुमोदित स्रोत के रूप में घोषित किया गया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा पूर्व-स्कूल शिक्षा के लिए किटों खिलौनों इत्यादि की खरीद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूहों से भी कर सकते हैं।

3. शहरी विकास विभाग

(1) यू० बी० एस० पी० के अंतर्गत मुहैया कराए गए सामुदायिक केन्द्रों को उन स्थानों पर स्थापित किया जाए जहां हमारे आंगनवाड़ी केन्द्र और समेकित बाल विकास सेवाओं को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाए।

(2) गंदी बस्तियों के लिए आवश्यकता आधारित लघु योजनाओं को करने के लिए यू० बी० एस० पी० के अंतर्गत बनाई गई पड़ोस की समितियों (एन० एच० सो०) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सम्मिलित करना चाहिए जहां कि समेकित बाल विकास सेवा पदेन सरस्य के रूप में विद्यमान हो।

(3) युवा शैक्षिक केंद्रों, स्वच्छ शौचालयों, जन-फिटनेस इत्यादि के प्रयोग को जन-संगत प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जाए और यू०बी०एन०बी० के प्रांगण अर्थात् क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाए जाए।

(4) यू०बी०एन०बी० के प्रांगण आंगनवाड़ी केंद्रों में ट्रेण्ड पम्पों और अन्य सहयोगी जन-प्राप्ति संसाधनों की व्यवस्था की जाए।

4. शिक्षा विभाग

(क) शैशवकालीन शिक्षा : (1) जहां पर समेकित बाल विकास योजना विद्यमान है, वहां समेकित बाल विकास योजना के शैशवकालीन शिक्षा और पूर्व-स्कूली शिक्षा घटकों को समेकित किया जाए। जहां पर समेकित बाल विकास सेवा विद्यमान नहीं है, वहां आवश्यक सेवा के रूप में घोषणा देकर ई०सी०एस० और ई०सी०सी०ई० केंद्रों को सुदृढ़ किया जाए। (2) पूर्व स्कूल शिक्षा घटक के लिए गुणात्मक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य स्तरों पर संसाधन केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इन संसाधन केंद्रों को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या एन०आई०पी०सी०सी०डी० के क्षेत्रीय केंद्रों, जहां पर वे विद्यमान हैं स्थापित किया जा सकता है। खंड स्तर पर, सी०डी०पी०ओ०एस० कार्यालयों को पहले ही संसाधन केंद्रों के रूप में घोषित किया गया है। इस विभाग ने इन केंद्रों को शुरू करने के लिए देश के 620 विकास खण्डों में कितने भेज दी हैं। समेकित बाल विकास सेवा बजट में आई०ई०सी० के अंतर्गत प्रति विकास खंड को 5000/- रु० की दर में प्रदत्त निधियों को विकास खंड स्तर पर संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) प्राथमिक स्कूल शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा : (1) प्राथमिक स्कूल शिक्षक को दाखिले के समय के आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूलों में दाखिला ले। (2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों के साथ वर्ष में सभी परिवारों के ग्रामीण स्तर के शैक्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित होना चाहिए। (3) अनौपचारिक शिक्षा कामिकों को आंगनवाड़ी और महिला मंडलों में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा केंद्रों में दौरा करना चाहिए और उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता कक्षाओं इत्यादि के लिए प्रेरित करना चाहिए।

5. कल्याण विभाग के साथ तालमेल

कुछ समय पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अपंगता सेवाओं को विस्तृत करने की आवश्यकता का पता चला है। आंगनवाड़ी कामिकों की दिशा-निर्देश पुस्तक में शैशवकाल में ही उसका पता लगाना, बच्चों में विकलांगता के निवारण पहले से ही सम्मिलित है। यह विषय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 माह की सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भाग है। इस विषय को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(क) विकलांगता निवारण।

(ख) शीघ्र पता लगाना।

(ग) जागरूकता उत्पन्न करना और

(घ) समुचित रूप से सम्बद्ध दिशा निर्देश करना इत्यादि।

जहां पर कल्याण विभाग के जिला पुनर्वास केंद्र विद्यमान हैं, वहां इस योजना में केंद्रों/अस्पतालों के साथ सम्पर्क बनाया जाएगा और जहां जिला पुनर्वास सामान्यतः जिले में विद्यमान बाल स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/जिला अस्पताल नेटवर्क से होगा। प्रशिक्षण घटक को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, आंगनवाड़ी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जा रहे हैं। देश में प्रत्येक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण के केंद्र के लिए कम से कम एक शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देने का भी निर्णय लिया गया है और यह कार्य आर०आर० टी०सी० और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थानों को सौंपा गया है। एक जांच-सूची तैयार की गई है जो कि विकलांगता का शीघ्र पता लगाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

(III) सामाजिक सुरक्षा : सेवाओं का तालमेल-योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए लक्ष्य, नीति और दिशा-निर्देश

1. भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र (नेट) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है कि सामाजिक क्षेत्र के कुछ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के स्तर समाप्त न हो जाएं बल्कि वे वास्तव में सुदृढ़ हों। ऐसे प्रयास प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण, पोषण, महिलाओं और सामान्य रूप से गरीबों की आय के स्तर को बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में केन्द्रित किए जाएं। यह लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि संरचनात्मक समायोजनों का आर्थिक बोझ उन पर न पड़े जो इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा तंत्र (एस०एस०एन०) कार्यक्रम।

2. सामाजिक सुरक्षा नेट का उद्देश्य अत्यधिक सुविधाविहीन क्षेत्रों और देश के वंचित समूहों में मुख्य सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रमों की कवरेज को विस्तृत करना है। सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिए गए नए शुरू किए कार्य निम्नलिखित हैं :—

- (1) शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े 200 जिलों में नामांकन को बढ़ाने और लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की संख्या को कम करने पर जोर देने के लक्ष्य वाला विस्तृत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
- (2) प्राथमिक स्वास्थ्य उपचर्या की कार्यकुशलता और प्रभाव में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम।
- (3) जनसांख्यिकी दृष्टि से कमजोर 90 जिलों में, जहां पर शिशु और बाल मृत्यु दर निस्संदेह अधिक है; विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य उपचर्या कार्यक्रम।
- (4) विभिन्न राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
- (5) समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।

3. हर स्थिति में उक्त कार्यक्रम आधारभूत और अत्यधिक महत्वपूर्ण समाज क्षेत्रीय है जो कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ये सेवाएं अभी अपेक्षाकृत अल्प विस्तारित है और इनमें कोई भी अनपेक्षित और पुनरावृत्ति नहीं है।

सेवाओं के तालमेल के उद्देश्य और नीति

4. सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं के तालमेल के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :—

- (1) उद्देश्यों की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी सेवाओं का समन्वय करना।
- (2) इन सेवाओं के लाभान्शों की श्रेष्ठता के लिए, यदि आवश्यक हो तो, संरचनात्मक और/या प्रक्रियात्मक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था के कार्यान्वयन को निर्धारित करना तथा लक्षित लाभार्थियों के लिए अत्यधिक लागत प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना।
- (3) जीवन स्तर को बढ़ाने में मांग बढ़ाने और अनिवार्य भागीदारी के लिए समुदाय को गतिशील बनाना।

5. सेवाओं के तालमेल के लिए नीति में निम्नलिखित वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए :—

- (क) कार्मिकों का तालमेल, अर्थात् ग्रामीण स्तर पर नोडल बहु-उद्देश्य कार्मिक द्वारा सेवाओं का वितरण वर्तमान योजना के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है और कार्य सम्भव नहीं है। विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न योग्यताओं की वास्तविकता के अलावा सरकारी विभागों की रेखीय संरचना स्वाभाविक रूप से समस्याएं उत्पन्न करेगी और ये योग्यताएं इतनी प्रारंभिक नहीं है कि एक कार्यकर्ता के लिए इसे प्राप्त करना संभव हो।
- (ख) समन्वित दृष्टिकोण के लिए आवश्यक प्रशासन और प्रदान की जा रही सेवाएं के पूरक स्वरूप के निम्न स्तर, पर्याप्त रूप से सराहनीय नहीं है। तथापि ये वे स्तर है जो सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं और इसी लिए निर्णायक है।
- (ग) ग्रामीण समुदाय सहभागिता की प्रक्रिया के लिए गतिशील नहीं है चाहे कारण जो भी हो। सामुदायिक नेतृत्व अधिकांश राज्यों में बहुत स्पष्ट नहीं है, और न ही स्वैच्छिक प्रयत्न पर्याप्त रूप में विस्तृत हैं। पंचायती राज संस्थाओं से इस दायित्व को वहन करने की आशा की जा सकती है, लेकिन उन्हें ऐसा करने में समय लगेगा।

(घ) इन सेवाओं में पारस्परिक निर्भरता की सराहना की कमी के अलावा, ग्रामीण स्तर पर निगरानी की कमी है और इसी लिए जिम्मेदारी की कमी है। समुदाय के प्रति जिम्मेदारी आवश्यक है और इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों और उन्हें उपयुक्त रूप से सज्जत बनाया जाए।

6. इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, सेवाओं के तालमेल को प्राप्त करने के दृष्टिकोण में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाना चाहिए :—

- (1) कार्यान्वयन और मानिटारिंग एवं प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर परिवर्तन लाने के लिए ग्राम स्तर पर नीति निर्धारण, पर्यवेक्षण, कार्यान्वयन और कार्यात्मक समन्वय के लिए संस्थागत यान्त्रिकी का सृजन।
- (2) प्रदत्त सेवाओं से विकेन्द्रीकरण और लचीलेपन की आवश्यकता के लिए सामाजिक ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तरों में विस्तृत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति अपेक्षित होगी।
- (3) स्थायी योजना के लिए आवश्यक है कि पंचायती राज निकायों, महिला संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को विस्तृत भूमिका दी जाए।
- (4) सेवाओं के वितरण की वर्तमान तुलनात्मक पृथक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक कार्य कुशलता और अच्छी लागत प्रभावशालिता के और अधिक समेकित और उदार दृष्टिकोण के परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके परिणाम-स्वरूप यह परिवर्तन, पुराने दृष्टिकोण पर वर्तमान प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण का प्रतिस्थापन होगा। इसमें प्रभावशाली स्पष्ट और सामुदायिक भागीदारी के लिए जगरूक लोगों के माध्यम से ग्रामीण कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत विभागीय कार्यक्रम :

7. इस समय शिक्षा विभाग ने प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वमूलभीकरण के अन्तर्गत विशिष्ट अधिसूचियों और जिला विशिष्ट लक्ष्यों की जिला विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मात्र राज्यों में 42 जिलों का पता लगाया है। परिवार कल्याण विभाग ने 90 जनसांख्यिकी दृष्टि से पिछड़े जिलों में इसी तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुधार के लिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सुमज्जित अपरेणन थियेट्र, प्रसव कक्ष और छह पलंगों वाले निरीक्षण वार्डों, लगातार पानी, बिजली और कर्मचारियों के क्वार्टरों का कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1993-94 के दौरान देश में पता लगाए गए 90 जिलों का स्तर बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया है। सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुधार और संचारी/गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला और बाल विकास विभाग, वर्ष 1993-94 के दौरान पता लगाए गए 180 जिलों में से 103 जिलों के 200 ब्लॉकों में बाल विकास योजना का विस्तार करेगा। इस तरह देश में 100 से भी अधिक जिलों में सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम चल रहा है जिनमें से कुछ जिले दोनों या तीनों विभागों में हैं।

8. यह विचार है कि बहुत वर्षों तक जब अधिकाधिक जिलों को सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है, प्रत्येक विभाग कुछ जिलों का चयन करेगा जिनका पहले से ही अन्य विभागों द्वारा चयन किया गया है ताकि समय के साथ उन जिलों में, जहां पर सभी चारों विभाग समवर्ती रूप से कार्य कर रहे हैं, सेवाओं के तालमेल को व्यापक रूप से महसूस किया जाए। इस समय की कोशिशों तक विशेष सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक विभाग या अधिक विभागों द्वारा पता लगाए गए जिलों में सेवाओं के तालमेल को प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान कार्य क्षेत्र :

9. पारस्परिक सेवाओं का समन्वित वितरण अनजान नहीं है और इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सफलता के विभिन्न स्तरों के साथ पहले से ही प्रयास किए गए हैं। अनुभव के आधार पर, ऐसे क्षेत्रों का पहले से ही पता लगाया जा चुका है जहां सहयोग आवश्यक और संभव है। जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण, जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या, पूरक पोषण और पूर्ण प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और परिवार कल्याण (किशोरावस्था लड़कियों के मामले में), और प्राथमिक शिक्षा और संचारी रोगों का निवारण, इत्यादि कुछ इसके उदाहरण हैं।

9.1 महिला स्वास्थ्य संघ ग्रामीण स्तर पर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। महिला स्वास्थ्य संघ में सहायक नर्स निडवाइफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (ए० एन० डब्ल्यू०) स्कूल शिक्षक, ग्राम मेडिका इत्यादि और गांव की सक्रिय कार्यकर्ता

महिलाएं ग्रामीण स्तर की कार्यकर्ताएं होती हैं। सहायक नर्स मिडवाइफ, संचालक हैं, द्वारा आयोजित महिला स्वास्थ्य संघ की मासिक बैठक में परिवार कल्याण, साक्षरता, पोषण, लड़कियों के स्तर इत्यादि की सूचना सदस्यों को प्रदान की जाती है। सहायक नर्स मिडवाइफ समेकित बाल विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप में लगी होती हैं। शिक्षा विभाग ने समेकित बाल विकास योजना के साथ शैशव शिक्षा कार्यक्रम को समेकित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव में महिला और बाल विकास समूहों को सहयोग देने में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। ये सभी आधारभूत उदाहरण हैं जो कि पहले से ही सृजित हो गए हैं। वर्तमान दिशा-निर्देशों का लक्ष्य इन प्रयत्नों को औपचारिक रूप देना है और योजनाबद्ध परिवर्तन शुरू करना है ताकि इन सेवाओं के वितरण का उदार दृष्टिकोण स्वयं वितरण पद्धति की विशेषताएं हों।

तालमेल की ओर कदम :

10. तालमेल की प्रक्रिया उस बिन्दु पर प्रभावी होनी चाहिए जहां पर सेवाएं दी जाती हैं अर्थात् उस गांव में जो कि योजना के लिए वैशेषीय युनिट भी है। सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जो एक से अधिक विभाग के कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया है इसे 'अग्रण्य कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता है। अग्रण्य के साथ कार्यक्रम सम्बन्धित विभाग उस गांव में सामाजिक सुरक्षा नेट के लिए संयोजक विभाग होगा। यदि गांव केवल समेकित बाल विकास योजना द्वारा कवर किया गया है और वहां कोई कार्यक्रम नहीं है तो संयोजक स्कूल शिक्षिका या सहायक नर्स मिडवाइफ होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक अंगकालीन स्वैच्छिक कार्यकर्ता होने की वजह से वह संयोजक के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं होता। संयोजक को ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं की पारस्परिक और उनकी एवं लाभार्थियों की बैठकें की व्यवस्था करनी होती है।

10.1 गांव में संयोजक विभाग के कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों पुरुषों और महिलाओं के दो अलग समूहों के साथ एक बैठक बुलानी होगी। ऐसे पारस्परिक कार्यक्रमों को व्यवस्था करने हुए संस्थाओं या स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, यदि कोई हो तो की, सहायता की जाएगी।

10.2 संयुक्त कार्य योजना विभिन्न विभागों द्वारा पता लगाए गए और तैयार की गई लाभार्थियों की सूचियों के आधार पर विकसित की जानी चाहिए। लाभार्थियों का संयुक्त रूप से पता लगाना सामाजिक सुरक्षा नेट के लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि, सामाजिक सुरक्षा नेट कुछ विभागों के विद्यमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए विचार करती है, लाभार्थियों का पता लगाने का सापेक्ष इन कार्यक्रमों में पहले ही निर्धारित किया गया है। तथापि, सेवाओं के तालमेल को प्राप्त करने की दृष्टि से लाभार्थियों का पता लगाने के लिए लचीला, दृष्टिकोण आवश्यक होगा। सामाजिक सुरक्षा नेट के अन्तर्गत एक से अधिक विभाग के कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए गांवों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड का संशोधन जिला के कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई कार्यकर्ता के अनुमोदन से ही सम्भव होगा।

10.3 गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को आवसी कार्यों और अनुभव को बांटने के लिए सामान्यतः सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए।

10.4 सामाजिक सुरक्षा नेट के अंतर्गत उन लक्षित समूहों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने चाहिए जिन का एक से अधिक सेवा कालाभ उठाने के लिए पता लगाया गया है। उदाहरण के लिए, महिलाएं मातृ स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण तथा शायद संवारी रोगों के निवारण के लिए लक्षित वर्ग हो सकता है। इसी तरह स्कूल जाने से पहले की आयु के बच्चे स्वास्थ्य परिचर्या, रोग प्रतिरक्षण और पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं।

10.5 इस तरह से समन्वय किया जाए कि लक्ष्य समूह, जहां तक संभव हो, यदि पात्र हो, अधिकाधिक सेवाओं द्वारा कवर किया जाए। इस तरह सहायक नर्स मिडवाइफ को आंगनवाड़ियों में लक्षित महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहायक नर्स मिडवाइफ के लक्षित समूह में आंगनवाड़ी के बच्चों के लाभांश का स्रोत होना चाहिए।

10.6 गांव के स्कूल और आंगनवाड़ी के समय इस तरह से निर्धारित किए जाएं ताकि स्कूल क्षेत्र में आंगनवाड़ी के कार्य सुगम हो सके। स्थानीय स्थितियों के अनुरूप समय सुविधानुसार होना चाहिए।

10.7 स्कूल शिक्षक को भविष्य में स्कूल जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए आंगनवाड़ियों का दौरा करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्मिकों को बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए स्कूलों का दौरा करना चाहिए।

110. 8 सेवाओं के तालमेल के लिए दृष्टिकोणों में से एक समूह दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत सभी ग्रामोण स्तर के कार्यकर्ता एक समूह के रूप में लाभार्थियों के संगठित समूहों के साथ मिलते हैं। कुछ या सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे सभी लाभार्थी या उमी परिवार के विभिन्न लाभार्थियों से मिथ्य जैसा भी मामला हो। चूंकि कार्य क्रम स्वाभाविक रूप में पूरक हैं। समूह दृष्टिकोण वांछित उद्देश्यों की उपलब्धि में एक सामान्य साझेदारी उत्पन्न करती है और प्रशासनिक दक्षता की ओर प्रशस्त करती है।

110. 9 ऐसा संभव है कि कुछ कार्यकर्ताओं के क्षेत्रधिकार में एक से अधिक गांव हो और ऐसी स्थिति में ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के साथ परामर्श करके प्रत्येक गांव में संयुक्त दौरो के लिए दिन निर्धारित करने चाहिए।

111. लाभार्थियों के साथ सम्पर्क सेवाओं के तालमेल के बहुत महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सामाजिक सुरक्षा नेट के अंतर्गत ऐसे सम्पर्क परम्परागत तरीके से नहीं बल्कि मददगार और लाभार्थी के रूप में होने का लक्ष्य प्राप्त करना होना चाहिए। इसके लिए नौकरशाही में व्यवहार्य परिवर्तन अपेक्षित होगा जिसे प्राप्त करना सरल नहीं है। यह निम्न स्तरों पर और अधिक कठिना है जहां कार्यकर्ता की महत्ता इस पर निर्भर करती है कि वह कितना जिम्मेदार है। तथापि इससे इस परिवर्तन को लाने की महत्वपूर्णता कम नहीं हो जाती। इसे वितरण पद्धति में ग्रामोण समुदाय और ग्रामोणों की भागोदारी की जिम्मेदारी की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाए। आयोजना प्रक्रिया तथा सर्विस डिलीवरी तंत्र के निचले स्तर में सहभागिता से अपेक्षितों की शिक्षा तथा इन सेवाओं तथा सहयोग की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा होगी। एतदर्थ प्रयास करणीय है। कार्यकर्ताओं को यह अनुभव करना चाहिए कि परिणाम तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक लाभग्राही स्वैच्छिक रूप से सहभागी नहीं होते तथा उन्हें यह बता न दिया जाए कि ये सेवाएं उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हैं तथा उन्हें इसे प्राप्त कराने का अधिकार प्राप्त है।

112. ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत के प्रति तथा ग्रामोण स्तर पर ग्राम सभा के स्थायी समिति जिसे ग्रामसभा अथवा उसके न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत नामित कर सकती है के प्रति उत्तरदायी बनाने से ही जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। यह समिति आयोजना से भी सम्बद्ध होगी तथा ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेगी। इस समिति की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह ब्लाक विकास अधिकारी / उप डिविजन अधिकारी / क्लर्क किसी को भी सीधे ही कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का फीडबैक प्रदान कर सके। बी० डी० ग्रो०/एस० डी० ओ०/क्लर्क को उस फीडबैक पर कार्य करना चाहिए तथा अपनी मासिक बैठकों में उस पर चर्चा भी करनी चाहिए जहां पर पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में हैं, तथा समूचित रूप से तालमेल तथा जवाबदेही से प्राधिकृत हैं, वे संभवतः अधिक सहज तथा सरल होंगे। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर के इन कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाना है। ऐसा होने पर ग्राम पंचायत ऐसी गतिविधियों को समन्वित करेंगी तथा अपेक्षित तालमेल बिठाएगी।

113. एस० एस० एन० के अंतर्गत शामिल की गई सेवाओं की प्रवृत्ति को देखते हुए, इनकी सफलता के लिए महिलाओं की पारस्परिकता तथा सहभागिता अत्यावश्यक है। पुनर्संगठित ग्राम पंचायतों में इसके सदस्यों का 30% भाग महिलाएं होंगी। इन सदस्यों अथवा महिला समाख्या योजना के सदस्यों अथवा कार्यरत तदर्थ दल जो गांव में नेतृत्व प्रदान कर सकता है, को महिलाओं अथवा गांव के सम्पर्क सूत्रों के रूप में समझा जा सकता है। राजस्थान में साथिन जैसे स्वयंसेवा कार्यकर्ता, महिलाओं की गतिशीलता में महायक होंगे।

114. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए। परिवार कल्याण तथा महिला स्वास्थ्य देख-रेख जैसे विशेष कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने तथा सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत लाभप्रद है। ये सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सामान्य हो सकती है परन्तु जागरूकता पैदा करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वस्तुतः अधिक लागत प्रभावी तथा नक्षम हो सकता है। परन्तु गैर-सरकारी संगठनों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है तथा व्यावहारिक दिक्कतों के कारण उनके लिए सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना इतना आसान नहीं है। 1431 गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्य नीति को स्थानीय स्थिति तथा जरूरतों के अनुसार योजना बद्ध तथा कार्यान्वित करना चाहिए। प्रथमतः उनका स्थानीय समीक्षा तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी संगठनों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें कार्य-संचालन के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें प्रशासन की पूरी सहायता दी गई है तथा दोनों में सही तालमेल है।

उनके तथा सरकारी कार्यकर्ताओं के काम की पूर्णता का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाए तथा उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों को सक्रिय सहभागिता के लिए उन्हें सभी माधनों से सम्बन्ध होना चाहिए तथा कुछ गैर सरकारी संगठन पहले से ही सक्षम हैं अथवा अर्जन कर सकते हैं अतः कार्यक्रम का कार्यान्वयन उन्हें सौंपा जा सकता है। इससे वर्तमान प्रक्रियाओं में निश्चित परिवर्तन होगा जो कि उनकी सहभागिता को बढ़ायेगा। प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

15. अपेक्षित सहायता तंत्र के होने पर ही निर्धारित समन्वय तथा तालमेल का स्तर प्राप्त किया जाएगा। जैसा कि बताया गया है इस योजना में सह परिकल्पना की गई है कि जिले का क्लैक्टर/जिला परिषद् का सी० ई० ओ० तथा ब्लॉक विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व करे तथा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभा सक्रिय रूप से सम्मिलित हो।

16. सेवाओं के तालमेल तथा उनकी कार्य विधि में उदार दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों के लिए जिला/ब्लॉक तथा ग्राम स्तरों पर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की तरह होंगे वस्तुतः यह प्रशिक्षण एस० एस० एन० कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पहला कदम होगा। जागरूकता तथा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में अच्छी तरह से तैयार किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सहायक होगा क्योंकि जागरूकता तथा अभिप्रेरणा कार्यक्रम सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

17. ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं का बैठकों में इकट्ठे होने तथा लाभग्राहियों के साथ पारस्परिक तालमेल के गांव में एक निर्दिष्ट स्थान होना। यह निर्दिष्ट स्थान सेवाओं की संशोधित सलभता में जाना जाता है। यह स्थान गांव का विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य उप केन्द्र अथवा अन्य कोई सार्वजनिक भवन हो सकता है। प्रत्येक गांव के लिए परिमर के स्थान का निर्णय, ग्राम सभा की स्थायी समिति अथवा ग्राम पंचायत के परामर्श से किया जा सकता है।

18. गांव को कार्यक्रमों के लिए निधियों का स्थानान्तरण तभी संभव होगा जबकि पंचायत राज संस्थान अस्तित्व में ही। वास्तव में सामाजिक क्षेत्र की कुछ गतिविधियों को सांविधिक प्रशासन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर पंचायतों को स्थानान्तरित करना होगा। जब तक यह स्थानान्तरण नहीं होता तब तक स्थानीय अभिकर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों की बैठक ग्राम स्तरीय स्वैच्छिक संगठनों के संवर्धन तथा स्थानीय अभिकर्मों के वित्तपोषण जैसे साधारण खर्च को पूरा करने के एस० एम० एन० में जिला स्तर पर निधियों के निर्धारण के प्रावधान बनाए गए हैं यह निधि क्लैक्टर / जिला परिषद् के सी० ई० ओ० की विशेषाधिकार निधि के रूप में होगी तथा इसे निचले स्तरों के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

निरीक्षण तथा अनुरीक्षण :

19. इन चारों विभागों के इन कार्यक्रमों में से अधिकतर कार्यक्रमों के उप-जिला स्तरों पर निरीक्षक स्तर के कार्यकर्ता हैं। इन विभागों के निरीक्षकों को संयुक्त रूप से मासिक बैठक आयोजित करनी चाहिए। इन बैठकों में उनके निष्पादन की पूर्णतया समीक्षा की जाती है। भावी संयुक्त गतिविधियों की अनुवीक्षण रिपोर्टिंग तथा समीक्षा पद्धतियों के लिए इन बैठकों में योजनाएं भी तैयार की जाएगी। उप जिला स्तर के पंचायत संगठनों को इन बैठकों में शामिल करना चाहिए। एस० डी० ओ०/बी० डी० ओ० अधिकाधिक समन्वय तथा पहुंच क्षेत्रों पर विशेष बल देकर इन बैठकों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

20. जिला स्तर पर क्लैक्टर/सी० ई० ओ० सभी गतिविधियों को सम्बन्धित करेगा। इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित उनकी अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति की एक पखवाड़े में कम-से-कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए ताकि कार्यक्रमों के प्रभाव की प्रगति इनकी आयोजना तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

21. सचिवों तथा सम्बद्ध विभागों के विभागाध्यक्षों सहित मुख्य सचिव/वरिष्ठतम सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अन्य कामों के अलावा निम्नलिखित काम भी देखेगी।

(i) आगामी वर्षों में नए जिलों को शामिल करने के लिए सिफारिश

(ii) चयनित जिलों की प्रगति की समीक्षा।

(iii) समस्या-समाधान

(iv) वर्तमान योजनाओं में लचीलापन ताकि उन्हें लाभग्राहियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके।

(v) योजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य मामले।

22. राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्रीय समन्वय समिति के रूप में अधिसूचित एक समिति को सचिव, समन्वय, मंत्रिमण्डल सचिवालय की अध्यक्षता में पहले ही गठित किया गया है ताकि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के कार्यसंचालन की सतत समीक्षा की जा सके तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एवं लागत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु उपाय सुझाए जा सकें। इसके अतिरिक्त, आयोजना प्रक्रिया में नीतियों को पर्याप्त महत्व देने के लिए दीर्घकालीन कार्य-नीतियों तथा नीतियों एवं सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए समबद्ध विभाग तथा वित्त एवं व्यय विभाग के सचिवों सहित, सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की गई।

23. जिला स्तर से ऊपर सभी स्तरों पर, एस० एस० एन० कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा होगी ताकि यह मूल्यांकन किया जाए कि परिकल्पित सेवाओं के अभिसरण को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। इन समीक्षा बैठकों से न केवल सम्मिलित सरकारी कार्यकर्ताओं बल्कि पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक नेताओं से सुझाव प्राप्त होने चाहिए। समीक्षा के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई तथा कार्यक्रमों का अपेक्षित परिमार्जन तथा प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

24. सेवाओं का अभिसरण, एक नया दृष्टिकोण है। उपर्युक्त कार्यनीति के अंतर्गत कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, स्थानीय दशाओं तथा जरूरतों के कारण कुछ परिवर्तन, आवश्यक हो सकते हैं। मिफारिशें मात्र संकेत-सूचना सूचना होती हैं तथा स्थानीय पहल तथा परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं।

संख्या एफ 17-14/95 पी० एन०-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

जून, 1995

आदेश

विषय-मध्याह्न भोजन विषय पर एक समिति का गठन

वित्त मंत्री के वर्ष 1995-96 के बजट अभिभाषण में स्कूली बच्चों के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही मध्याह्न भोजन योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार में केन्द्र सरकार की सहभागिता के तौर-तरीकों की जांच करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा के अनुसरण में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल पोषाहार कार्यक्रम के चरणबद्ध कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के विधायन के लिए एक समिति गठित की है।

2. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

i) संघ शिक्षा सचिव	अध्यक्ष
ii) सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
iii) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
iv) सचिव ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
v) सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
vi) योजना आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
vii) निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
viii) शिक्षा सचिव (विद्यालय) तमिलनाडु सरकार	सदस्य
ix) शिक्षा सचिव (विद्यालय) गुजरात सरकार	सदस्य
x) शिक्षा सचिव (विद्यालय) उड़ीसा सरकार	सदस्य
xi) शिक्षा सचिव (विद्यालय) उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
xii) संयुक्त सचिव (आयोजना) शिक्षा विभाग	सदस्य सचिव

3. मध्याह्न भोजन के चरणबद्ध विस्तार में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय को कार्यरूप देने के लिए एक योजना, समिति के विचारार्थ विषयों के साथ-साथ निम्न की भी जांच करेगी।

- विस्तार क्षेत्र (कवरेज)
- लक्षित वर्ग की पहचान
- कार्यान्वयन के तौर-तरीके
- कार्यान्वयन एजेंसियां
- राज्य सरकारों का योगदान
- स्थानीय निकायों की भूमिका
- समुदाय की भूमिका

- समेकित बाल विकास योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव
- विद्यालय स्तर पर बुनियादी सहायता जिसमें स्टाफ भी शामिल है।
- प्रभाव, वैधता तथा व्यवहारिकता के संबंध में विन्तीय मानदण्ड
- चरणबद्ध विस्तार तथा
- अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के तंत्र

4. समिति को अपनी पहली बैठक की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। समिति मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रारंभिक स्थिति के लिए आवश्यक होने पर राज्यों का दौरा भी कर सकती है।

5. समिति अपनी कार्य प्रक्रिया एवं पद्धति स्वयं तैयार करेगी।

6. समिति, योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग (पी० एन० - 1 अनुभाग) शिक्षा विभाग से सचिवालय सहायता प्राप्त करेगी।

हस्ताक्षर
(टी० सी० जेम्स)
अवर सचिव
भारत सरकार

श्री एस० वी० गिरि केन्द्रीय शिक्षा सचिव भारत सरकार	अध्यक्ष
श्री के० वैकटेशन सचिव व्यय विभाग	सदस्य
श्रीमति सरला गोपालन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
श्री बी० एन० युगान्धर सचिव ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
श्री एस० पी० जाखनवाल सचिव खाद्य उत्पादन एवं सभितरण विभाग	सदस्य
डा० जी० सुन्दरम सचिव उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग	सदस्य
श्री आर० सी० त्रिपाठी सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग	सदस्य
डा० एम० मोहन राम प्रभारी निदेशक राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, हैदराबाद	सदस्य
श्री ए० आर० बैनर्जी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग गजरात सरकार	सदस्य
श्री डी० एन० पाधी आयुक्त एवं सचिव विद्यालय/ जन शिक्षा विभाग उड़ीसा सरकार	सदस्य

श्रीमती सी० के० गरैली

सचिव

समाज कल्याण एवं पोषक आहार कार्यक्रम विभाग
तमिलनाडु सरकार

सदस्य

श्री आलोक रंजन

सचिव (बुनियादी शिक्षा)

उत्तर प्रदेश सरकार

सदस्य

डा० आर० पी० वैद्यनाथ अय्यरु

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

सदस्य –सचिव

समिति का सचिवालय

क्रम / श्री

1. टी० सी० जेम्स
अवर सचिव
2. बी० के० रे
अनुभाग अधिकारी
3. कृष्ण कुमार
प्रोग्रामर
4. ओम प्रकाश
प्रोग्रामर
5. एस० एन० मिश्रा
सहायक
6. एस० आर० गुप्ता
सहायक
7. ई० कृष्णा कुमारन
डब्ल्यू० पी० ओ०
8. ए० के० खुराना
आशुलिपिक
9. शिव कुमार
अपर श्रेणी लिपिक
10. जय बीर सिंह
अपर श्रेणी लिपिक
11. एस० राघवेन्द्रन
अवर श्रेणी लिपिक
12. जी० एन० यादव
दफ्तरी
13. एस० एस० बुटोला
चपरासी

चयनित ग्रंथ सूची

- गोपालन सी : डिजीवरी आफ हेल्थ सर्विसीज-नीड फार सैकेण्ड फ्रंट, स्वस्थ हिन्द
- गोपालन सी : स्कूल हेल्थ सर्विस
- भारत सरकार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, नई दिल्ली
- भारत सरकार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) नई दिल्ली
- भारत सरकार : कार्य योजना, 1986
- भारत सरकार : कार्य योजना 1992
- भारत सरकार : प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण ए स्टेटस पेपर, नई दिल्ली, 1994
- भारत सरकार : वार्षिक रिपोर्ट -1994-95
- भारत सरकार : चयनित शैक्षिक आंकड़े 1993-94
- तमिलनाडु सरकार : पोषक आहार कार्यक्रम
- लेविवेनगर, बेरिल : स्कूल फीडिंग प्रोग्राम मिथ एण्ड पोटन्शियल
- लेविवेनगर, बेरिल : न्यूट्रीशन, हेल्थ एण्ड ऐजुकेशन फार आल न्यूटन, मास/न्यूयार्क, ऐजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर/न्यूनाईटीड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1994
- लाकहदीड, बर्मपुर, एण्ड एमिगिण्डम उमरविन भाडपरी ऐजुकेशन इन्ट्रवर्नविग कंट्रीज, 1991
- मेडवना, अरुण सी : ऐजुकेशन फार आन इन्फेक्शन इन दी क्लास रूम पेरिस, यूनेस्को, 1990
- एडमिनिस्ट्रेशन वॉचम VIII नम्बर 1 जनवरी, 1994 पृ० पृ० 63-79
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०): पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (2 खण्ड) 1992
- नई दिल्ली
- भारतीय पोषाहार फाउण्डेशन : ग्रामीण स्कूल पद्धति के माध्यम से पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा
- पोलिंलट ई : माल न्यूट्रीशन एंड इनफेक्शन इन दी क्लास रूम पेरिस, यूनेस्को, 1990
- यूनेस्को: न्यूट्रीशन एंड ऐजुकेशनल अचिवमेंट न्यूट्रीशन ऐजुकेशन सर्विसीज इशू नं० 9, 1984
- यूनेस्को: फूड एंड फार ऐजुकेशन पेरिस 1994

NIEPA DC



D09070

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
Doc. No. D-9070
11-04-96